हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

03.12.2025/1100/DT/एजी-1

अध्यक्षः प्रश्न काल आरंभ।

प्रश्न संख्याः 3316 (स्थगित)

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस सत्र का नहीं है बल्कि यह पिछले सत्र का स्थगित प्रश्न है।(***)

Speaker: This will not go on record. This is not the supplementary. I have not allowed you to debate on the issue. ...(Interruption)

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष जी हमें सवाल उठाने के लिए लोगों ने चुनकर यहां भेजा है।

अध्यक्षः सूचना एकत्रित की जा रही है। आप ज्यादा-से-ज्यादा यह पूछ सकते हैं कि यह सूचना कब तक सप्लाई कर दी जाएगी।

डॉ0 जनक राज : सर, मैं वही कह रहा हूं।

Speaker: You are started debating something else.
डॉ0 जनक राज : आर0टी0आई0 में निहित है कि 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अध्यक्ष : चलो ठीक है। That is apart from the issue. We are not discussing the RTI here. This is the Question Hour. They will supply the information.
माननीय नेता प्रतिपक्ष।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.12.2025/1100/DT/एजी-2

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि सदन चल रहा है। दो साल से सूचना एकत्रित की जा रही है। पिछले कल के दिन की शुरुआत भी सूचना एकत्रित करने से हुई थी। आज भी पहले ही प्रश्न की सूचना एकत्रित की जा रही है। यह पोस्टपोन क्वेश्चन है जोकि पिछले साल का है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि इसमें और कितना वक्त लगेगा? प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिल रहा है तो वह कब तक मिलेगा? क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे की आप इसी सत्र में इस सूचना को उपलब्ध करवा देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था उस पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो गौर नहीं किया लेकिन हमने उसको भंग किया। जब उसको भंग किया गया तो नया राज्य चयन आयोग अस्तित्व में आया। जब सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग हो गया तो हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत क्लास थ्री के टेस्ट करवाये। जैसे पुलिस की भर्ती हमने लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई। अब यह राज्य चयन आयोग अस्तित्व में आ गया और अब जितने भी इसके माध्यम से टेस्ट करवाए जाएंगे उनके परिणामों की सूचना एकत्रित करके अगले आने वाले सत्रों में माननीय सदस्यों को दे दी जाएगी।

03.12.2025/1100/DT/एजी-3

प्रश्न संख्या : 3333

श्री सुधीर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो जॉब ट्रेनी नियुक्त होने हैं। सरकार द्वारा इस नीति में एक शर्त रखी गई है कि जब दोबारा कोई आवेदन करेगा तो उन्हें टेस्ट देना होगा।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

03.12.2025/1105/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3333........जारी

श्री सुधीर शर्मा........जारी

मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस विभाग में जॉब ट्रेनी रखा जाएगा उसमें रेगुलर होने के लिए दोबारा से टेस्ट या आवेदन करने की शर्त को हटाया जाएगा? दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा मल्टी टास्क स्टाफ को भर्ती करने की शर्तों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्य चयन आयोग द्वारा भी क्या उन्हीं के अनुसार भर्तियां की जाएंगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के दूसरे भाग का इससे कोई संबंध नहीं है क्योंकि मल्टी टास्क वर्कर को भर्ती करने की अलग पॉलिसी है। मैं बताना चाहता हूं कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी के माध्यम से कॉंट्रेक्ट के स्वरूप (केवल नाम) को बदला गया है। **जो भी जॉब ट्रेनी दो साल के लिए लगेंगे वे सभी रेगुलर कर्मचारी होंगे और उन्हें निकाला नहीं जाएगा।** जिस प्रकार से पदोन्नतियां की जाती हैं उसी प्रकार इस पॉलिसी में किया गया है। माननीय सदस्य ने जो मल्टी टास्क पॉलिसी की बात कही है तो मैं बताना चाहता हूं कि वह एक अलग पॉलिसी है और इस पॉलिसी से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हमने जॉब ट्रेनी के संदर्भ विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा दी है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? जबकि हिमाचल प्रदेश में पूर्व में जो नौकरियां दी जाती हैं, उन्हें पहले कॉंट्रेक्ट पर रखा जाता था और दो साल बाद उन्हें रेगुलर किया जाता है। अब यह दो साल वाली जॉब ट्रेनी पॉलिसी आई है तो इसका क्या औचित्य है? मैं जानना चाहता हूं कि दो साल के बाद क्या उनका फिर से कॉंट्रेक्ट पीरियड शुरू होगा या वे रेगुलर हो जाएंगे? यदि वे दो साल बाद रेगुलर हो जाएंगे तो क्या कॉंट्रेक्ट पीरियड सिस्टम समाप्त हो गया है? इसके संदर्भ में मुख्य मंत्री जी विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

03.12.2025/1105/ए.जी.-एन.जी./2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉंट्रेक्ट पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। दो साल के कॉंट्रेक्ट पीरियड को समाप्त करने के बाद किस प्रकार से इसमें नीतिगत बदलाव लाया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए, उस पर हमारी सरकार ने विचार किया जिस कारण हमने 'कॉंट्रेक्ट' शब्द को बदल कर 'जॉब ट्रेनी' शब्द किया है। इस पॉलिसी को लाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि कॉंट्रेक्ट पीरियड वालों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, **माननीय सदस्य ने रेगुलर करने के संदर्भ में पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये सब जॉब ट्रेनी दो साल बाद रेगुलर होंगे और इसमें कोई भी ऐसी-वैसी बात नहीं है।** हमने केवल 'कॉंट्रेक्ट' शब्द को बदल कर 'जॉब ट्रेनी' शब्द किया है। इसके अलावा **मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सभी जॉब ट्रेनी राज्य चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त होंगे और सभी दो साल के बाद रेगुलर होंगे।**

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जॉब ट्रेनी को रेगुलर होने के लिए क्या दो साल बाद फिर से टेस्ट देना होगा? इसके अलावा जॉब ट्रेनी के दो साल के पीरियड को इनकी वरिष्ठता में काउंट किया जाएगा या नहीं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कॉंट्रेक्ट पॉलिसी में जो सिस्टम था, वही सिस्टम इसमें भी है और केवल शब्दों को बदला गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कॉंट्रेक्ट सिस्टम को समाप्त कर दिया था और जॉब ट्रेनी पॉलिसी में सभी कुछ कॉंट्रेक्ट पॉलिसी की तरह ही होगा। धन्यवाद।

03.12.2025/1105/ए.जी.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या - 3352

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है उसमें लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में 1,24,780 केसिज़ अवैध कब्जों के हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने इनको इजैक्ट करने के ऑर्डर पास किए हैं। इस उत्तर में आगे लिखा गया है कि इस फैसले को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया गया है। अगली लाइन में लिखा गया है क्योंकि मैंने पूछा था कि इसके लिए कोई नीति बनाने या बेघरों को

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

03.12.2025/1110/ए0एस0-पी0बी0/1

प्रश्न संख्याः 3352...

श्री जीत राम कटवाल ...जारी

कोई नीति बनाने बारे में या बेघरों को शेल्टर देने बारे में सरकार क्या कोई विचार कर रही है या नहीं? उत्तर में आगे लिखा है कि पुनर्वास हेतु कोई नीति नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह विषय माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। इससे पहले लिखा है कि विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। मंत्री जी इस बारे में स्पष्ट करें कि यह याचिका अभी दायर नहीं हुई है और सरकार के ऊपर ऐसा कोई राइडर नहीं है कि वह ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी नहीं बना सकती जो गरीब, बेघर या ऐसे लोग हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने से सड़क पर आने की कगार पर है। यह प्रक्रिया जारी है लेकिन पॉलिसी बनाने के संबंध में सरकार कह रही है कि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी आपका सप्लीमेंटरी आ गया है। राजस्व मंत्री महोदय।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में अवैध कब्जों को लेकर चिंता जाहिर की है। यह ठीक है कि वर्ष 2002-03 में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वे चुनाव से पहले एक ऐसी नीति लेकर आए जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है उन्हें एफिडेविट के माध्यम से दरखास्त पेश करनी थी और इन्होंने उस पॉलिसी में वादा किया था कि उन सभी के नाजायज कब्ज़े जायज होंगे। परंतु इस नीति के पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं थी। यह नीति केवल लोगों को लुभाने के लिए थी और लोगों ने सोचा कि हमारे नाजायज कब्जे एकदम से जायज हो जाएंगे। उस समय ऐसे लोगों की संख्या 1,60,000 थी जिन्होंने रातों-रात एप्लीकेशन्ज सब्मिट कर दी लेकिन प्रश्न के उत्तर में यह संख्या 1,24,000 दर्शाई गई है। सरकार ने उस समय एप्लीकेशन्ज दायर करने की समय सीमा भी तय कर दी। उस तय समय सीमा में लोगों को एफिडेविट बानाने के लिए पटवारी व तहसील के चक्कर लगाने पड़े। इस तरह से सारे नाजायज कब्जाधारी रिकॉर्ड में आए। फिर भाजपा सरकार ने लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1963 में एक संशोधन लाया जिसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि हिमाचल में जितनी भी ज़मीन है वह फॉरेस्ट

03.12.2025/1110/ए0एस0-पी0बी0/2

लैंड है। प्रदेश सरकार फॉरेस्ट लैंड पर कोई नीति या कानून नहीं बना सकती क्योंकि एफ0सी0ए0, 1980 केंद्र का कानून है। जब तक आप केंद्र से इस कानून में संशोधन नहीं करवाएंगे तब तक हम लोगों को एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं दे सकते। हमारी सरकार ने इसके लिए पिछली विधान सभा में प्रस्ताव रखा था कि हम केंद्र सरकार से निवेदन करें कि इस कानून में ऐसा संशोधन किया जाए जिससे हम आपदा प्रभावित लोगों को कुछ भूमि एफ0सी0ए0 से बाहर निकाल कर दे सकें। वह प्रस्ताव इस माननीय सदन से सर्वसम्मति से केंद्र को जा चुका है। दिल्ली में इनकी (विपक्ष) सरकार 11 वर्षों से है तो इन्हें भी इस बारे में कुछ करना चाहिए सिर्फ सदन में प्रश्न पूछने से यह काम नहीं होगा।

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी, माननीय सदस्य ने आपसे एक-दो प्रश्न पूछे हैं। पहला, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामल विचाराधीन है इसलिए सरकार अभी इस संदर्भ में कोई

संज्ञान नहीं ले सकती। दूसरा, सरकार माननीय उच्च न्यायालय में एक पी0आई0एल0 दायर कर रही है but these are two contradictions.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इसमें विसंगति है। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह केस विचाराधीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1963 के 163-ए को निरस्त कर दिया है। परंतु उसमें वैसे भी कोई शक्ति नहीं थी अगर वह संशोधन अमल में रहता तो भी हम लोगों को ज़मीन नहीं दे सकते। किसी नागरिक ने एक केस किया है जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने status-quo maintain किया है। परंतु हम भी इस मुद्दे को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। यदि हमें फॉरेस्ट लैंड को आबंटित करने का अधिकार मिल जाएगा तो हम लोगों को ज़मीन आबंटित कर देंगे। सरकार ने भी अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू की है और हम भी एस0एल0पी0 दायर करेंगे।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मुख्य मंत्री जी से है। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ऐसी नीति बनाकर कोई रास्ता खोजने की कोशिश हुई थी तो इसमें हमारी सरकार की बुरी मंशा नहीं थी। यह बात ठीक है कि इसमें चीज़ें टेक्निकल ग्राउंड पर उलझ गई लेकिन हमारी मंशा ऐसे लोगों की मदद करने की थी जिनके

03.12.2025/1110/ए0एस0-पी0बी0/3

पुश्तों से घर फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए हैं, उनके परिवार वहां रह रहे हैं इसलिए उन्हें उस ज़मीन का हक मिले। यह मामला केवल इतना-सा था। जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में यह मामला चल रहा था तो उस समय वर्तमान सरकार सोई रही। अपना पक्ष प्रभावी ढंग से

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

3.12.2025/1115/ए.एस./ए.पी./01

प्रश्न संख्या 3352 जारी .....

नहीं रखा गया क्योंकि यह फैसला तो अभी हुआ है और इसका इम्पैक्ट देखिए कि जो लोग पुश्तों से रह रहे थे उनके घर और जमीन दोनों ही उनसे छीने जा सकते हैं क्योंकि उन्हें एंक्रोचर घोषित कर दिया गया है। प्रदेश में 1,24,780 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। हमारे समय ही यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में चला गया था लेकिन हमारी पूर्व सरकार ने इसमें अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा। हम प्रदेश के गरीब आदमी को इस प्रकार से सड़क में नहीं ला सकते थे। लेकिन फिर भी यह मामला आगे-से-आगे कोर्ट में चलता रहा। लेकिन वर्तमान सरकार ने इन गरीब लोगों का पक्ष जोरदार ढंग से कोर्ट के सामने रखा ही नहीं और न ही इस मामले में अपनी ओर से कोई तर्क रखा।

दूसरी बात यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि क्या ये इस बात को सुनिश्चत करेंगे कि अविलम्ब इस मामले की पैरवी के लिए सुप्रिम कोर्ट में लड़ेंगे; क्योंकि सी0पी0आई0एम0 के लोग तो इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रिम कोर्ट चले गये हैं और इस मामले में उनके द्वारा स्टे भी ले लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्टे का इम्पैक्ट भी ज्यादा नहीं होने वाला। क्या ये लोग इसकी गंभीरता को समझतें हैं कि इससे कितने लोग बेघर होने जा रहे हैं, अपनी जमीन से बेदखल होने जा रहे हैं। अगर इस मामले में कोर्ट का आर्डर एग्जीक्यूशन के लिए आ गया तो सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगा। उन लोगों की बिजली और पानी के कनैक्शन काटने पडेंगे। उन लोगों को अपने घर खाली करने पड़ेंगे और शायद उनके घरों में बुलडोजर चलें। ऐसी स्थिति को सरकार को गंभीरता से समझना होगा और कल माननीय मुख्य मंत्री जिन वकीलों का उल्लेख इस सदन में कर रहे थे, ऐसे वकील जिन को एक-एक पेशी के लिए दो-दो करोड़ रुपये की फीस दी गई, ऐसे वरिष्ठ वकीलों को हायर करके हिमाचल प्रदेश के उन गरीब लोगों के घरों को बचाने का प्रयास क्या सरकार करेगी; और अगर करेगी तो कब तक करेगी? मैं चाहूंगा कि मेरे इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दें।

3.12.2025/1115/ए.एस./ए.पी./02

Speaker : Because this matter pertains to the Revenue Department ...(Interruption) माननीय राजस्व मंत्री जी आप एक मीनट बैठिए। What I am trying to say is कि आपने खुद एडमिट किया है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में फाइनल एडजुडिकेशन के लिए पेंडिंग है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके ऊपर फाइनल व्यू नहीं लिया गया है। साथ-ही-साथ इस संबंध में एक पी0आई0एल0 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में लगी है जिसके बारे में श्री जगत सिंह नेगी जी ने भी कहा है। जब माननीय सदन में यह विषय चर्चा में आ रहा है and it is already a sub-judice matter so no more question can be asked neither can be replied unless the matter is disposed of by the Hon'ble Supreme Court. ...(Interruption) This is a sub-judice matter. Because this matter is pending with the Hon'ble Supreme Court viz.-a-viz. a PIL is also pending with the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh. These are two contradictories, Hon'ble Revenue Minister, kindly explain the position of the State Government.

Revenue Minister: Speaker, Sir, since you have allowed the Hon'ble Leader of Opposition to speak on this issue, it goes one sided so the Government view should also be come on the record.

Speaker : I am giving you a chance to reply. ...(Interruption) the Hon'ble Revenue Minister reply thereafter you can raise your hands.

Revenue Minister : Speaker, Sir, thank you. मेरा प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष से है कि 163-ए में आपकी सरकार के द्वारा अमेंडमेंट लाई गई, उसके बाद प्रदेश में पांच साल भाजपा की सरकार रही। उस 163-ए में अमेंडमेंट के तहत जो 1,60,000 नजायज कब्जाधारी इनकी सरकार के समय बने हैं। आपने किसको राहत दी एक आदमी को तो यह राहत दे नहीं सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा की सरकार इस मामले में

सोई रहीं लेकिन हम नहीं सोये। हमनें इस केस की पैरवी जो भी फैक्टस एंड फिगर हमारे पास थे, उसके हिसाब से की है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो 163-

3.12.2025/1115/ए.एस./ए.पी./03

ए की अमेंडमेंट है यह गलत है। उसको चैलेंज किया गया और आज भी हम उस केस को लड रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि पूर्व भाजपा सरकार सोई रही और लोगों को गुमराह करती रही, लोगों को इनकी सरकार एनक्रोचर बनाती रही, लेकिन इसका दोष यह हम पर डाल रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि जो 124780 अवैध कब्जाधारक हैं, उनमें कितने ऐसे अवैध कब्जाधारक है जो भूमिहीन हैं, जिन्होंने सिर्फ घर बनाने के लिए कब्जा किया है और कितने ऐसे कब्जाधारक हैं जिनके पास दूसरी जगह जमीन है लेकिन फिर भी उन्होंने अवैध कब्जा किया है? उनकी संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करें।

श्री ए0टी0द्वारा जारी .....

03.12.2025/1120/AT/DC/01

प्रश्न संख्या 3352 जारी ......

राजस्व मंत्रीः यह सप्लीमेंट्री का हिस्सा नहीं है। माननीय सदस्य को मैं अलग से सूचना दे दूंगा।

Speaker: The last supplementary will be asked by the Hon'ble Leader of Opposition under this Question.

Shri Jai Ram Thakur: Speaker, Sir, I fail to understand that why Hon'ble Chief Minister is not answering this Question?

Speaker: You can ask him question but it is his wish whether to reply it or not. …(Interruption). As per your request, I cannot force him to reply.

Shri Jai Ram Thakur: Hon'ble Speaker, Sir, you can ask him to reply. अध्यक्ष महोदय, अब आज उस पर दोष देने की बात पर मत जाइए। मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही थी । ठीक है, वह ठीक नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी जो फैसला आया है यह भी ठीक नहीं है, उसको बहुत कैजुअल ले लिया। आप सरकार बचाने के लिए दो-दो करोड़ रुपए के वकील खड़े कर सकते हैं लेकिन 1,24,780 लोगों के घर-जमीन जा रहे हैं उसके लिए आपने एडवोकेट नियुक्त नहीं किया, उनका पक्ष रखने के लिए प्रयत्न नहीं किया, गंभीरता नहीं दिखाई। इस बात को लेकर मैं कह रहा हूं कि अब जो बच्ची गुंजाइश है, जो हमारे पास वर्तमान स्थिति (present situation) और given circumstances में संभव है उन लोगों की मदद करने के लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष जल्दी रखेंगे? या फिर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि जाएं तो जाएं? यानी, इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि सरकार का कोई लेना-देना नहीं है, चाहे लाखों लोग बेघर हो रहे हों। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि Hon'ble Chief Minister should answer to this Question.

Speaker: This Question pertains to Revenue Department so the Hon'ble Revenue Minister is replying.

03.12.2025/1120/AT/DC/02

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, फिर ये वही बात घुमा-फिरा कर कह रहे हैं। जो कानून इन्होंने बनाया 163-A, वह कानून हाई कोर्ट में टिका नहीं। फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और इनको कैसे पता लग गया कि हमने किस वकील को हायर किया है? अभी हमने दिल्ली में केस दर्ज किया है और दिल्ली में कौन वकील होगा, यह हम बताएंगे वह

यह थोड़ी बताएंगे और दूसरी बात फिर यह घुमा-फिरा कर कह रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि सबसे पहले यह जान लें कि हिमाचल में जितनी भी भूमि है, वह forest land है। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक Forest (Conservation) Act- 1980 को पार्लियामेंट संशोधित न करे। इनकी सरकार 11 साल रही है। हम बार-बार कह रहे हैं कि Forest (Conservation) Act- 1980 में संशोधन करके हिमाचल जैसे आपदा-ग्रस्त प्रदेश को लाभ दिया जाए। आप साथ दीजिए हम दिल्ली चलने को भी तैयार हैं। अगर आप चलेंगे तो हम **जंतर-मंतर में बैठने** को भी तैयार हैं।

अध्यक्षः वैसे तो Hon'ble Supreme Court won't be able to do anything in this matter because it is a legislative matter. Hon'ble Chief Minister wants to say something regarding this matter.

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने बड़ा रिप्लाई दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र बचाने के लिए जो कुछ भी किया या वकील खड़े किए। उसी तरह 1,60,000 परिवार, जिनको आपने encroacher बनाया है हमारी सरकार उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। हम उन्हें उजाड़ने नहीं देंगे, यह मैं कहना चाहता हूं।

Speaker: Now we will have Questions for the Day.

03.12.2025/1120/AT/DC/03

प्रश्न संख्या - 3719

श्री बिक्रम सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के (ख) भाग में मैंने पूछा था कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत तैयार अन्य उत्पाद जैसे दलिया, बेसन, घी, शहद, जैविक दालें है आपने दलिया और बाकी मक्की-गेहूं का तो बता दिया। क्या शहद और जैविक दालें अगर हमारे किसान देना चाहें क्या इन्हें भी आप लेते हैं या इसके लिए कोई नीति है? और एक बात जहां पर हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और जहां यह खेती तैयार होती हैं क्या उस जमीन की भी टेस्टिंग होती है?

एम0डी0 द्वारा जारी....

03-12-2025/1125/DC/MD/1

प्रश्न संख्या : 3719---जारी

श्री बिक्रम सिंह---जारी

अगर प्राकृतिक खेती की बात करें, तो जहां यह खेती की जा रही है, क्या उस जमीन की भी टेस्टिंग होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्पादन वास्तव में प्राकृतिक है? आपने कहा कि इसके सैंपल प्रयोगशाला में जांचे जाते हैं, आज तक कितने सैंपल लिए गए हैं और उनमें से कितने फेल पाए गए हैं?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी ने 'ख' भाग में पूछा कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत दलिया, बेसन, मसाले, घी, शहद, सीरियल- मक्की और गेहूं आदि का अधिक प्रचलन किया गया है। दलिया और बेसन जैसे उत्पाद हम डिपो में भी भेज रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और उनकी स्वॉइल टेस्टिंग भी की जाती है ताकि मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल सके। उत्पादों की रैंडम सेम्पलिंग सोलन स्थित हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, प्रयोगशाला तथा कुछ प्राइवेट लैब्स से करवाई जाती है। गुणवत्ता को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए हम हमीरपुर में एक आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित कर रहे हैं जहां सैंपल्स की गुणवत्ता निर्धारित की जाएगी। किसान जो भी सैंपल देंगे, उनकी टेस्टिंग का खर्च उन्हें वहन करना होगा और टेस्टिंग के बाद ही उन उत्पादों को मार्केट में अपलोड किया जाएगा।

अध्यक्ष : अभी तक जो सैंपल लिए, वे फेल हुए या पास हुए ?

कृषि मंत्री : जो सैंपल हमने लिए हैं, उनकी टेस्टिंग हम सोलन लैब से करवाते हैं।

अध्यक्ष : कितने सैंपल लिए गए उनमें से कितने फेल हुए और कितने पास हुए?

कृषि मंत्री : हमने मक्की और आटे के अधिकांश प्रोडक्शन के सैंपल की रैंडम चेकिंग की है और वे सभी ठीक पाए गए हैं।

03-12-2025/1125/DC/MD/2

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से अनाज खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश में कुल कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? क्या वर्तमान में बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार हर जिले में एक-एक केंद्र खोलने का विचार करेगी?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने आपको बताया कि व्हीट के कुल 57 सैंपल लिए गए थे जिनमें से केवल 6 सैंपल ही फेल पाए गए। जहां-जहां व्हीट और बेसन का प्रोडक्शन हुआ है, उन्हें हम डिपो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बेच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे-जैसे इसका प्रचलन बढ़े, हम इसकी उपलब्धता भी बढ़ाएं। इसी के तहत शिमला में एक 'आउटलेट' खोला गया है और वहां हमारे सैंपल रखे गए हैं। आटा और दलिया लगभग सभी जिलों के डिपो में भेजा गया है और लोग इसे वहां से खरीद रहे हैं। जहां तक कलेक्शन सेंटरों का प्रश्न है, तो जब उत्पादन हमारे पास और अधिक होगा, हम उसे बिग बाज़ार जैसे बड़े मार्केटिंग चैनलों या अन्य बाज़ारों से जोड़कर इसकी मार्केटिंग करेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 6 सैंपल फेल हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने सैंपल लिए गए थे? क्या केवल 6 ही सैंपल लिए गए थे और वे सभी फेल हो गए या अधिक सैंपल लिए गए थे? कृपया बताएं कि कुल कितने सैंपल लिए गए, उनमें से कितने फेल हुए और कितने पास पाए गए?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने व्हीट के 57 सैंपल लिए और उनमें से 6 फेल हो गए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा लिया गया था। पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य था जिसने इस योजना को

बनाकर बजट प्रावधान के साथ इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य यह था कि रासायनिक खादों और फर्टिलाइज़र के बढ़ते उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1130/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या : 3719 जारी--

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

उसकी वजह यह थी कि कैमिकल का यूज़ जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। अध्यक्ष जी, आज इस स्कीम की लगभग यह स्थिति है कि प्राकृतिक खेती की इस स्कीम पर न बोला जा रहा है और न ही काम किया जा रहा है, सभी कुछ बंद कर दिया गया है। मुख्य मंत्री जी ने मक्की का आटा बेचने का फैसला किया। इन्होंने किसी प्राकृतिक ब्रांड का ज़िक्र करते हुए कहा कि हम मक्की का आटा बेचेंगे। उसके सम्बन्ध में जो आपने यहां पर जवाब दिया, उसके अनुसार उसकी बहुत कम खपत हुई है और आय भी बहुत कम हुई है। चलो, फिर भी आपकी अच्छी मंशा थी लेकिन आपको मालूम है कि अगर मक्की के आटे की रोटी उसको पीसने के एक हफ्ते के बाद बनाई जाती है, आपने तो कभी बनाई नहीं होगी लेकिन वह बनती नहीं है। जो आटा वहां से उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे घर में रोटी बनाना कठिन हो रहा है क्योंकि वह दो-तीन महीने पहले पीसा हुआ होता है। मक्की के आटे को अगर पीसने के एक सप्ताह के बाद यूज़ किया जाता है तो उसकी रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है। बनाते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। मुख्य मंत्री जी, क्या आपको इसकी जानकारी है? अगर नहीं है तो भाभी जी से (श्रीमती कमलेश ठाकुर) पता कर लेना। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक खेती के लिए आपके बजट का कितना प्रावधान है और अभी तक आपने उसमें से कितना पैसा खर्च किया है? मैं नए इनिशिएटिव्ज़ के बारे में भी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : वैसे तो प्रश्न के "क" भाग के उत्तर में बताया गया है कि डिपुओं के माध्यम से मक्की और गेहूं का आटा नहीं बेचा जा रहा है। पहले शुरू किया था लेकिन they have stopped it. ...(व्यवधान) नहीं, वह पता है क्योंकि निचले क्षेत्र की मक्की का आटा ज्यादा देर तक रखने से कड़वा हो जाता है । अधिक ऊंचाई की मक्की एक साल बाद भी खराब नहीं होती I Anyway, Hon'ble Chief Minister will supplement.

03.12.2025/1130/केएस/एचके/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक खेती का प्रयास काफी समय से किया जा रहा था। प्राकृतिक खेती के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, प्राकृतिक खेती के बारे में मेरी व्यक्तिगत रूप से कृषि मंत्री जी से बात हुई। हमने चर्चा की कि इससे रोज़गार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। इस दृष्टि से यह सोच बनी और बजट में हमने उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया। प्राकृतिक खेती में आत्मा प्रोजैक्ट चला। मुझे आज इस बात की खुशी है कि जो लोग कृषि छोड़ चुके थे, हिमाचल प्रदेश के वातावरण को, पर्यावरण को देखने के बाद वे दोबारा से एग्रीकल्चर सैक्टर की ओर वापिस आ रहे हैं लेकिन जब उनकी कमाई से कोई ज्यादा आय नहीं होगी तो वे कैसे एग्रीकल्चर सैक्टर में आएंगे? हमने इस बात पर भी चर्चा की और हमने बजट में पहली बार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एम.एस.पी. लागू किया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां प्राकृतिक खेती पर एम.एस.पी. दिया जा रहा है। विपक्ष के हमारे साथी केवल आटे में ही फंसे हुए हैं और हमें बोल रहे हैं कि हमने कभी मक्की की रोटी नहीं बनाई है। जय राम जी, हमने मक्की की रोटी बनाई भी है और खाते भी हैं। हम आपको भी आमंत्रित करते हैं, आप आएं और आपको भी खिलाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी 70 लाख जनता के लिए कैसे रोज़गार के अवसर पैदा हों, जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है या किसी के पास ज्यादा है तो उसमें कैसे वह परिवार भी और हिमाचल प्रदेश भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, इस दृष्टि से पहली बार मक्की के आटे पर हमने 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एम.एस.पी. दिया । गेहूं का एम.एस.पी. पहली बार दिया जा रहा है। गोबर से, प्राकृतिक रूप से जो गेहूं की खेती की

जाएगी, वह सरकार 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है। हल्दी को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इसलिए लाया गया है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

+03.12.2025/1135/av/hk/1

प्रश्न संख्या 3719------ जारी

मुख्य मंत्री क्रमागत-------

क्योंकि हमारे युवा साथी यह सोचते हैं कि खेती करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता। हल्दी एक बार उगा दी जाए तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर बंदरों और नील गायों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे गेहूं को बीजते ही उसके बीज निकाल लेते हैं और जो कुछ पैदा होती है, उसको भी खा लेते हैं। लेकिन हल्दी को न बंदर उखाड़ते हैं और न ही नील गाय उखाड़ती हैं तथा हल्दी से खरगोश भी दूर भागते हैं। हल्दी के लिए हमने शुरुआती एम0एस0पी0 90 रुपये दिया है। इसके लिए देश के गृह मंत्री ने भी हमारी प्रशंसा की है और गुजरात के राज्यपाल महोदय ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पहली बार प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इसके लिए बजट में और ज्यादा प्रोविजन करने जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के द्वारा जितनी भी मक्की, गेहूं या हल्दी पैदा की गई है या फिर हमने पांगी से जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जौ खरीदा है,उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक खेती से जितनी फसल पैदा होगी सरकार उसके लिए बजट उपलब्ध करवाएगी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया है। हर जगह आटे की एक्सपायरी डेट लिखी गई है, उसमें चाहे मक्की की बात हो या गेहूं के आटे की बात हो। अब हमने हल्दी का रेट भी निकालना है, अभी हम उसको 90 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहे हैं। हम इसके लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इण्डिया से भी बात कर रहे हैं। मैंने पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा जी के समय में हमीरपुर के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ

इण्डिया से एक स्पाइस पार्क सेंक्शन करवाया था। परंतु हम अपने स्तर पर भी प्रोसैसिंग यूनिट्स स्टार्ट कर रहे हैं।

मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जो आटा बिका, उसको लोगों ने खुद खरीदा। मैं रेट इसलिए बता रहा हूं ताकि सबको पता भी लग जाए। प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं के आटे को सरकार ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती ले जाओ बल्कि उसकी

03.12.2025/1135/av/hk/2

मांग ज्यादा है, परंतु सप्लाई कम है। इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने यह राजीव गांधी प्राकृतिक खेती के नाम से शुरू की है और **आने वाले समय में हम इसमें अधिक-से-अधिक लोगों को जोड़ेंगे।**

मैं ऊना जिला के लिए विशेष तौर पर बताना चाहता हूं कि वहां पर स्वां नदी के चैनलाइजेशन के बाद आलू की बहुत ज्यादा फसल हो रही है। सरकार उसकी प्रोसैसिंग के बारे में भी विचार कर रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से जहां रोज़गार के अवसर पैदा होंगे वहीं किसानों की आय दुगनी ही नहीं अपितु तीन गुणा बढ़ जाएगी यानी भविष्य में इसमें और प्रोडक्ट भी जोड़े जाएंगे।

प्रश्न संख्या : 3720

अध्यक्ष : श्री राकेश कालिया अनुपस्थित।

03.12.2025/1135/av/hk/3

प्रश्न संख्या : 3721

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैंने बायोमैट्रिक हाजिरी से संबंधित प्रश्न पूछा था। पहले भी ऐसे अनेकों प्रश्न लग चुके हैं जिनका यही उत्तर आता है कि 'सूचना एकत्रित

की जा रही है'। मुझे लगता है कि पिछले तीन वर्षों के अंदर मेरे अपने ही लगभग 15-16 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर दिया जा सकता था। मुझे नहीं मालूम कि विभागों के पास इतनी एफिशिएंसी भी नहीं है क्योंकि वे इसकी सूचना तक नहीं दे पा रहें कि बायोमैट्रिक मशीन्ज कहां-कहां लगी हैं और उनका उपयोग किस विभाग ने नहीं किया है या उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है? अगर विभागों के पास ये सारी चीजें नहीं है तो मुख्य मंत्री जी को इस संदर्भ में निर्देश जारी करने चाहिए कि इन चीजों के जवाब आने चाहिए। वरना हमेशा ही इस प्रकार से जवाब देना कि 'सूचना एकत्रित की जा रही है', फिर इस तरह से तो प्रश्न करने की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से यही कंसर्न है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं **माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए कंसर्न के प्रति गम्भीर हूं और आने वाले समय में इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।**

अगला प्रश्न टी सी द्वारा जारी

03.12.2025/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

प्रश्न संख्या : 3722

राजस्व मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में दिनांक 31.10.2025 तक ठियोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में धारा-118 के अंतर्गत 16 स्वीकृतियां प्रदान की गईं। स्वीकृतियों का नामवार स्थानवार तथा तिथिवार ब्यौरा इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है जो कि सभा पटल पर रख दिया गया है।

कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, ये जो स्वीकृतियां दी गई हैं या इससे पहले जो स्वीकृतियां दी गई थीं उनके तहत जो भी होटल या रिजॉर्ट बन रहे हैं उनसे हमारे क्षेत्र में शिमला के बाद बहुत प्रैशर बढ़ गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां जिन

भवनों का निर्माण हो रहा है क्या वह नियमों के मुताबिक हो रहा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कई जगह पर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है क्योंकि वहां जो रिजॉर्ट या होटल भवन बना रहे हैं वे सरकारी जमीन यानी वन भूमि का अतिक्रमण भी कर रहे हैं। कई जगह गांव के रास्तों को बंद किया जा रहा है और जब गांव वाले विरोध करते हैं तो बाहर से बाउंसर बुलाये जाते हैं। इसके कारण कई बार आपस में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई लेकिन हमने गांव वालों को समझा कर बड़ी मुश्किल से स्थिति को कंट्रोल किया लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह बहुत बड़ी समस्या होने वाली है।

दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है यानी जो सामाजिक दायित्व है क्या उसका निर्वहन हो रहा है? मेरी जानकारी के मुताबिक इसका निर्वहन नहीं हो रहा है और क्या स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देने की शर्त पर अमल हो रहा है? क्योंकि यह हमारे लिए लायबिलिटी बनती जा रही है। हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल सोर्से हैं वे दूषित हो रहे हैं और अगर लोग विरोध करते हैं तो झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं मंत्री महोदय और

03.12.2025/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य में सरकार इस तरफ ध्यान देगी और कोई ऐसी योजना या नियम बनाएगी जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न न हो? हम बड़े रिजॉर्ट्स और बड़े होटल बनने का स्वागत करते हैं लेकिन इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष : वैसे तो this is something else whatever the Hon'ble Member is asking.

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें बहुत-सारे विभाग शामिल हैं फिर भी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 118 में जब हम सैंक्शन देते

हैं तो अगर यह रूरल एरिया में है और एक हजार मीटर से ज्यादा एरिया के ऊपर बिल्डअप होना है चाहे कोई रिसॉर्ट, होटल या कोई बिल्डिंग हो तो वहां पर टी0सी0पी0 एक्ट लागू होता है। बाकी जो पंचायत क्षेत्र हैं, उनको भी पंचायती राज एक्ट में बहुत-सारे कानूनों द्वारा शक्तियां दी गई हैं जिनके प्रयोग से अगर कोई रास्ता रोक रहा है कोई पानी को दूषित कर रहा है तो पंचायत उसके विरूद्ध कार्रवाई अमल में ला सकती है। ये सारी बातें पंचायत के क्षेत्राधिकार में आती हैं और यदि कोई इस प्रकार की कंप्लेंट है तो वहां के नागरिक पंचायत में कंप्लेंट कर सकते हैं। पंचायत को जूडिशियल पावर भी है और वह उनको बुलाकर नियमानुसार फैसला ले सकती है। फिर भी धारा-118 के तहत परमिशन देते समय अगर कुछ कंडीशन्ज लगाने की जरूरत होगी तो हम उन पर विचार करेंगे।

03.12.2025/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0/-3

प्रश्न संख्या : 3723

श्री इंद्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में कुल 43 पटवार सर्कल हैं जिनमें 33 पद भरे हुए हैं और 10 पद रिक्त हैं। अंशकालिक कर्मचारियों के 43 पद हैं जिनमें 31 भरे हुए हैं और 12 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय,......

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-12-2025/1145/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 3723 ----क्रमागत

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल-----जारी

अध्यक्ष महोदय, बड़सर विधान सभा क्षेत्र में सैटलमैंट का कार्य चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि बड़सर सर्किल, भोटा और बिझड़ी में सैटलमैंट का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? वहां पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पद खाली हैं उनको कब तक भरा जाएगा और पटवारियों के पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही फरमाया कि पटवारियों के बहुत ज्यादा पद प्रदेश में खाली पड़े हुए हैं। ये पद पिछले 2-3 वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। पिछली सरकार ने पटवारियों के पदों की भर्तियां नहीं कीं। इस बार 645 पटवारियों के पदों को भरने हेतु कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। हमने इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को इन पदों को भरने के लिए रिकोमेंडेशन भेज दी है और **शीघ्र ही ये भर्तियां की जाएंगी तथा इन पदों को भर दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने दूसरी रिक्तियों के बारे में भी कहा है तो इन पर विचार करके शीघ्र इनको भरा जाएगा।**

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बे समय से लगभग एक वर्ष से लोंगों के निशानदेही के केसिज पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इन केसिज का निपटारा शीघ्र करवाया जाए। दूसरा, वहां पर तहसीलदारों को बार-बार एक्सटेंशन दे रहे हैं उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आपने रिटायर्ड पटवारियों की रि-इम्प्लॉयमैंट की है। वे भी भ्रष्टाचार की तरफ काफी अग्रसर हुए हैं जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तीसरा, तहसील कार्यालयों में जो डॉक्यूमैंट राइटर हैं वे लोगों से रजिस्ट्री के लिए भारी भरकम पैसे ऐंठ रहे हैं। इसके बारे में भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जितना कार्य लैंड रिफॉर्म्ज के अंदर हुआ है शायद ही इतना कार्य पहले कभी हुआ हो। इसमें मुख्य मंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा है। हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर भी बहुत सारे बदलाव

03-12-2025/1145/NS-YK/2

किए हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों को डिमार्केशन के लिए लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है। हमने इसके लिए एक समय सीमा तय की हुई है। वैसे 3 महीने का समय निश्चित किया गया है फिर भी अगर तहसीलदार 6 महीने के भीतर डिमार्केशन नहीं करता है तो वे एक और विंडो में लिख सकते हैं कि किस कारण से कार्य नहीं हुआ अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, हर महीने के आखिरी दो

दिनों में राजस्व अदालत लगाई जाती है। जिसके द्वारा म्यूटेशन, डिमार्केशन या रेवेन्यू से रिलेटिड जो भी समस्याएं हैं तो उनको तहसीलदार महीने के आखिरी दो दिनों में सुनते हैं। इससे भी लाखों इंतकाल हुए हैं और हजारों में करेक्शन्ज और डिमार्केशन्ज हुई हैं। फिर भी अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने सैटलमैंट के कार्य की बात की है तो यह ठीक है कि सैटलमैंट के कार्य में बहुत समय लग रहा है। 10 से 15 वर्ष एक डिस्ट्रिक्ट में सैटलमैंट के कार्य को करने के लिए लग रहे हैं। उसको भी हम फास्ट टैग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने राजस्व से संबंधित ऑल इंडिया लैवल की एक कन्कलेव मनाली में की है जिसमें मॉडर्न टूल्ज का इस्तेमाल करके कैसे तेजी से सैटलमैंट, डिमार्केशन की जा सकती है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम रोबोटिक्स की सहायता से फास्ट टैग में यह काम करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने रि-इम्प्लॉयमैंट की बात की है। यह ठीक है कि हमें रि-इम्प्लॉयमैंट इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि विभाग में 3123 पटवारियों में से 628 पद खाली हैं। इसके लिए हम ही जिम्मेवार नहीं हैं बल्कि पिछली सरकार अगर रेक्रूटमैंट समय पर करती तो इतने पद खाली नहीं होने थे। जो काबिल लोग हैं उनको रि-इम्प्लॉय करके आपकी सेवा के लिए रखा गया है। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें लिखित में दें, हम उनको तुरन्त हटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

प्रश्न संख्या : 3724

(कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया गया)

प्रश्न संख्या : 3725 ....आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

03.12.2025/1150/RKS/एजी-1

प्रश्न संख्याः 3725

श्री डी0 एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सराहनीय कदम है परंतु हिम बस कार्ड को अनिवार्य करने का निर्णय व्यवहारिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए अत्यधिक कठिन सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में शिविरों का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी न होना, कार्ड बनाने की प्रक्रिया का जटिल होना तथा वृद्ध एवं गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्रो तक पहुंचा पाना अत्यंत कठिन है। इन व्यावहारिक समस्याओं के कारण वे अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए यह व्यवस्था नहीं कर सकती कि हिम बस कार्ड बनने की प्रक्रिया सरल और सुलभ होने तक दिव्यांगजन अपने पुराने पहचान पत्र, यू0डी0आई0 कार्ड, मेडिकल प्रमाण-पत्र या दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्राप्त कर सकें?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने इस विषय पर जानकारी चाही है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में 28 श्रेणियों को बस यात्रा में सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिलाओं को 50 प्रतिशत फ्री यात्रा सुविधा दी जाती है। देखने में यह आया है कि बहुत सारे लोग इस सुविधा का मिसयूज कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों की महिलाएं जब हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती थीं तो उन्हें भी यह सुविधा मिल जाती थी क्योंकि महिलाओं के लिए कोई विशेष पहचान पत्र नहीं था जिससे यह पता चल सके कि वे किस राज्य की हैं। इसी प्रकार, स्कूल/कॉलेज छात्रों को उनके निवास स्थान से शैक्षणिक संस्थानों तक रूट निर्धारित हैं लेकिन वे इस कार्ड का उपयोग पूरे प्रदेश में करते थे। HRTC ने जब इस प्रकार के दुरुपयोग को देखा तो यह निर्णय लिया कि हिम बस कार्ड लागू किया जाए जिसमें सभी चीजें एकुरेट होंगी और कार्ड पर फोटो भी अंकित होगी। HRTC ने रेडियो-फ्रीक्वेंसी आधारित कार्ड बनाने का निर्णय लिया है जो हिम परिवार पोर्टल से जुड़ा होगा। नाम और पते की पूर्ण वेरिफिकेशन के उपरांत कार्ड जारी किया जाएगा। दिव्यांगजनों के मामले में भी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होने पर उन्हें निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलती थी परंतु पेपर आधारित प्रमाणों के दुरुपयोग की शिकायतें मिली कि कहीं किसी और के कार्ड पर किसी अन्य की फोटो लगाई जाती थी। इन सभी अनियमितताओं

03.12.2025/1150/RKS/एजी-2

को रोकने के लिए सरकार ने भविष्य में हिम बस कार्ड को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह कार्ड अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराने सिस्टम के आधार पर ही लाभार्थियों को सुविधा दी जा रही है। लाभार्थियों को 01 जनवरी 2026 तक अपना हिम बस कार्ड बनवाना होगा। अब तक हिमाचल प्रदेश में 17,000 लोगों ने हिम बस कार्ड बनवा लिये हैं। पहले HRTC ने इन कार्डों को केवल बस स्टैंड पर ही बनाने का निर्णय लिया था परंतु अब हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में लोकमित्र केंद्रों पर यह कार्ड बनवाये जा सकते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर दे दिया है लेकिन मैं कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो हिम बस कार्ड बनाया जा रहा है उसमें केवल कार्ड शुल्क ही लिया जा रहा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि बाहरी राज्यों की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों में यात्रा करने पर पहचान न होने के कारण 50 प्रतिशत रियायत मिल जाती थी। यदि कोई महिला चंडीगढ़ या पठानकोट से चलकर इंदौरा पहुंचती है तो उसको भी टिकट में 50 प्रतिशत रियायत मिल जाती है। हमने इस कार्ड को हिम परिवार योजना से जोड़ा है जिसमें सभी परिवारों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर दिया गया है जिसके साथ हम सारी योजनाओं को जोड़ रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी तक तीन हजार दिव्यांगजन हिम बस कार्ड बनवा चुके हैं। हम सिर्फ कार्ड बनाने की फीस ले रहे हैं। कार्डधारकों को पांच साल तक अनुदान दिया जाएगा और उसके बाद कार्ड रिन्यू होंगे। यह व्यवस्था रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लागू की जा रही है। धन्यवाद।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

03.12.2025/1155/बी.एस./ए.जी.-1

प्रश्न संख्याः 3726

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि वन अधिकार नियम के अंतर्गत जमीन आबंटित नहीं होती है और न हो सकती है, साथ में यह

भी लिखा है कि वन अधिकार नियम जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 है इसमें राइट्स रिकॉग्नाइज और बैस्ट होते हैं और इन्होंने अपने रिप्लाई में जनजातीय क्षेत्र और गैर जनजातीय क्षेत्रों के बारे में लिखा है। इस संबंध में इन्होंने पिछले वर्ष वर्कशॉप की हैं और वर्ष 2024 से सरकार इस कार्य में लगी हुई हैं। उनका एक डी0ओ0 मुझे भी आया था परंतु इसका उचित लाभ पात्र व्यक्तियों को अभी तक पूर्णतः नहीं मिल पाया है। इस बात को ये खुद लिखते हैं कि वर्कशॉप्स और एक्टिविटीज इसलिए कर रहे हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था जो कम्युनिटीज जनजातीय क्षेत्र में या गैर जनजातीय क्षेत्र में रहती हैं उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाया है इसलिए यह वर्कशॉप्स और अवेयरनेस कंपेन चला रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जमीन तो आबंटित नहीं हो सकती थी परंतु रिकॉग्नाइज राइट्स और बैस्ट करने का इन्होंने खुद अपने जवाब में माना है और साथ में लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर को बजट भी दिया जा रहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। सरकार का डेढ़ साल का समय हो गया और यह कार्य जून, 2024 से शुरू कर दिया था। क्या इसमें अभी तक कोई प्रगति हुई है? क्या कोई केस सैटल हुआ या कोई रिकॉग्नाइज हुआ? क्या आपने किसी के राइट्स ऑर्गेनाइज किये या किसी को बैस्ट राइट किये? अब तक कुछ-न-कुछ डॉक्यूमेंट या कोई लिस्ट तो बनी होगी? कृपया, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्व का प्रश्न यहां पर रखा है परंतु समय की कमी है।

अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा और अभी प्रश्न काल के तीन मिनट बचे हैं आप प्रश्न का पूरा उत्तर दें।

03.12.2025/1155/बी.एस./ए.जी.-2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी डिटेल में उत्तर देना चाहता था कि जो लोग कब्जा धारी हैं उन्हें वर्ष 2006 एक्ट के तहत लैंड आबंटित कर दें? इनका प्रश्न ठीक नहीं था क्योंकि वर्ष 2006 का जो कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो हमारा बन अधिकार अधिनियम है इसके तहत नाजायज कब्जे को जायज करना है यह लैंड एलॉटमेंट का कानून नहीं है। यह कानून जनजाति लोगों के लिए और जो वन के साथ लगे क्षेत्र हैं जो वन भूमि पर कई पुश्तों से रह रहे हैं। उनके राइट्स को रिक्गनाईज करने के लिए बनाया गया है और इस कानून की खूबसूरती यह है कि इसमें एक पैसा खर्च नहीं होना है। इसमें कोई बड़े-बड़े गवाही भी नहीं लगने हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना है। 13 दिसम्बर, 2005 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति किसी वन भूमि के ऊपर अगर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है और वह जीवन निर्वाह को वहां पर प्रूव कर लेता है, जीवन निर्वाह खेती के द्वारा भी हो सकता है, मकान के द्वारा भी हो सकता है या उसके ऊपर वह किसी भी की सिस्म का हो। यदि वह अपना जीवन निर्वाह चारागाह के रूप में कर रहा है, पत्ते लेने के रूप में कर रहा है। इसका बड़ा साधारण प्रोसीजर है। जो दावा पेश करना है दो बुजुर्ग उनके हक में बयान देंगे। एक फोरेस्ट एक्ट कमेटी बनी है वह मौके का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट देंगी। पटवारी उस कमेटी का मेंबर है उस लैंड को आईडेंटिफाई करके उसमें पर्चा, जमाबंदी लगा कर देंगे और फॉरेस्ट राइट कमेटी इस दावे को जो अलग से ग्राम सभा फॉरेस्ट राइट्स ग्राम सभा है उसमें दे देंगे। इस फॉरेस्ट राइट्स की जो ग्राम सभा है वह महौल सभा भी हो सकती है और इसमें पूरी पंचायत भी हो सकती है जो भी वहां के लोग चाहते हैं उसमें 18 साल से ऊपर जितने भी नागरिक हैं उन्हें उसमें वोट डालने का अधिकार है। पंचायत की ग्राम सभा में तो एक व्यक्ति 18 साल से ऊपर वाला ही वोट डाल सकता है परंतु यह जो एफ0आर0ए0 की कमेटी है इसमें 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं और कॉरम के 50 प्रतिशत लोग इनके हक में वोट कर देंगे तो तकरीबन उनके राइ्स सैटल हो जाएंगे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

3.12.2025/1200/डी0टी0/ए0 एस0 -1

प्रश्न सुख्या 3726 जारी..

राजस्व मंत्री जारी....

सब डिवीजन लेवल की कमेटी है जिसमें एस0डी0एम0, तहसीलदार, पंचायत समीति के तीन लोग है इसके मेम्बर हैं, ये देखेंगे कि नियमानुसार यह काम हुआ या नहीं हुआ। इसके बात जिला स्तर पर भी एक कमेटी है जिसमें उपायुक्त हैं और डी0एफ0ओ0 इसके मेम्बर हैं और इसमें भी हमारे तीन जिला परिषद लोगों को मेम्बर रखा गया है और एक सदस्य रेवन्यू विभाग से भी बनाया गया है। इनका भी यही काम है कि ये देखेंगे कि क्या काम नियमानुसार हुआ है या नहीं।

अब मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के एक और भाग में आता हूं जिसमें इन्होंने पूछा कि अभी तक कितने केस हुए हैं। जन-जातीय और गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अभी तक 800 इंडिविजुअल राइटस वाले केसिस हुए हैं और कम्युनिटी राइटस वाले करीबन 200 से 250 केसिस हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस कानून को हम ठीक ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। यह अलग बात है कि मैने स्टेट लैवल पर वर्कशॉप की, रेवेन्यू डिवीजन लैवल पर एक वर्कशॉप की, सब-डिवीजन लैवल पर वर्कशॉप की है और सभी माननीय विधायकों से निवेदन किया है कि इन वर्कशॉप्स में वे भी आएं। बहुत से जिलों की वर्कशॉप में उस जिला के विधायक आए भी बहुत सारे जिलों में नहीं भी आये। अगर विपक्ष इस कानून को आगे ले जाने में हमारी मदद करेगा तो अच्छा होगा। हमारे विभाग द्वारा एक कलैंडर भी आपको छाप कर दिया है, इसकी किताबे और पंपलेटस भी छाप कर दिए हुए हैं, उसके बावजूद अगर जो नजायज कब्जाधारी हैं वह भी इसमें पात्र हो सकते हैं और हमने जो किताबे आपको दी है उसमें यह सब बातें लिखी हुई हैं, उसके अनुसार उनको मान्यता दी जा सकती है, इसलिए विपक्ष को इसमें हमे सहयोग की आवश्यकता है। एफ0आर0ए0 का कानून एक क्रांतिकारी कानून है। 2003 से 2008 तक देश में श्री मनमोहन सिंह,माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जो यू0पी0ए0 की सरकार थी उसके समय में यह क्रांतिकारी कानून बने जिसमें एफ0आर0ए0 का क्रांतिकारी कानून आया, इसमें राइट टू एज्यूकेशन का कानून आया, मनरेगा का कानून आया, राइट टू इन्फर्मेशन का कानून आया, यह सारे क्रांतिकारी कानून तो यू0पी0ए0 सरकार के समय के बने हुए हैं।

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी आपका धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त।

3.12.2025/1200/डी0टी0/ए0 एस0 2

इससे पहले मैं शून्य काल की प्रोसिडिंग्ज टेक-अप करूं मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारी वी0आई0पी0 गैलरी में आज माननीय वेनखेंपो सोनम तेमफल Hon'ble Speaker of Tibetan Government in Exile वे आज की इस प्रोसिडिंग्ज को देखने के लिए यहां आये हैं, श्रीमती डोलमा तेसरिंग जो डिप्टी स्पीकर हैं और इनके साथ 10 अन्य माननीय सदस्य Tibetan Governemnt in Exile जो धर्मशाला में स्थित हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं।

अब शून्य काल की प्रोसिडिंग्ज होंगी और अभी काफी विषय मेरे पास आये हैं और उसमें पहला विषय माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह गांधी का है और यह विषय डी0ए0वी0 स्कूल, डडौर से सबंधित है Hon'ble Member what you want to say? Please be very brief, because we have to take all the issues listed for today's Zero Hour

"डी0ए0वी0 स्कूल, डडौर द्वारा कंसा नाले में किए जा रहे कंस्ट्रक्शन से स्थानीय गांवों को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में श्री इन्द्र सिंह माननीय सदस्य द्वारा शून्य काल में उठाया गया मामला"

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत ही गंभीर है डी0ए0वी0 स्कूल डडोर के द्वारा कंसा खड्ड में एक कंस्ट्रक्शन वॉल बनाई जा रही है। इस कंस्ट्रक्शन के कारण इतनी मुश्किल आम लोगों को हो रही है कि वहां के स्थानी लोगों के द्वारा इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके विराध में लोग सड़कों में भी उतर गये हैं। लेकिन फिर भी डी0ए0वी0 स्कूल का प्रशासन कंसा खड्ड के बीचो-बीच डंगा लगा रहे हैं। इस डंगे के लग जाने के कारण जो कंसा और कावा गांव है उसकी ओर उस नाले का बहाव हो जायेगा। इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस मामले में सरकार गहन विचार करके इसका समाधान निकालें। मैंने मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में पूर्व में भी बात की है कि जो डी0ए0वी0 स्कूल डडोर की जमीन है या तो उसे तबदील किया जाए ताकि यह विवाद खत्म हो सके।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य के द्वारा जो विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है विधान सभा सचिवालय इस पर गंभीर है। आपके इस विषय को संबंधित विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। इस पर की गई कार्रवाई से आपको और माननीय सदन को अवगत करवा दिया जायेगा। ऐसा विश्वास मैं माननीय सदस्य को दिलाता हूं।

3.12.2025/1200/डी0टी0/ए0 एस0 -3

Now Hon'ble Member Shri Malender Rajan will raise his issue under Zrero Hour.

"विद्युत विभाग में आउटसोर्स में लगे टेक्निकल स्टॉफ दुरंर्घटना उपरांत मूआवजा देने के वारे में श्री मलेन्द्र राजन सिंह माननीय सदस्य द्वारा शून्य काल में उठाया गया मामला"

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल के माध्यम से हमारे विद्युत विभाग में आउटसोर्स पर जो टेक्निकल स्टॉफ के कर्मचारी तैनात हैं, चाहे वह ठेकेदार के माध्यम से लगे हैं या आउटसोर्स ऐजेंसी के माध्यम से लगे हैं, उनकी ओर इस सदन का ध्यान आकृषित करना चाहता हूं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03.12.2025/1205/ए.एस.-एन.जी./1

श्री मलेन्द्र राजन ....जारी

विद्युत विभाग में टेक्निकल स्टाफ आऊटसोर्स व ठेकेदारों के माध्यम से रखे जा रहे हैं और अक्सर इनका कार्य जोख़िमपूर्ण रहता है। ये लोग ट्रांसफार्मर पर कार्य करते हैं और हमने कई जगहों पर देखा है कि ये दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये लोग अपने कार्यों को करते हुए अनेक बार गम्भीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे आऊटसोर्सिंग कर्मचारी थे जिनकी काम करते हुए मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की दुर्घटना व मृत्यु होने की स्थिति में क्या सरकार की ओर से कोई मुआवजा राशि का प्रावधान किया जाएगा? मेरा सुझाव है कि ड्यूटी पर तैनात करने से पहले ऐसे कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से लाइफ इंश्योरेंस की जाए ताकि इनके परिवारों की आने वाले समय में आर्थिकी में सुधार हो सके। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि ये लोग बहुत जोखिम में काम कर रहे हैं और इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है, इसलिए पॉलिसी का निर्माण करके इनकी दुर्घटना या मृत्यु होने पर सरकार की ओर से उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाए। धन्यवाद।

Speaker : Again, I think nobody wants to intervene and issue pertains to the framing of some policy, natural the issue is very serious. I hope that this Secretariat has taken a cognizance of this issue also. We will convey your sentiments to the respective department to take further necessary action in this matter. The action taken will be conveyed to you also and to the Vidhan Sabha Secretariat also.

अब माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा अपना विषय इस माननीय सदन में रखेंगे।

नेरवा व चौपाल सिविल अस्पतालों में विभिन्न स्टाफ व अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने के संदर्भ में शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य, श्री बलबीर सिंह वर्मा द्वारा उठाया गया विषय।

03.12.2025/1205/ए.एस.-एन.जी./2

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेरवा व चौपाल सिविल अस्पतालों में डॉक्टर्स के 14-14 पद स्वीकृत हैं। इसी प्रकार स्टाफ नर्सों के 22-22 पद स्वीकृत हैं। नेरवा सिविल अस्पताल में केवल 03 डॉक्टर्स हैं। माननीय मुख्य मंत्री व

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनेक बार वहां पर गए हैं और जनता को आश्वासन दिया है तथा इन्होंने वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने की बात भी की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर मातृ शक्ति को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दो साल पहले आश्वासन दिया था कि हम यहां पर जल्दी ही अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करेंगे लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा वहां पर स्टाफ नर्सिज़, डॉक्टर्स आदि की कमी को भी पूरा करने के बारे में कहा था। इसके अलावा चौपाल, नेरवा, कुपवी, मलाव और बलघार के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व सिविल अस्पतालों में से सारा स्टाफ हटा दिया गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि इन स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की पूर्ती कब तक कर दी जाएगी?

Speaker : Hon'ble Health and Family Welfare Minister wants to intervene.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय माननीय सदन में उठाया है, उसमें कोई दोराय नहीं है कि इनके क्षेत्र में डॉक्टर्स की कमी है। **अभी हालही में 232 डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है और उनमें से इनके क्षेत्र में भी डॉक्टर्स नियुक्त किए जाएंगे।** So far as the matter of ultrasound machine is concerned, the machine is soon be purchased by the Department and will give to him.

03.12.2025/1205/ए.एस.-एन.जी./3

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रेन हार्वेस्टिंग का कार्य न होने के संदर्भ में शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल द्वारा उठाया गया विषय।

अध्यक्ष : अगला विषय माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल रखेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : अध्यक्ष महोदय, यह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का मामला है। वर्ष 2014 के दिसम्बर में रूसा के तहत 01 करोड़ रुपये रेन हार्वेस्टिंग के लिए स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह पैसा वहां पर नहीं लगा है और कोई भी रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। इसके संदर्भ में माननीय राज्यपाल को भी शिकायत पत्र लिखा गया है और उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट राज्यपाल सचिवालय के माध्यम से मंगवाई है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

03.12.2025/1210/डी0सी0-पी0बी0/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल...जारी

विजिलेंस के तहत भी इसका केस दर्ज हुआ लेकिन आज तक 11 वर्षों में यह केस आगे नहीं बढ़ा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं, इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, क्या सरकार इसमें संलिप्त अधिकारियों पर नियमानुसार कोई कार्रवाई करेगी?

Speaker: I want to inform the House that I have allowed the Zero Hour to raise certain important issues pertaining to your constituency, that too a recent occurring. This issue pertains to 11 years back. Eleven years back, you seen,

this issue cannot be raised, however, you have raised this issue, we have taken cognizance of this issue. The Vidhan Sabha Secretariat will be writing to the respective Department as well as the University also that what action the department or the University has taken in this regard. You have said that some enquiry was also instituted and the Governor Office is also seized of the matter. So we will collect all the information and then thereafter come to you. Okay. Thank you.

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharma.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शून्य काल प्रारम्भ करने के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि इससे विधायकों को अपने विधान सभा क्षेत्र के मामलों को सदन में उठाने का मौका मिलता है। इस शून्य काल की सार्थकता और बढ़ जाएगी यदि आप निर्देश दें कि शून्य काल के दौरान मामले से संबंधित मंत्री जी कोई आश्वासन भी दें जैसा अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है।

Speaker: We will ensure the compliance of the issues, which have been raised in this House. Even if the Ministers don't want to intervene, we will have the reply.

03.12.2025/1210/डी0सी0-पी0बी0/2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक ही पंचायत के दो इशूज हैं। मेरा पहला प्रश्न ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से है। मेरे श्री नेना देवीजी विधान सभा क्षेत्र की सोलधा पंचायत में पंचायत घर बनने के लिए दिनांक 08 अक्तूबर, 2024 को 35 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई थी। हालांकि इस सरकार में राशि स्वीकृत होना संभव नहीं होता है लेकिन मेरे अनुरोध पर मंत्री महोदय ने यह धनराशि स्वीकृत की थी। परंतु इस पंचायत घर का निर्माण कार्य टेंडर होने के बावजूद अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस कार्य

में बार-बार अड़चनें डाली जाती है। पंचायती राज विभाग के नाम ज़मीन होने के बावजूद भी कभी वन विभाग के अधिकारी काम रोक देते हैं और कभी पंचायती राज विभाग के अधिकारी ठेकेदारों को नींव खोदने के निशान नहीं देते हैं। मेरा यह आरोप है कि वहां का प्रशासन जानबूझ कर इस पंचायत घर के निर्माण कार्य को रोक रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस पर तुरंत कार्रवाई करें। जब इस बारे में सदन में प्रश्न लगा था तो उसके उत्तर में कहा गया था कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है लेकिन धरातल पर एक इंच भी काम नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इसी पंचायत का एक और मुद्दा है जिसे मैं युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका यह इशू आज की कार्यवाही में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए आप इसे कल पूछ लीजिए।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह इसी (सोलधा) पंचायत का मामला है।

अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए।

03.12.2025/1210/डी0सी0-पी0बी0/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सोलधा पंचायत के कट्टल गांव के लिए खेल का मैदान बनाने हेतु खेल सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा 15 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। यह धनराशि दिनांक 24 फरवरी, 2025 को स्वीकृत हुई और लोक निर्माण विभाग को चली गई। लोक निर्माण विभाग ने इसके दिनांक 17 अप्रैल, 2025 को टेंडर भी कर दिए लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इस कार्य को भी जानबूझ कर लटकाया जा रहा है। इस योजना में प्रावधान है कि युवा सेवाएं एवं खेल विभाग अधिकारी समय-समय पर मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे कि कार्य हो रहा है या नहीं। मेरे बार-बार कहने के बावजूद भी वहां पर कोई अधिकारी नहीं गया है। उस पंचायत के लोग इन दोनों मामलों को लेकर जिलाधीश महोदय से भी मिल चुके हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं

युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस पर जरूर कार्रवाई करे ताकि खेल मैदान हेतु स्वीकृत धनराशि खर्च हो और युवाओं के लिए खेल का मैदान बन सके।

Speaker: Hon'ble Minister for Ayush, Law & Legal, Youth Services & Sports will reply to this.

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

3.12.2025/1215/डी.सी./ए.पी./01

शून्य काल जारी .....

आयुष मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा सदन में जो बात रखी गई है, मैं उसमें यह बताना चाहूंगा कि खेल एवं युवा सेवाएं विभाग हर साल 15 लाख रुपये माननीय सदस्यों के कहने पर उनकी इच्छानुसार प्रदान करता है। माननीय सदस्य द्वारा संज्ञान में लाई गई बात यह है कि जो पैसा दिया गया था, उस पर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने टेंडर जारी किया है, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो पाया है। हमारा खेल विभाग पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग से बात करके इस पर कार्रवाई करेगा और उस काम को जल्द-से-जल्द पूरा करने का प्रयास करेगा।

अध्यक्ष : दूसरा विषय जो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा द्वारा इस सदन के ध्यान में लाया गया है, we have taken cognizance of that and we will inform you also. We will ask the Department to start the work because the budget is available. We will also get to know from the Department that why the work was not started and why they have delayed it.

अगला इश्यू माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी।

3.12.2025/1215/डी.सी./ए.पी./02

श्री सुरेन्द्र शौरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज गाड़ागुशेणी है, जिसका निर्माण कार्य पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। लेकिन उसकी बिल्डिंग का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग बजट की कमी बता रहा है। वर्तमान में उस कॉलेज की कक्षाएं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चार कमरों में संचालित हो रही हैं। इसलिए मैं इस माननीय सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि उस कॉलेज के लिए बजट का प्रावधान जल्द-से-जल्द किया जाए ताकि भवन का निर्माण शीघ्र पूरा हो सके। इसी प्रकार हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैंज में भी कक्षाएं सरकारी स्कूल के चार कमरों में चल रही हैं। उस कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य पिछले 13 वर्षों से जारी है, लेकिन बजट की कमी के कारण पिछले तीन वर्षों से कोई कार्य नहीं हो पाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बंजार का सिविल अस्पताल वर्ष 2016 से निर्माणाधीन है, लेकिन उसकी बिल्डिंग का कार्य भी अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह जितनी भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग का कार्य वहां चल रहा था, वह सब रुका हुआ है। हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा में भी पिछले तीन वर्षों से कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा आई.टी.आई. सैंज की बिल्डिंग का काम भी बंद पड़ा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन सभी भवनों के लिए बजट का प्रावधान किया जाए और जो अधूरा काम अब तक रूका हुआ है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए ताकि कॉलेज की बिल्डिंग बच्चों को समर्पित की जा सके। इन सभी भवनों में पिछले तीन वर्षों से कोई भी कार्य नहीं हुआ है।

अध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय बजट से संबंधित है। माननीय सदस्य द्वारा सदन में जो भावनाएं और विषय रखे गए हैं, उन्हें संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी, उससे हम आपको अवगत करवा देंगे। यदि माननीय आयुष मंत्री आयुर्वेद के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो वे अपनी बात रख सकते हैं।

3.12.2025/1215/डी.सी./ए.पी./03

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिस आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा की बात कर रहे हैं, उसका काम पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2023 में भारी बरसात के कारण हमारे प्रदेश में आपदा आई और इस आपदा से अस्पताल का एक हिस्सा पानी में बह गया। जिससे उसका आधा भाग टूट चुका है। मैं स्वयं अधिकारियों के साथ वहां गया था और माननीय मुख्य मंत्री जी भी वहां पहुंचे थे। उस समय हमने केंद्र सरकार को भी लिखा था। आज हमारे पास आयुर्वेदिक अस्पताल बजौरा की बिल्डिंग के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है। इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल की जो बिल्डिंग टूट चुकी है और जिसका हिस्सा नदी में चला गया है, वहां रिटेनिंग वॉल का काम शुरू हो चुका है। यह कार्य आई0पी0एच0 विभाग द्वारा किया जा रहा है क्योंकि आयुर्वेदिक अस्पताल के साथ ही आई0पी0एच0 विभाग की बिल्डिंग भी है, जिससे दोनों भवनों की सुरक्षा का काम चल रहा है। इसके अलावा हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है और अपने बजट में कटौती करके उस हिस्से को भी बनाने का निर्णय लिया है जो पानी में बह गया था। उस हिस्से को बनाने में लगभग 45 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इस विषय पर हम एन.आई.टी. के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और आने वाले छह महीनों में इसका विधिवत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जो हिस्सा पानी में चला गया है उसे हटाया जाएगा और शेष बिल्डिंग का काम भी पूरा कर दिया जाएगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

03.12.2025/1220/AT/HK/01

अध्यक्षः अब श्री केवल सिंह पठानिया गद्दी समुदाय की बाडी, हाली, सिपी, डोगरी आदि प्रजातियों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने के संबंध में अपना विषय उठाएंगे ।

श्री केवल सिंह पठानिया(उप-मुख्य सचेतक)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। यह मामला पिछली बार बजट सत्र में भी मैंने प्रश्न के माध्यम से

उठाया था। जो एस0टी0 का स्टेटस है वह बना रहना चाहिए उसमें चाहे भरमौर के लोग हों चाहे जिला कांगड़ा के लोग हों। क्योंकि जिला कांगड़ा में भी गद्दी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

पहले तो लूणा पुल से आगे का जो छतराड़ी क्षेत्र है वह क्षेत्र जनजाति क्षेत्र कहलाता था। लेकिन बाद में वर्तमान सरकार ने गद्दी समुदाय के लोग चाहे वे कांगड़ा में हो या प्रदेश के किसी कोने में भी हो उन्हें जनजाति का दर्जा दिया। लेकिन लंबे समय से चाहे वह बाडी, हाली, सिपी, डोगरी, रेहाड़े, लोहार, ब्राह्मण, जट, राजपूत, खन्नी, ठाकुर, राठी, तरखान हों, यह लोग वहां नहीं रहते पर रेवन्यू रिकार्ड में इनकी एंट्री सभी जगह हो गई। लेकिन खासकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में "गद्दी" एक सब-ट्राइबल का नाम था और बाडी, हाली, सिपी, डोगरी, रेहाड़े, लोहार नहीं थे लेकिन जब मांग उठी उनका सेटलमेंट के रिकार्ड में नाम था। लेकिन यह नाम नीचे कहीं भी लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इसके कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र में और चंबा के अंदर भी ये उपजातियां लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्हें गद्दी जनजाति में शामिल किया जायेगा? ये लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले थे और माननीय मुख्य मंत्री द्वारा डिप्टी कमिश्नर को आदेश भी दिए गये और उपायुक्त ने इसे रिकोमेंड भी किया । इसको एक उपायुक्त ने नहीं बल्कि कांगड़ा जिला तीन-तीन उपायुक्तों द्वारा रिकोमेंड किया गया है। उमसें चाहे राकेश प्रजापति हों, चाहे निपुन जिंदल और या वर्तमान डी0सी0 हों। इस पर सर्वे भी किया गया। संयुक्त सचिव, राजस्व द्वारा कानून के अनुसार इस मामले में कांगड़ा आकर हियरिंग भी की गई और इस प्रकार की तीन हियरिंग्ज की गई। उनके द्वारा भी सरकार को यह रिकोमेंड किया गया कि इन लोगों को गद्दी का स्टेटस मिलना चाहिए। जिला परिषद और नगर निगम के हाउस द्वारा भी इसे रिकोमेंड किया गया कि यह जो जातियां छूट चुकि हैं इन्हें जनजाती श्रेणी में शामिल किया जाए।

03.12.2025/1220/AT/HK/02

मैं इस सदन से भी यहीं मांग करता हूं इन जातियों को जनजाति का स्टेटस दिया जाए। क्या ट्राइबल होते हुए इन लोगों को गद्दी जाति का दर्जा न देना तर्कसंगत व कानून के अनुसार ठीक है? गद्दी समुदाय हमारे समाज का अभिन्न अंग है। जो इनकी अपनी बोली और रहन-सहन है भी गद्दियों की तरह ही है और इनकी रिश्तेदारी भी उनके साथ है। इसलिए जो ये सब-जातियां छूट गई हैं इनको गद्दी का स्टेटस दिया जाना चाहिए।

चंबा एक आकांक्षी जिला है। पहले तो लाहौल व स्पिति, किन्नोर व भरमौर तिनों क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र थे। लेकिन विशेष कर चम्बा की बात करूंगा वहां पर करोड़ो रुपये के पॉवर प्रोजैक्ट लगे और भरमौर से बहुत से लोग आकर भटियात, कांगड़ा और ऊना में बस गये। भरमौर से लगभग 80 प्रतिशत लोग तो गैर जनजातीय क्षेत्रों में आकर बस गये हैं। मैं यह बात भी इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो लोग वहां से माइग्रेट कर चुके हैं तो प्रपोशनल पैसा चम्बा जिला में लगे पॉवर प्रोजैक्ट से लिया जा रहा है उनका निवेश कांगड़ा जिले के इन-एण्ड अराउंड करना चाहिए क्योंकि वहां से बहुत से लोग कांगड़ा जिले में आकर बस चुके हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका विषय आ गया। Again very important issue which you have brought before the House. We have taken a cognizance of this issue also and we will take up this issue with the Revenue Department for further action at their end and whatever action the department will be taking or has taken, you will be informed accordingly and we will also inform this House. Thank you very much.

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Ram Kumar ji. Please be very brief.

03.12.2025/1220/AT/HK/03

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय है कि जिन लोगों के आधार कार्ड में उनकी आयु गलत अंकित हुई है, उसके शुद्धिकरण के बारे में। दिक्कत यह है कि जब वह अपना आधार कार्ड सही करवाने लोकमित्र केंद्र जाते हैं, तो उन्हें सुझाव दिया जाता है कि आप चण्डीगढ़ जाएं। लेकिन जब वे चण्डीगढ़ जाते हैं, वहां भी उनके आधार कार्ड को करेक्ट नहीं किया जाता। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि प्रदेश सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे कि हमारे यहाँ के लोकमित्र केंद्रों में ही आधार कार्ड का करेक्शन हो सके।

एम0डी0 द्वारा जारी....

03-12-2025/1225/HK/MD/1

अध्यक्ष : यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसको आपने माननीय सदन के ध्यान में लाया और हमने इसको रजिस्टर किया है and we will ask the Government to take further necessary action in this matter and the action taken will be conveyed to you also and that will be a part of the record also.

Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Jeet Ram Katwal ji.

श्री जीत राम कटवालः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल में झंडूता चुनाव क्षेत्र से संबंधित राजस्व अधिकारियों के रिक्त पदों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। झंडूता तहसील हेडक्वार्टर है और इसकी एक सब-तहसील कलोल है। झंडूता में न तहसीलदार है न ही नायब तहसीलदार है और न ही कलोल में नायब तहसीलदार है। यह एक पिछड़ा क्षेत्र भी है इसमें 14-15 पंचायत जो हैं वे कोर्ट-धार और भाखड़ा तक फैली हुई हैं। इस तरीके से पिछले दो महीनों में लोग बड़ी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि इस बारे में सरकार गौर करे। मैं कहना चाहूंगा कि यहां एक यंग महिला अधिकारी यानी के एच0ए0एस0 तहसीलदार अधिकारी अफसर लगे थे। पार्टीशन का कोई केस था और उसका रिकॉर्ड एलिजिबल नहीं था। उस रिकॉर्ड के बारे में उन अधिकारी ने जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को यह रेवेन्यू सेक्रेटरी तक बात पहुंचाई

और यह मामला हाई कोर्ट में था तथा बिना किसी रिकॉर्ड को देखे हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि यह तहसीलदार काम करना नहीं चाहता। इसको यहां से रिप्लेस किया जाए। यह एक बड़ा एडवर्स आर्डर आया। सरकार ने शायद उसका नोटिस लिया या न लिया। मैं मानता हूं कि यह नए अधिकारियों को एक डिमोरालाइज होने वाली स्थिति भी है। इस तरीके से जो रिकॉर्ड एलिजिबल नहीं है, जो रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है और जिसके बारे में सरकार को सूचित भी किया गया है। उसके बावजूद भी ऐसा एडवर्स आर्डर आ जाए और सरकार की तरफ से कोर्ट में जो वकील खड़े होते हैं, वह कोई बात करते और एक ऐसा one sided totally or without facts आर्डर आया है तो उसके बारे में भी विचार करें और सरकार उसकी कार्रवाई करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित रिक्तियों की स्थिति का मुद्दा उठाया है, जिसका उल्लेख प्रश्नकाल में भी हुआ था और जिस पर माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर भी दिया है। फिर भी विधानसभा सचिवालय इस विषय में राजस्व विभाग को पुनः अवगत कराएगा, और की गई कार्रवाई की

03-12-2025/1225/HK/MD/2

जानकारी हमें भी तथा आपको भी उपलब्ध कराई जाएगी। The second matter pertains to the Court and we are not taking a cognizance of this issue. Thank you.

Next issue will be raised by Hon'ble Member Smt. Anuradha Rana ji.

सुश्री अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से मैं लाहौल-स्पीति में इस वर्ष बालन लकड़ी की आपूर्ति से संबंधित उत्पन्न हुई समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यह सर्वविदित है कि स्पीति घाटी को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -25 से -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। लाहौल में भी इसी प्रकार कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है। वर्ष 1983 से वन निगम द्वारा इन दूरस्थ क्षेत्रों में लकड़ी की आपूर्ति की जाती रही है। परंतु इस वर्ष आपूर्ति में कई प्रकार की समस्याएं सामने आई, जिसका मुख्य कारण आपदा थी। आपदा के कारण हमारे मुख्य संपर्क मार्गों सहित कई आंतरिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे जंगलों से लकड़ी लाने

में कठिनाई आई। हमारे लाहौल-स्पीति जिले को वन निगम की दो शाखाओं एक कुल्लू और दूसरी रामपुर डिवीजन से लकड़ी फीड की जाती है। स्पीति घाटी की वार्षिक मांग लगभग 30,000 क्विंटल रहती है, जबकि लाहौल की मांग लगभग एक-तिहाई, यानी 10,000 से 11,000 क्विंटल रहती है। इस बार आपदा के कारण आपूर्ति में विलंब हुआ और टेंडर भी काफी देरी से हो पाए। हम मानते हैं कि आपदा इसका मुख्य कारण थी, परंतु इसके अतिरिक्त दो और प्रमुख कारण हमारे संज्ञान में आए हैं। पहला, यह देखा गया कि ठेकेदारों पर लगने वाली पेनल्टी में बढ़ोतरी की गई है जो पहले 3% थी, उसे बढ़ाकर 5% कर दिया गया है और

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1230/केएस/वाईके/1

कुमारी अनुराधा राणा जारी----

साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस जो इनसे पहले 12 लाख रुपये प्रॉपर्टी के वैल्यू के तौर पर ली जाती थी, वह अब 75 लाख रुपये कर दी गई है। तो कहीं न कहीं जो कॉंट्रैक्टर की मांग थी, जिसको उन्होंने सरकार के समक्ष रखा भी है, मेरी सरकार से यह मांग है कि इस पर विचार किया जाए क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे यहां बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बालन की लकड़ी पर लोगों की बहुत ज्यादा निर्भरता है। बिजली के उपकरणों पर हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि जगज़ाहिर है कि स्पिति घाटी लम्बे समय से बिजली की समस्या से जूझ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन रहेगा कि जो भी इसमें इशूज़ आ रहे हैं, आपदा भी एक इशू है जिसके बारे में हम सभी समझ सकते हैं परंतु उसके अलावा कॉंट्रेक्टर से सम्बन्धित जो यह इशू है, इस बारे में यह सदन विचार करें। इसमें इस बार विलंब हुआ और 3 मई को डिविजन कुल्लू द्वारा स्पिति को जो एक चिट्ठी जारी हुई थी कि इस बार आपको लकड़ी की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जैसे ही वह मामला मेरे ध्यान में

आया, हमने उस बात का संज्ञान लिया और इस हाउस, सम्बन्धित सचिव व मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह मामला लाया। उसके बाद इस पर कार्य हुआ। अभी भी दिसम्बर का महीना शुरू हो गया है परंतु इसकी आपूर्ति सिर्फ 50 प्रतिशत तक हुई है। आप सभी जानते हैं कि आजकल स्पिति घाटी में बहुत ज्यादा ठंड है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाए और इस मामले का संज्ञान ले कर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जिला लाहौल स्पिति को अगले वर्ष से इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने फिर से एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है। हमने इसका संज्ञान भी लिया है और जो आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उनको सरकार व विभाग तक भी पहुंचायेंगे और इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि लाहौल-स्पिति में सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए बालन की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। धन्यवाद ।

अब अंत में माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी चर्चा में भाग लेंगे।

03.12.2025/1230/**केएस/वाईके**/2

श्री नीरज नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल के दौरान बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, चम्बा में जवाहर लाल नेहरू मैडिकल कॉलेज के लिए सरकार ने 175 करोड़ रुपये उसके फर्स्ट फेज़ को कम्पलीट करने के लिए दिए थे। अब उसका फर्स्ट फेज़ का कार्य टोटली कम्पलीट है। लगभग 8-9 महीने उस बिल्डिंग का कार्य पूर्ण हुए हो चुके हैं। मिंजर के मेले में उसको नीचे शिफ्ट करने की बात चल रही थी लेकिन फर्नीचर और इसके मैडिकल इक्विपमैंट्स के लिए जो पैसा आया था, लगभग 6-7 महीने से उसके टेंडर लगाए गए हैं लेकिन किसी कारण वे आगे स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहूंगा कि क्योंकि बिल्डिंग पूरे तरीके से तैयार है और हम उसका श्रीगणेश नीचे करना चाहते हैं लेकिन वह बिना इक्विपमैंट्स के नहीं हो सकता।

फर्नीचर के लिए भी और इक्विपमैंट्स के लिए भी पैसा पड़ा है लेकिन किसी कारण टेंडर में बार-बार देरी हो रही है। अतः इस बात पर तुरंत एक्शन लिया जाए।

दूसरे, मैं एक और मांग रख रहा हूं कि माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जी पिछले साल चम्बा आए थे। मैं भी इनके साथ वहां मैडिकल कॉलेज में गया था। मंत्री जी को याद होगा कि आपके समक्ष वहां लोकल पंचायत के लोगों ने ऊपर की साइड से उसमें एक एंट्री गेट खोलने की डिमांड रखी थी और आपने वहां मौके पर आश्वासन भी दिया था कि इसको पूरा कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उसका एस्टीमेट बनाकर आपके समक्ष भेज दिया गया है। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट है कि वहां मेन रोड से एक एंट्री प्वाइंट सरोल के लोग ऊपर से चाह रहे हैं। वहां जगह भी है और लोक निर्माण विभाग ने उसका एस्टीमेट भी बना दिया है जो कि सबमिट हो गया है। इसके लिए भी जो भी धन का प्रावधान करना है, अतिशीघ्र वह किया जाए ताकि जब नीचे यह मैडिकल कॉलेज शुरू होगा तो सरोल, हरिपुर, राजपुरा आदि पंचायत के लोगों को वहां घूमकर न जाना पड़े। ऊपर से ही एक छोटी गाड़ी का रास्ता मिल जाए। धन्यवाद ।

Speaker : Hon'ble Health & Family Welfare Minister wants to intervene.

03.12.2025/1230/**केएस/वाईके**/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो इशूज़ उठाए हैं, किन्हीं कारणों से I think for the technical reasons वह सारा बन भी चुका है, they have been delayed but both issues that he has raised will be gone into and action will be taken also.

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अ0व0 द्वारा जारी--

03.12.2025/1235/av/yk/1

नियम -62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे।

सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय लोक निर्माण मंत्री इसका उत्तर देंगे। अगर क्लेरीफिकेशन की जरूरत होगी तो चेयर की परमिशन से माननीय सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री भवानी सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-62 के अंतर्गत "to call the attention of the house for the delay in completion of PMGSY Phase-III in District Kangra."

मेरा कंसर्न जिला कांगड़ा का उतना नहीं है बल्कि इसमें ज्वालाजी, ज्वाली तथा देहरा के अतिरिक्त एक-दो निर्वाचन क्षेत्र और हैं। यह पूरा पैकेज पी0एम0जी0एस0वाई0-iii के अंतर्गत क्रिएट हुआ था। यह बहुत बड़ी तकनीक है जिसको एफ0डी0आर0 (Full Depth Reclamation) बोलते हैं। इस एफ0डी0आर0 तकनीक के अंतर्गत एक मशीन ऐसी है जोकि सड़क के ऊपर चलती है और सड़क की एग्जिस्टिंग टारिंग को उखाड़ती है तथा उखाड़ने के बाद उसको पल्मराइज़ करती है। पल्मराइज़ करने के बाद उसमें सीमेंट मिलाया जाता है जिससे रोड की स्टेबलाइजेशन होती है। स्टेबलाइजेशन के कुछ समय बाद फिर से रोड की टारिंग कर दी जाती है। इस तकनीक के बहुत सारे फायदे बताए गए थे। जिनमें सबसे ज्यादा फायदा यह

बताया गया था कि यह तकनीक स्टेबलाइजेशन बैटर करती है और कॉस्ट कम लगती है। इस प्रकार की जो सड़कें बनेंगी वे ग्रामीण क्षेत्र में एकदम वर्ल्ड क्लास बनेंगी और रोड्ज का ग्रेड भी इम्प्रूव हो जाएगा।

मेरा इस विषय को चर्चा के लिए लाने के पीछे तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार इस पैकेज की वैल्यू लगभग दो-अढ़ाई सौ करोड़ रुपये है। इसमें तीन सड़कें मेरे निर्वाचन क्षेत्र की है, 6 सड़कें ज्वालामुखी और 5 सड़कें ज्वाली की हैं। मुझे लगता है कि सारा मिलाकर यह दो-अढ़ाई सौ करोड़ रुपये का पैकेज है। परंतु दुर्भाग्य से यह पैकेज उस व्यक्ति के पास चला गया जिसके पास न तो अपनी

03.12.2025/1235/av/yk/2

मशीन है और न ही उसके पास एग्जिक्यूट करने के लिए पैसा है। इसमें प्वाइंट यह है कि यह काम एक गर्ग एण्ड कम्पनी नाम के ठेकेदार ने लिया है। उस ठेकेदार ने काम करने की कोशिश की लेकिन वह न तो मशीन्ज प्रोवाइड करवा पाया और न ही वह सब-कॉंट्रेक्टर्ज को पेमैंट्स कर पाया। इसमें पहली चीज तो यह है कि choice of the contractor एक सबस्टेंडर्ड साबित हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के व्यक्ति को दोबारा काम न दिया जाए। इसके पीछे दो-तीन कारण हैं। इसमें सर्वप्रथम तो पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। अगर पूरे-के-पूरे पैकेज के ऊपर 10 प्रतिशत पेनल्टी भी इम्पोज की जाती है तो लगभग 20-22 करोड़ रुपये बच सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि अगर पेनल्टी से भी गुजारा नहीं चल रहा है तो ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए ताकि दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार से फर्जी फर्में आकर हमें एक्सप्लॉइट न करें। इसमें तीसरी चीज यह है कि एफ0डी0आर0 का फायदा तब है जब पल्मराइजेशन, स्टेबलाइजेशन और कम्पैक्शन के एक महीने के तुरंत बाद इसकी टारिंग कर दी जाए। अब हुआ क्या कि फतेहपुर सहित बाकी जगहों पर भी सड़क तो उसने आज से लगभग 8 महीने पहले उखाड़ दी। लेकिन उसके बाद पूरी बरसात उन सड़कों पर गिरती रही और टारिंग अभी तक उन रोड्ज की नहीं हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या यह एफ0डी0आर0 तकनीक को अभी भी जस्टीफाई करती है या

इसकी दोबारा से कम्पैक्शन करनी पड़ेगी और उसके बाद उसकी टारिंग हो पाएगी? अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से जो पेमैंट हमने इस को ठेकेदार करनी है और वह जो टैक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरी नहीं कर पाया है, तो इसकी पेमैंट काटकर या फिर एफ0डी0आर0 के संदर्भ में रीवर्क करके टारिंग की फिर से परमिशन देनी चाहिए।

आज लगभग 8 महीने का समय हो चुका है। पूरी बरसात के अंदर कितने लोगों के टायर फटे, कितनी दुर्घटनाएं हुईं और लोग सरकार को पता नहीं कितनी गालियां निकालते रहें, हमारे पास उसकी गिनती नहीं है। लेकिन प्वाइंट यह है कि नेक्स्ट लेवल की टैक्नोलॉजी के बाद जो एक प्लेज़रेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वह कुछ ठेकेदारों या फर्म्ज की वजह से हमाारे लिए 'pain in the neck' बन चुका है।

03.12.2025/1235/av/yk/3

मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम इस फर्म को पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं? दूसरा, क्या हम इसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तथा तीसरा, क्या हम इन टैण्डर्ज को कैंसिल करके उस काम को किसी दूसरे ठेकेदार या फर्म के थ्रू समय पर एग्जिक्यूट करवा सकते हैं? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस दो-अढ़ाई सौ करोड़ रुपये के पैकेज के बजाय इसके सिंगल-सिंगल टैंडर होने चाहिए ताकि हिमाचल के अपने ठेकेदार जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वे भी इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकें।

अध्यक्ष **टी सी द्वारा जारी**

03.12.2025/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0/-1

Speaker: You can ask clarification in any case if you feel you are not satisfied with the reply of the Hon'ble Minister.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी नियम-62 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, वह प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के कार्य में हो रही अनियमितताओं और एक्जीक्यूशन में हो रहे विलम्ब के बारे में है। मैं इनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि प्रदेश में जितने भी सड़क निर्माण कार्य चल रहे हैं वे अधिकतर पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत चल रहे हैं उनको समय रहते पूरा करवाना हमारी सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है और इन्हें हम पूरी मजबूती से कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से कांगड़ा जोन के विषय में बात रखी है जिसमें देहरा, पालमपुर और नूरपुर तीन सर्कल हैं। इसमें कुल-मिलाकर 57 सड़कें आती हैं जिनमें से 23 सड़कें कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यानी पुराने तकनीक के माध्यम से बनाई जा रही हैं और इनमें जी-। व जी-॥ बिछाई जाती है। इसके अलावा 7 सड़कें सीमेंट ट्रीटेड बेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और 27 सड़कें एफ0डी0आर0 यानी फिक्स्ड डेप्थ रेक्लमेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जा रही हैं जिसका अभी इन्होंने उल्लेख भी किया गया। इनमें से चार सड़कें कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और उनका कार्य पूरा हो चुका है तथा 15 सड़कें ऐसी हैं जिनका कार्य 75 से 90 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इनका कार्य मार्च, 2026 तक पूर्ण रूप से पूरा कर दिया जाएगा। 14 सड़कें ऐसी हैं जिनका 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। 19 works have slow progress and we are monitoring closely on day to day basis. और बैलेंस पांच सड़कें ऐसी हैं जिनको हमारे चीफ इंजीनियर द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। जिस दिन विधान सभा सत्र शुरू हुआ उसी दिन मैंने सचिव, लोक निर्माण और अन्य आला अधिकारियों के साथ विशेष रूप से जिला कांगड़ा की रिव्यू बैठक की क्योंकि लगातार माननीय सदस्यों के माध्यम से कंप्लेंट्स आ रही थीं और मुख्य मंत्री जी ने भी इस बारे में संज्ञान लिया तथा निर्देश दिए कि इनका कार्य समय पर पूरा होना चाहिए। इसलिए हमने इनकी रिव्यू बैठक की और इसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ज्वालामुखी में चार सड़कें एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एक सी0टी0बी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाई जा रही है। वहां के माननीय विधायक श्री संजय रत्न जी ने भी इस विषय को कई

03.12.2025/1240/टी0सी0वी0/ए0जी0/-2

बार हमारे ध्यान में लाया और हमने एक्शन लेते हुए सभी कार्यों को टर्मिनेट कर दिया। रिमेनिंग वर्कस के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि टेंडर कॉल किए जाएं और शेष कार्य पूरा किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी की बात है, क्योंकि हमारा प्रदेश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है इसलिए हमारी एक लॉजिकल रिस्पोंसिबिलिटी है कि प्रदेश सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े। रिसोर्सिज का सही इस्तेमाल हो, यह भी हमारी रिस्पोंसिबिलिटी है। केंद्र सरकार से इसके बारे में समय-समय पर गाइडलाइंस मिल रही हैं कि देश में जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है उसको समय रहते कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना सुनिश्चित किया जाए और इन्हीं सड़कों में पहली बार हिमाचल में फुल डेप्थ रेक्लेमेशन टेक्नोलॉजी पी0एम0जे0एस0वाई0 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ टीपिंग इश्यूज रहे क्योंकि शुरू में प्रदेश के ठेकेदारों के पास मशीनें उपलब्ध नहीं थीं। इसलिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों से भी कॉन्ट्रैक्टर आए

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-12-2025/1245/NS-AG/1

लोक निर्माण मंत्री -----जारी

तथा उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस समय पी0एम0जी0एस0वाई-III में इसके कलस्टर्ज बनाए गए और बाहर के बहुत से लोगों ने काम लिया। अब हमें इसमें समय-समय पर यह समस्या देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि the Full Depth Reclamation of asphalt pavement is a rehabilitation method that involves recycling of the existing distressed bituminous layer of an existing pavement along with the predetermined thickness base layer. The Technology in the State was accepted in compliance with the conditions of Ministry of Rural Development guidelines for adopting Green Technology and New Technologies in PMGSY under PMGSY-III.

The prime advantages of Full Depth Reclamation are that pavement distress can be treated satisfactorily, its cost effectiveness, क्योंकि सस्ता पड़ता है। हम उसी मटीरियल को बार-बार यूज कर रहे हैं। उसको पल्वराइजेशन, उसको ट्रीटमैंट करवाने के बाद, and early opening of traffic during the construction, reduce time and eliminate the material disposal issue, the new material is not required leading to saving/conserving the natural resources, the air quality is not polluted during the construction and above all it reduces the carbon footprint. तो यह मैं कहूंगा कि नई टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें कई जगहों पर समस्याएं आ रही हैं। शाहपुर में भी कुछ ऐसी सड़कें थी जिनमें डीले चला हुआ था। मैंने इसमें विभाग को इंस्ट्रक्शन्ज दी हैं और ठेकेदार ने कुल्लू में भी काम लिया था तथा वहां से मशीनें शाहपुर के लिए मंगवाई गईं। मैं वहां की दो दिन में इंस्पैक्शन करूंगा। विभाग ने कहा है कि तकरीबन एक महीने के भीतर पी0एम0जी0एस0वाई0 का जो कार्य शेष है वह पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमें एक और टेक्निकल समस्या आ रही है। हमें एस0एन0ए0-स्पर्श ऐप की समस्या आ रही है क्योंकि पेमैंट समय पर हो, यह भी हमारा दायित्व बनता है। आप जानते हैं कि पहले जिस रूट से पेमैंट होती थी तो अब इसमें न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, SNA-SPARSH was introduced in this financial year, which affected timely release of contractor payments. उसकी वजह से भी कई जगहों पर काम ढीला पड़ गया क्योंकि उसमें केंद्र सरकार की अलग गाइडलाइन्ज हैं और उसको भी हमने

03-12-2025/1245/NS-AG/2

अपने मॉड्यूल में इम्प्लीमैंट कर लिया है तथा उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे ताकि कोई भी ऐसी समस्याएं ठेकेदारों को न हों। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर भी ये समस्याएं आ रही हैं जैसे मैंने कहा कि पालमपुर में 24 सड़कें, नुरपूर में 19 सड़कें, देहरा में 14 सड़कें और कुल 57 सड़कें हैं। इसमें पर्टिकुलरली एफ0डी0आर0 की जो सड़कें हैं वहां पर यह समस्या आ रही है। उस पर एक्शन लेते हुए जैसे मैंने कहा कि 4 और 5 नम्बर सड़क की टर्मिनेशन कर दी है। अगर और भी कहीं पर ऐसा लगेगा तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विश्वास

दिलाना चाहता हूं कि हम क्वालिटी का कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम गुणवत्ता का कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सिज का समय के ऊपर उपयोग हो तो ये हमारी रिस्पोंसिबिलिटी है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी ठेकेदार विभाग के ऊपर हावी नहीं होंगे। यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। हमने अभी तो इनको टर्मिनेट किया है परन्तु अगर समय के ऊपर कार्य पूरा नहीं होगा, अभी भी इसकी मीटिंग हो रही है और वे अपना रिप्रेजेंटेशन्ज सेक्रेटरी और डिपार्टमैंट को देंगे and even we have to go to the extent of blacklisting them, हम यह भी आने वाले समय में करेंगे कि भविष्य में उनको प्रदेश में किसी सड़क का कार्य न दिया जाए। मुख्य मंत्री जी ने भी मेरे साथ इस बारे में चर्चा की है और एक व्यू बनाया है कि आने वाले समय में विशेष तौर पर पी0एम0जी0एस0वाई-IV का भी काम शुरू होने वाला है उसमें हम कोशिश करेंगे कि दो से ज्यादा सड़कों का कार्य किसी भी कॉन्ट्रेक्टर का न दिया जाए। जब वह उसका काम कर लेगा तो हम उसको और सड़कों का कार्य आने वाले समय में देंगे ताकि उससे गुणवत्ता मेंटेन रहे और प्रदेश के ठेकेदारों के कार्य में सुधार हो। यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि बाहर से जब हमने पीछे पैकेजिज बड़े बना दिए तो उसमें लोकल कॉन्ट्रेक्टर्ज, प्रदेश के कॉन्ट्रेक्टर्ज क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। अब तो कॉन्ट्रेक्ट में भी यह प्रोवीजन है कि आप किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एक बार अंडरस्टैंड करनी होती है और हम वह भी कर रहे हैं। In the times to come we have to empower our own people. We have to give them guidance. We have to support them ताकि प्रदेश के ठेकेदार उस स्तर पर आने वाले समय में पहुंच सकें। उस दृष्टि से भी दो ठेकेदारों को टर्मिनेट किया गया है और जो ये प्रथा है इसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमैंट करेंगे।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

03.12.2025/1250/1

भवानी सिंह पठानिया जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जो यहां पर विचार रखे हैं उस पर विभाग गंभीरता से काम करेगा। हम डे-टू-डे मोनिटरिंग कर रहे हैं ताकि समय पर कार्य पूर्ण किए जाएं। यह हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि जहां पर

समय पर कार्य पूर्ण नहीं होंगे वहां पूरी तरह से मंजी ठुकाई करवाई जाएगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय भवानी सिंह पठानिया जी क्या आप कुछ स्पष्टीकरण चाहेंगे?

श्री भवानी सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूं लेकिन इसमें मेरा छोटा-सा प्वाइंट यह रहा गया है कि एफ0डी0आर0 टेक्नीक के अंदर चार मेन स्टेप हैं। पहला पलवराइजेशन जोकि उसे उखाड़ता है। दूसरा केमिकल इत्यादि मिलाकर रोड को स्टेबलाइज करते हैं। तीसरी उसकी कंपैक्शन होती है। चौथी उसकी ओवर लेयर सीमेंट या टारिंग की होगी। उदाहरण के तौर पर मेरे चुनाव क्षेत्र में 12-13 किलो मीटर की एक सड़क है जिसके तीन स्टेप आज से 8-9 महीने पहले पूरे हो गए थे। अब उसकी सिर्फ टारिंग करना बाकी है। मेरा प्वाइंट यह है कि जो हमने टेक्नीक लगाई है क्या यह सस्टेनेबल है? क्या उसकी कॉम्पैक्शन अभी तक वैलिड है। क्योंकि उस कच्ची सड़क पर पिछले 7-8 महीनों से बारिश पड़ती रही है और नीचे जो कॉम्पैक्ट किया गया है वह सारा बाहर आ गया है। अगर हम इसके ऊपर सीधा टारिंग कर देते हैं तो क्या यह सड़क स्टेबल रहेगी? यह एक बार एक्सप्लोर करना जरूरी है कि जहां-जहां तीन स्टेप हो चुके हैं do we need to do the compaction again and than to the tarring क्योंकि यह इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि यह इशू यहां पर रेज हो गया है और अब यहां से नीचे जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। सड़क में जबरदस्ती टारिंग कर दी लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। कागजों में तीन स्टेप कंपलीट हैं लेकिन टेक्निकली उस सड़क की स्टेबिलिटी अभी भी होल्ड कर रही है। मेरा आग्रह है कि इसे एक बार चैक करवाकर टारिंग का काम किया जाए। उसके बाद I would request the Hon'ble PWD Minister to start the tarring after that. आप एक बार इसकी असैसमेंट कर लीजिए that does the compaction still hold after seven month of incessant rain fall in Himachal Pradesh on these roads.

03.12.2025/1250/RKS/एएस-2

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने with regard to the quality of tarring जो बातें यहां पर रखी हैं उसमें बरसातों की वजह से नुकसान हो रहा है या नहीं, यह देखने का विषय है। हालांकि एफ0डी0आर0 में बरसातों की वजह से इतनी दिक्कत नहीं है लेकिन हम फिर भी इसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमने आपके वहां चल रहे कामों को तो अभी तक टर्मिनेट नहीं किया मगर इसकी इंक्वायरी सेक्रेटरी, लोक निर्माण व चीफ इंजीनियर कांगड़ा जोन करेंगे **and if the work of the contractor is not found satisfactory, within four working days the work will be terminated. यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।**

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी इस सदन में अपना ध्याकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सुन्दरनगर में स्थित जवाहर पार्क में बाहरी व्यापारियों को मेला लगाने की मंजूरी देने के फैसले से स्थानीय व्यापारियों में रोष से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। पिछले कल प्रिंट मीडिया और सभी अखबारों में यह उजागर किया गया है कि सुन्दरनगर में व्यापारिक मेला एक महीने के लिए लगाया जा रहा है। मेले हमारी प्राचीन परंपराएं और संस्कृति हैं। हमारे प्रदेश में अनेकों मेले मनाए जाते हैं। चाहे वह मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, चम्बा का मिंजर, रामपुर का लवी मेला, शिमला में समर फेस्टिवल और मनाली में विंटर कार्निवल हो कोई भी व्यापारी उसका विरोध नहीं करता बल्कि इन मेलों का स्वागत करता है। मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में स्थित जवाहर पार्क में बाहरी व्यापारियों को मेला लगाने का विषय उठाया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

03.12.2025/1255/बी.एस./ए.एस.-1

श्री राकेश जम्वाल जारी...

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुंदर नगर में जवाहर पार्क का विषय मैंने यहां पर रखा उसमें 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हर वर्ष राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला मनाया जाता है और नवरात्रों में पांचवे नवरात्रे से वहां पर देवता मेला भी मनाया जाता है। इस मेले की लगभग 15 दिन की अवधि रहती है परंतु 2 महीने तक वह मेला उस ग्राउंड में बनाया जाता है और सभी लोग वहां पर मेले का आनंद भी उठाते हैं, देवी-देवताओं के दर्शन भी करते हैं। कोई व्यापारी उन पारंपरिक मेलों का विरोध नहीं करता लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो मेला मनाया जा रहा है इसकी अनुमति 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक 31 दिनों के लिए 11,000 रुपये प्रतिदिन यानी 3,41,000 रुपये एक महीने की अनुमति दी गई है जबकि इसी वर्ष मार्च महीने में जब वहां पर नलवाड़ और देवता मेला मनाया गया तो इसी ग्राउंड को एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि में ऑक्शन किया गया। इसी वर्ष एक करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि में उस ग्राउंड को दिया गया लेकिन अब इस ग्राउंड को मात्र 3,41,000 रुपये में एक महीने के लिए यानी 31 दिन के लिए दिया जा रहा है और न खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग से कोई लाइसेंस न विभाग से कोई मापतोल, न किसी प्रकार से लेबर एक्ट के अंतर्गत कोई लाइसेंस बनाया जाता है। इसके साथ सफाई, अग्नि शमन और एंबुलेंस से लेकर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है परंतु जब दूसरे मेले मनाए जाते हैं तो प्रशासन उसकी पूरी व्यवस्था और पूरा इंतजाम करता है। लेकिन इन मेलों में किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। यह मामला मात्र सुंदर नगर विधान सभा क्षेत्र का नहीं है अभी सोलन का भी मैं समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि वहां पर भी सुलिनी मेला मनाया जाता है लेकिन वहां पर भी ऐसा व्यापारिक मेला चलाया जा रहा जिसका स्थानीय व्यापार मंडल विरोध कर रहा है और शिमला में भी मान्य अध्यक्ष महोदय जब पीक पर हमारा पर्यटक सीजन होता है उस दौरान रिज मैदान पर टेंपरेरी दुकाने लगाने की अनुमति दी जाती है। समय-समय पर वहां का व्यापार मण्डल इसका विरोध करता है कि टूरिस्ट आता है वह माल रोड और लोअर बाजार पर जो परमानेंट दुकानें हैं और जो दुकानदार टैक्स देते हैं उसकी बजाय पर्यटक टेंपरेरी जो दुकानें लगती है उस ओर चला जाता है जिसके कारण से शिमला में भी लोगों को दिक्कत आती है।

03.12.2025/1255/बी.एस./ए.एस.-2

लेकिन वर्तमान के युग में ऑनलाइन शॉपिंग होती है। पहले ही व्यापारी उससे परेशान है लेकिन यह बात भी सत्य है कि लोगों को इसकी सुविधा भी मिलती है और उसके साथ-साथ आज के जमाने में जहां पर अमेजॉन, ई-वेज, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स तक ऐसी अनेकों कंपनीज आकर ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ लोगों को प्रदान कर रही हैं जिससे व्यापारी परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे सुंदर नगर में तो एक ब्लिंक-इट ऐसी कंपनी आ गई जिसके माध्यम से लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसी वस्तुएं हैं जो आप ऑर्डर करेंगे आपके घर पर वह पहुंच जाएंगी। इससे स्थानीय व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इस ब्लिंक-इट के माध्यम से अगर आपको पान का पत्ता भी चाहिए होगा तो ब्लिंक-इट पर ऑर्डर करेंगे तो वह घर में पहुंच जाता है। पूजन में एक बिल पतरी आती है जो कहीं नहीं मिलती है यदि उसे ऑर्डर करते हैं तो वह भी पहुंच जाती है। इस प्रकार से भी ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जहां पर व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं वहीं जो व्यापारिक मेला वहां पर मनाया जा रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे और मैं विधायक था हमने निर्णय लिया कि हर वर्ष एक बार हमारा पारंपरि मेला नलवाड़ है इस मेले के अलावा कोई भी मेला जवाहर पार्क में नही मनाया जाएगा और 5 साल में हमने अन्य एक भी मेले को उस जवाहर पार्क में अनुमति नहीं दी लेकिन अब व्यवस्था परिवर्तन हो गया और पिछले वर्ष से यहां मेले का क्रम जारी हो गया। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे वहां पर इस प्रकार से जो दिक्कतें आ रही हैं जैसा मैंने कहा कि यह व्यापारिक मेला उस ग्राउंड में मनाया जा रहा है जिसके कारण से व्यापारियों को बड़ी दिक्कतें आ रही है और व्यापारियों ने इसका विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि हम बाजार बंद करके प्रदर्शन करेंगे और इस मेले को बंद करवाना चाहते हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

03.12.2025/1300/डीटी/डीसी-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

लेकिन नगर परिषद द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन नगर परिषद भी वहां पर इलेक्टेड हाउस है। हाउस को नहीं पूछा गया बल्कि सीधी वहां के अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारियों की कमर मत तोड़िए। व्यापारीयों का हमारे प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इन मेलों को चाहे वह सुंदरनगर में जवाहर पार्क पर मनाये जाने वाला मेला हो, चाहे प्रदेश के किसी और अन्य कोने में इस प्रकार से जो व्यापारिक मेल मनाए जा रहे हैं इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसा मैंने कहा की वर्षों से चले आ रहे मेलों का कभी किसी व्यापारी ने विरोध नहीं किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो यह स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें एक महीने की अनुमति दी गई है लेकिन यह मेल कम-से-कम 2 महीने से ज्यादा समय तक वहां पर चलेगा। जब भी उनको वहां से हटाने की बात आती है तो वह कहते हैं कि हमारे तो पैसे पूरे नहीं हुए और हमको थोड़ी और अनुमति दी जाए। स्थानीय प्रशासन उनको कहता है कि हम आपको पर पर डे पेनल्टी लगाएंगे। यह पेनल्टी 5000 रुपये पर डे लगा देंगे लेकिन इससे बड़ी दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इस मेले की अनुमति को रद्द किया जाए ताकि हमारे व्यापारियों को राहत मिल सके और व्यापारियों की इस प्रदेश के विकास के लिए इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह टैक्स देते हैं, हर प्रकार की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हर विभाग से एन0ओ0सी0 लेते हैं तो कम से कम ऐसे मेलों के आयोजन पर रोक लगे। अभी जो 10 तारीख से मेरे विधान सभा क्षेत्र के जवाहर पार्क में जो यह मेल मनाया जा रहा है इसकी अनुमति को तुरंत रद्द किया जाए ऐसा मेरा निवेदन रहेगा।

Speaker : The House is adjourned for the lunch break till 2.00 O'clock. Hon'ble Minister will reply to this issue under Rule-62 after the lunch break. We will resemble at 2.00 PM.

03.12.2025/1405/एच.के.-एन.जी./1

(दोपहर के भोजनोपरांत माननीय सदन की बैठक 02.05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब नियम-62 के तहत जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उसका उत्तर माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा दिया जाएगा। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो विषय नियम-62 के तहत उठा है, उसका उत्तर दें।...(व्यवधान) The Hon'ble Chief Minister will supplement, if required.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल ने नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है कि सुन्दरनगर में स्थित जवाहर पार्क में 15 दिसम्बर से 15 फरवरी तक लगाए जा रहे मेले के कारण स्थानीय व्यापारियों में तीव्र रोष से उत्पन्न हो रहा है। इसमें व्यापारिक गतिविधियां प्रस्तावित हैं और जिस कारण क्षेत्र में असंतोष बढ़ रहा है। माननीय सदस्य ने इससे उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह एक संवेदनशील व गम्भीर मामला है। इसके अलावा यह हिमाचल प्रदेश के हमारे व्यापारी व कारोबारी भाइयों के संरक्षण का भी विषय है। मैं इस विषय से कहीं-न-कहीं सहमत भी हूं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मेलों का अपना एक इतिहास रहा है। उसमें चाहे चम्बा का मिंजर मेला, रामपुर का लवी मेला जोकि एक ट्रेड फेयर के रूप में हमारे फोरफादर ने शुरू किया था, श्री रेणुकाजी का मेला, मण्डी की शिवरात्रि का मेला जोकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसके अलावा सुजानपुर का अंतर्राष्ट्रीय होली मेला शामिल है तथा इसी प्रकार से विभिन्न-विभिन्न जगहों पर विभिन्न-विभिन्न मेलों का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर, कुछ जिला स्तर और कुछ प्रदेश स्तर के हैं।इन मेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रदेश के हमारे व्यापारी वर्ग को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। यह हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। लेकिन काफी समय से यह चीज देखी जा रही है कि प्रदेश के काफी

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

03.12.2025/1410/एच0के0-पी0बी0/1

लोक निर्माण मंत्री ...जारी

इलाकों में खासकर छोटे नगर निकायों या नगर परिषदों में आय के संसाधनों को मज़बूत करने या उसमें वृद्धि करने के लिए अपने स्तर पर ट्रेड फेयर लगाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस पर सरकार द्वारा अभी विचार करना बाकी है। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने इस विषय को सदन में उठाया है और हमने इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से भी विचार-विर्मश किया है क्योंकि यह केवल सुन्दरनगर का ही मसला नहीं है, प्रदेश के हर क्षेत्र में इस तरह की समस्या आ रही है। यह बात बिल्कुल ठीक कही गई है कि चाहे रिटेल का मसला हो या जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, Blinkit या चाहे ऐसे प्लेटफॉर्मज हैं जिसमें लोग आराम से चीज़ें खरीद सकते हैं, उससे भी हमारे स्थानीय व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस दृष्टि से मैं माननीय सदस्य की संवेदनाओं की कदर करता हूं और इसके साथ-साथ प्रदेश के सभी नगर निकायों के व्यापारियों की संवेदनाओं की भी कदर करता हूं। व्यापारियों के हितों का संरक्षण करना हमारा दायित्व है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में इस विषय पर सकारात्मक रूप से एक नीति बनाएंगे because we don't want to do any kind of knee jerk reaction कि हमने सदन में घोषणा कर दी कि इन ट्रेड फेयरर्ज को बंद कर दिया जाए जोकि ठीक नहीं होगा। We should make the policy after taking everybody on board और खासकर व्यापारी वर्ग जो इसमें स्टेक होल्डर्ज हैं we will take them on board. हम उनके सुझाव लेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश के व्यापारी हैं we have to categorize the traders who are coming from outside of the State and the traders जो प्रदेश के मूल रूप से नागरिक हैं क्योंकि हमें प्रदेश के नागरिकों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सिद्धांतों के अनुसार इनकी बात को स्वीकार करते हैं और आने वाले समय में इस संदर्भ में नीति

बनाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश के व्यापरियों के हितों की रक्षा की जाए। मगर देश के विभिन्न राज्यों से जो व्यापारी प्रदेश में आकर विभिन्न स्थानों पर ट्रेड फेयर लगाते हैं उससे हमारे प्रदेश के लोगों को नुकसान होता है, कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत भी होती है और इसके अलावा रेवेन्यू

03.12.2025/1410/एच0के0-पी0बी0/2

लॉस तो होता ही है that is one of the biggest issue. तो हम इसे उस दृष्टि से हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। हमें वर्ष 2017 में 2,17,000 रुपये की आय हुई, वर्ष 2024 में 3,40,000 रुपये की आय हुई और वर्ष 2025 में अनुमानित आय में से 3,40,000 की आय हो चुकी है तथा अभी यह प्रस्तावित है, इसका पहले ही पैसा आ चुका है। हम इस पर विचार करेंगे कि भविष्य में कैसे इस प्रकार की चीज़ें न हो और यदि हो तो गाइडलाइन्ज के माध्यम से हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल और अन्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के व्यापारियों का खास ख्याल रखा जाएगा, धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Member Shri Rakesh Jamwal ji, you want to ask clarification? Okay, what is your clarification?

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हमें भविष्य के लिए आश्वस्त किया है। यह मामला मात्र सुन्दरनगर से ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। जब मैं इस विषय पर अन्य माननीय सदस्यों से चर्चा कर रहा था तो हर विधायक ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र का जिक्र किया। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने नाचन विधान सभा क्षेत्र और माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी ने अपने फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र से ऐसे मेलों को बंद करवाया है। मेरा मंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूं कि जिस मेला ग्राउंड में मेले को करवाने की अनुमति दी गई है, वहां नगर परिषद द्वारा 20 लाख रुपये खर्च कर हरी घास लगाई गई है। उस ग्राउंड में वर्ष में एक बार मेले का आयोजन होता है जिससे वहां पर तह बज़ारी की एक करोड़ रुपये से

ज्यादा की आय होती है। स्थानीय प्रशासन ने इसी आय को देखकर उस मेले का आयोजन करवाना तय किया है। जब वह हरी घास खराब होती है तो उसे चम्बा के चौगान की तर्ज पर दुरुस्त किया जाता है। उसमें भी लगभग दो लाख रुपये के करीब खर्चा

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

3.12.2025/1415/वाई0के0/ए0पी0/01

श्री राकेश जम्वाल जारी .....

माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बा के चौगान की तरह ही वहां की घास को भी ठीक किया जाता है जिस पर लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आता है। सरकार द्वारा इस मैदान को 3 लाख 41 हजार रुपये में मेला कमेटी को दिया गया है। इसके लिए एक महीने की अनुमति दी गई है, जबकि मेला लगभग दो महीने तक चलेगा। इस दौरान मैदान की घास खराब हो जाती है और उसे ठीक करने में फिर से लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इससे सरकार को वास्तविक रूप से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है? दूसरी बात यह है कि स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से सरकार को जो राजस्व मिलता है, उसमें भी नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अनुमति को रद्द भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसे रद्द नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति ने नगर परिषद के लिए आवेदन किया था। नगर परिषद में बिना हाउस की अनुमति के एस.डी.एम. ने कार्यकारी अधिकारी को कहा कि इसकी अनुमति दे दी जाए। कार्यकारी अधिकारी को लगा कि यदि एस.डी.एम. ने कह दिया है तो अनुमति देनी ही पड़ेगी। इसको हाउस में पास नहीं किया गया और सीधे अनुमति दे दी गई। इस मामले में कोई औपचारिकताएं पूरी नहीं हुईं - जैसे फायर या स्वास्थ्य विभाग से एन.ओ.सी., खाद्य आपूर्ति विभाग से अनुमति या अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं। केवल नगर परिषद ने पैसे जमा कराकर एक एन.ओ.सी. दे दी। मेरा निवेदन है कि इसमें आय कम है और खर्च अधिक, जिसके कारण वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। इस सत्र के समाप्त होने के बाद व्यापारी मेरे इंतजार में हैं। मैं उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि

और जनसेवक हूं, इसलिए मुझे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका ध्यान सरकार को रखना होगा। यदि तुरन्त प्रभाव से इस मेले को रद्द कर दिया जाए तो इसका संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। यह मामला केवल सुन्दरनगर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिमला, सोलन, मंडी और अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी जुड़ा है। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मेले को तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जाए और भविष्य में एक स्थायी नीति बनाई जाए, जिससे

3.12.2025/1415/वाई0के0/ए0पी0/02

लोगों को सुविधा मिले और व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त हो सके। मेरा इतना ही निवेदन इस माननीय सदन के माध्यम से है।

लोक निर्माण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और we are on the same page हैं, तो इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं बचती। वैसे भी अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदेश prospective होता है, retrospective नहीं। इस मामले में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने कहा, माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक नीति बनाई जाएगी और उसमें सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। हम उनकी बातों से सहमत हैं और what he has said उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कार्य करेंगे। चूंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है, यदि हम इसे वापस लेंगे या विड्रा करेंगे या आगे चलकर मामला किन्ही कारणों से sub-judice हो जाता है, he can go to the court of law तो हम इस प्रकार की अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं चाहते। भविष्य में उनकी सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। We are on the same page. इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इस सदन और सभी व्यापारियों को यह कहना चाहता हूं कि सरकार प्रदेश के व्यापारियों के हित में है। उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और इसके लिए हम पूर्ण प्रयास हमेशा करते रहेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर केवल राजनीतिक प्रतीत होता है। मैं सदन में इनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि इस अनुमति को

तुरंत प्रभाव से रद्द करने में प्रदेश सरकार को क्या कठिनाई आ रही है। मैंने पहले ही बताया है कि सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होता है उससे अधिक खर्च करना पड़ता है। व्यापारी वहां परेशान हैं और यदि ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री सपताल सिंह सत्ती जी ने कहा था कि उन्होंने ऊना में अवैध खनन को लेकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहां गोलीकांड तथा हत्या जैसी घटनाएं हुईं। आज भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों में अत्यधिक रोष है। एक महीने की अनुमति के बावजूद यह मेला दो महीने तक चलता है। व्यापारी पहले से ही कठिनाई में हैं। मेरा निवेदन है कि दी गई अनुमति को रद्द किया

3.12.2025/1415/वाई0के0/ए0पी0/03

जाए। उसके बाद यदि सरकार स्थायी नीति बनाएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी अब तक इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। यह कोई बड़ा कार्य नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मेले की अनुमति को रद्द न कर सकें। नगर परिषद भी दो-तीन दिनों में हाउस की बैठक बुलाएगी और इसे पास करके रद्द करेगी, जिससे वहां तनाव की स्थिति और बढ़ेगी। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.12.2025/1420/AT/YK/01

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेले-त्यौहार हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और धरोहर हैं। यह अभी से नहीं चले आ रहे हैं, यह हमारी पुरानी परंपरा है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति में छोटे मेले कहीं कुश्ती होती है, कहीं कोई और कार्यक्रम लंबे समय से चलते आ रहे हैं। पहले ये छोटे स्तर पर होते थे, अब इसमें commercialization बढ़ रहा है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

मैं कल्लू के दशहरे का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वहां पूरे ग्राउंड की ऑक्शन करोड़ों रुपये में होती है। लवी मेले की ग्राउंड की भी ऑक्शन होती है। सरकार की नीति यह है कि एक अनुमति दे दी जाती है। यह ठीक है कि उसमें कुछ बातचीत हुई होगी एक करोड़ रुपये की ऑक्शन आई हो और उसे कम पैसे पर दे दिया गया हो। यह बात हुई होगी यह बात आपकी ठीक है। हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन हमने अनुमति दी है, और यदि एक महीने की जगह वह दो महीने लगाते हैं, **तो मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एक महीने की अनुमति के बाद दूसरे महीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं।**

दूसरी बात, अभी अनुमति दी गई है। अनुमति के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दुकानदारों को नुकसान होता है यह बात सही है। दुकानदारों की आय में भी फर्क पड़ता है। हम इस विषय पर विस्तृत विचार करेंगे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ाना है इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। अभी एक अनुमति दी है, लेकिन कल को जाकर कोर्ट से स्टे ले लेगा। एक बात में आपको बताता हूं कि कोर्ट से स्टे के हो गया तो 15 दिन की तारीख होगी। हम व्यापारी को यह नहीं कह सकते कि वह पहले ही कोर्ट चले जाएं। अगर नहीं जाएगें, सरकार ने जो लिखित आदेश दिया है चाहे वह गलत दिया या चाहे ठीक किया उसको ठीक करने के लिए समय होगा। मैं उस लिखित आदेश को पढ़ूगा और उसके बाद ही में कोई फैसला कर सकता हूं। और **मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि एक महीने के भीतर उसको दोबारा से कोई भी एक्सटेंशन की परमिशन नहीं दी जाएगी।**

03.12.2025/1420/AT/YK/02

अध्यक्ष : कौन सा भाग रह गया है ...(व्यवधान) नहीं, नहीं। माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि एक महीने की मेले की परमिशन के बाद एक दिन भी नहीं दिया जाएगा। और जो अनुमति पहले दे दी गई है, उसे इस स्टेज पर वापस लेना उचित नहीं है।

श्री राकेश जम्वाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुमति एक महीने की है और एक दिन भी ज्यादा नहीं देंगे। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब व्यापारियों ने विरोध किया तो स्थानीय SDM के पास सभी व्यापारी बैठे, और वहां यह तय हुआ कि अवधि एक महीने से घटाकर 15 दिन कर दी जाएगी। अनुमति एक महीने की है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि इसे 15 दिन किया जा सकता है। जब मैंने वहां के प्रशासन से पूछा कि यदि 15 दिन के बाद भी मेला नहीं उठता, तो उन्होंने कहा कि हम पेनल्टी लगा देंगे। एक करोड़ रुपये की जिस ग्राउंड को 15 दिन के लिए देना चाहिए, उसे 3,41,000 रुपये में एक महीने के लिए दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस अवधि को एक महीने से 15 दिन करने की बात आ रही है। मुझे लगता है कि यह पवन कुमार जिसे यह अनुमति दी गई ऐसा कौन-पावरफुल व्यक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी अनुमति आप रद्द नहीं करना चाहते? स्थानीय व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष है। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूं कि अनुमति को रद्द करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के हित में इस मेले को वहां न किया जाए। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इसे रद्द करें। हमारे पारंपरिक मेले जैसे मण्डी की शिवरात्रि, सुन्दरनगर में हमारा नलवाड़ मेला होता है वह देवता मेला होता है उसमें व्यापारी भी उस मेले को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वे मेला धार्मिक आस्था से जुड़े हैं, वह मेले हमारे पारंपारिक हैं। लेकिन इस मेले के लिए में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस मेले को जनता के हित में और व्यापारियों के हित में आप रद्द करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन हैं।

Speaker : Hon'ble Member whatever you are saying this has already come on the record उसमें कोई नहीं चीज नहीं बोली आपने यह तो पहले ही इन्होंने जबाव में बोल दिया कि... व्यवधान ठीक है, आपने एक SDM के आदेश का उल्लेख किया है सरकार उसे भी देख

03.12.2025/1420/AT/YK/03

लेगी। यदि SDM ने ऐसा कोई आदेश दिया है that is again a subject of an administrative scrutiny. This is what he has assured the House already.

अब विधेयक का कार्य होगा। सरकारी विधायकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

एम0डी0 द्वारा जारी....

03-12-2025/1425/AG/MD/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

इस पर माननीय सदस्य बोल भी सकते हैं। हमारे पास माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा की और से एक संशोधन आया है। यह संशोधन 10.27 बजे पूर्वाह्न सचिवालय को प्राप्त हुआ। यद्यपि इसका समय 10:00 बजे का है तो That is not within time. This has been disallowed. However, आप अपना व्यू प्वाइंट चर्चा में भाग लेकर रख सकते हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विधेयक संख्या 20, के हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया है। मेरा यह कहना है कि पूर्व प्रकाशन की शर्त को समाप्त करना न तो तर्कसंगत है और न ही कर्मचारियों के हित में। कोई भी नियम या रूल बनाए जाने पर उसका प्रकाशन होगा और उसके खिलाफ कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज कर सकता है। उसको लॉ के अनुसार भी समय मिलना चाहिए। पहले इस आपत्ति के लिए 30 दिन का समय मिलता था, जिसे बाद

03-12-2025/1425/AG/MD/2

में संशोधन के तहत 14 दिन कर दिया गया। अब आप इस 14 दिन के समय को भी समाप्त करने जा रहे हैं, ताकि जैसे ही कोई नियम या रूल बने, वह तुरंत नोटिफाई हो जाएगा। यह न तो तर्कसंगत है और न ही कर्मचारियों के हित में है। हालांकि आप भोजनोवकाश में कर्मचारियों के हित की बात कर रहे थे, लेकिन इस बिल का संशोधन उनके हित के खिलाफ है। कोई भी नई नोटिफिकेशन या संशोधन होने पर लोगों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर मिलना चाहिए। इसे कम से कम 14 दिन का समय दिया जाता था, जिसे भी अब समाप्त किया जा रहा है। यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। यही प्रदेश, कर्मचारियों और जनता के हित में रहेगा।

Speaker : Anybody else wants to speak.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों (संशोधन) विधेयक 2025, विधेयक संख्या 20 में जो अमेंडमेंट पेश की गई है, उसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जब भी कोई नया रूल बने या कोई अमेंडमेंट की जाए, तो उसके बारे में किसी को जानकारी न मिले। जबकि पहले इस एक्ट की मंशा कर्मचारियों के हित में थी, ताकि जिन्हें नौकरी में रखा जाना है, उन्हें जानने का अधिकार हो और अमेंडमेंट के बारे में पूरी जानकारी हो। पहले 30 दिन का समय दिया जाता था, बाद में इसे 14 या 12 दिन कर दिया गया। प्रकाशन होने पर कर्मचारियों और बेरोजगारों को पता चल जाता था कि सरकार कौन सी पॉलिसी और रूल बना रही है, जिससे वे यह समझ सकते थे कि वे इसके लिए योग्य हैं या नहीं। यदि किसी को यह लगता कि अमेंडमेंट में आपत्ति है, तो वह समय रहते अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकता था। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेती और अमेंडमेंट करती। इस विधेयक के लागू होने के बाद ऐसा होगा कि सरकार किसी भी रूल को बिना प्रकाशन किए सीधे नोटिफाई कर देगी। इससे किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हो सकता है। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें कर्मचारियों को जानकारी न दी जाए? यह ओपन प्लेटफार्म पर होना चाहिए ताकि सभी को पता चल सके कि कौन सा रूल या अमेंडमेंट हुआ है। मेरा मानना है कि पूर्व प्रकाशन का प्रावधान यथावत रखा जाए

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1430/केएस/एजी/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ---

14 दिन का समय कुछ भी नहीं होता। अगर गवर्नमैंट को लगता है कि यह थोड़ा जल्दी होना चाहिए तो गवर्नमैंट एक या दो महीना पहले उसमें अमेंडमेंट कर ले। केवल 14-15 दिन के प्रकाशन में गवर्नमैंट को क्या आपत्ति है? अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहूंगा इसलिए इस अमेंडमैंट को विद्ड्रॉ किया जाए। धन्यवाद ।

Speaker: Thank you very much. Anybody else wants to speak. इसमें वैसे जो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा that is more relevant. इसमें सेक्शन-10

स्टिपुलेट करती है कि विधान सभा जब कोई भी बिल पास कर देती है, एक्ट बनने के बाद और उसके अंदर रूल्ज़ बनते हैं। उसका उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न है। ऐसा भी एक्ट्स में होता है। इसमें गवर्नमैंट उस पोर्शन को अमैंड करना चाह रही है क्योंकि इस एक्ट को जल्दी से एन्फोर्स करने के लिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को सर्विस कंडिशन्ज़ में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसलिए इसे ला रही है। मुख्य मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। The relevant part is of Shri Randhir Sharma.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो भी इस बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी कभी हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियम को प्रकाशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। आप कह रहे हैं कि इससे पहले होता था, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल-309 में नियम बनाते हैं जिसमें पूर्व प्रकाशन का कोई प्रावधान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, यह बिल क्यों लाया गया? इस विधेयक से नियम बनाने और उसमें संशोधन करने के कार्य में गति आएगी। यह संशोधन विधेयक कर्मचारियों के हित में है। इस विधेयक के पारित होने पर कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में शीघ्र निपटारा हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि जो रैगुलराइजेशन के कारण हाई कोर्ट की डायरैक्शन्ज़ आ रही हैं, जिसमें रैगुलराइजेशन पर फ़र्क पड़ रहा है, इस एक्ट के तहत जिनकी प्रमोशन्ज़ होनी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रूलिंग्ज़ आई हैं, उसके कारण यह एक्ट लाया गया ताकि जिन कर्मचारियों की रैगुलराइजेशन हो चुकी है और जो प्रोमोट हो चुके हैं, उनको डिमोशन का असर ना हो। इस कारण भी यह एक्ट लाया गया और इसलिए हमने इसको रैगुलेराइजेशन

03.12.2025/1430/केएस/एजी/

जल्दी हो और किसी प्रकार का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने इस एक्ट को लाया है। यह कर्मचारियों के हित में लाया गया एक्ट है और जो रूल्ज़ की बात है वह दूसरे एक्ट्स में होता है। कर्मचारियों की पदोन्नति की है, यह प्रीवियस एक्ट है, इसकी सिर्फ एक

अमेंडमेंट लाई गई है जिसके कारण आप यह बोल रहें हैं। मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, इस एक्ट को पास किया जाए।

अध्यक्ष : रूल्ज़ तो बनाने ही पड़ेंगे और विधान सभा में आएंगे ही आएंगे परंतु इसमें 30 दिन की कंडिशन खत्म कर रहे हैं।

श्री रणधीर शर्मा : नहीं, सर। मेरा यह कहना है कि एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आज से पहले प्रकाशित होने का कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान था, तभी तो आप अमैंड कर रहे हैं। अगर प्रावधान नहीं था फिर आप अमेंडमैंट क्यों लाए हैं? गुमराह नहीं करना चाहिए। पहले प्रावधान था, अब प्रकाशित कर रहे हैं। आप उसको हटाना चाहते हैं और हमारा यह मानना है कि वह नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि जब पब्लिश होगा तभी लोगों को पता लगेगा। वे ऑब्जैक्शन फाइल कर सकते हैं। कोई कोर्ट जाना चाहता है तो कोर्ट जा सकता है लेकिन आप उस अधिकार से कर्मचारियों को वंचित कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि यह सरकार कर्मचारी हितैषी है। अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारिए परंतु यह एक अमेंडमेंट ला कर आप पर्मानेंटली कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करेंगे, यह गलत है इसलिए हम आपकी इस अमेंडमेंट का विरोध करते हैं और यही अपील कर रहे हैं कि इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नियमों में बदलाव करिए लेकिन छिप-छिप कर क्यों कर रहे हैं? उसको पब्लिश करिए। 14 दिन का समय कुछ नहीं होता, 14 दिन में कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको नोटिफाई कर दीजिए परंतु साथ ही नोटिफाई करना सरासर अलोकतांत्रिक भी है और कर्मचारियों के हितों के बिल्कुल खिलाफ है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट पिछले साल बना है और इसमें प्रत्येक पोस्ट के अगर R&P rules बनाने लग पड़े तो दो साल तक वे ही नहीं बन पाएंगे और भर्तियों पर भी असर पड़ेगा इसलिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है। वैसे आर्टिकल-309 में,

03.12.2025/1430/केएस/एजी/3

मैं बार-बार कह रहा हूं कि इसके ऑब्जैक्शन्ज़ का कोई भी प्रावधान नहीं है। जब यह आर्टिकल में ही नहीं था, R&P rules के प्रकाशन का 14 दिन का होता है, उसको हमनेअमेंड किया । R&P rules बनते हैं तो उसको 14 दिन के लिए ऑब्जेक्शन के लिए लाते हैं। अगर हमने सारी भर्तियां करनी हैं तो उन सारी भर्तियों का समय कम करने के लिए इस एक्ट को हमने लाया है, इसमें इतनी ही अमेंडमेंट है।

अध्यक्ष : इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें "after the previous publication part" ओमिट हो रहा है कि बिना पब्लिकेशन के रूल्ज़ को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

अंग्रेजी अ0व0 की बारी में..

03.12.2025/1435/av/as/1

अध्यक्ष------ जारी

thereafter those rules will come to the Rule Committee of the Vidhan Sabha for further scrutiny. मुख्य मंत्री यह इसलिए कह रहे हैं ताकि डीले के पार्ट को जल्दी से एनफोर्स किया जा सके, बाकी जो आप प्रपोज करेंगे उसको विधान सभा कमेटी स्क्रूटीनाइज करेगी। उसके बाद the Government has to enforce those rules इसलिए पब्लिकेशन की कंडीशन को फोरगो किया जा रहा है। it is rightly said by you that एक जो आम आदमी का अधिकार है, वह उससे वंचित तो होगा but this is just in the interest of the employees. ...(व्यवधान) रूल्ज कमेटी में आते हैं, All the acts where the rules are to be framed that are placed before the Vidhan Sabha and on the Table of the House and thereafter concerned Committee of the Vidhan Sabha scrutinize those rules.

विचार

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

03.12.2025/1435/av/as/2

पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) सर्वसम्मति से पारित हुआ।

विचार

अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

03.12.2025/1435/av/as/3

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए।

इस पर सदस्य बोल सकते हैं और माननीय उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे। इस पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने 10.30 बजे पूर्वाह्न एक संशोधन दिया है। इसको एडमिट तो नहीं किया गया परंतु आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप जो भी बोलना चाहें, आपका स्वागत है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) लाए हैं, इसमें दो तरह के संशोधन हैं। इसमें एक तो धारा-7 के संशोधन है जिसमें ओवरटाइम के दिन बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पहले तीन महीने में 50 दिन ही ओवरटाइम लगता था जिसको अब बढ़ाकर 154 दिन कर दिया है। हालांकि यहां 144 लिखा है और आगे 154 लिखा है; इग्जैक्ट

क्या है यह मुझे पता नहीं है। ...(व्यवधान) आगे एक जगह 154 लिखा है, तो इसको ठीक कर लें। आपने 144 किया है तो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। परंतु धारा-13 में जो दूसरी अमेंडमैंट है, जिसमें यह कहा गया है कि उसी दुकान या यूनिट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जिसके पास 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे। मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। अगर दस से कम कर्मचारी हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तथा उस दुकान या यूनिट में कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? हमने तो इसी हाउस में एक स्ट्रीट वैंडर्ज कमेटी बनाई थी।

टी सी द्वारा जारी

03.12.2025/1440/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1

श्री रणधीर शर्मा ... जारी

उस कमेटी के श्री हर्षवर्धन चौहान जी आप अध्यक्ष थे और मैं मेंबर था। उसमें यह चर्चा हुई थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन हो। आपने वह नोटिफाई नहीं किया, पता नहीं क्या कारण है, सरकार की क्या मजबूरी है। उस कमेटी की 3 बैठकें हुईं और उसमें स्ट्रीट वेंडर्स की रजिस्ट्रेशन तक का विषय आया और आज आप अमेंडमैंट लेकर आ रहे हैं कि किसी दुकान या किसी यूनिट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है अगर उसके 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश के हालात आप भी देख रहे हैं, पहले भी लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या हुई थी इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन में कानूनी दिक्कत है तो कोई-न-कोई प्रावधान तो कीजिए चाहे कोई लाइसेंस देने या किसी-न-किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कीजिए ताकि पता रहे कि कौन कहां और क्या काम कर रहा है? अन्यथा कोई भी दुकान खुलकर बाहर बोर्ड किसी काम का लगा दे और अंदर कोई दूसरा ही इलीगल काम करे तो उसे पूछने वाला कौन है? इसलिए इस संशोधन का हम विरोध करते हैं। आपको हर यूनिट, हर दुकान और यहां तक कि जो स्ट्रीट वेंडर्ज आते हैं उनकी भी किसी-न-किसी रूप में रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) की धारा-13 और उप-धारा-1 में लिखा है कि प्रत्येक संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होंगे वही नियोजित होंगे। ऐसा क्यों, जिसमें 9 होंगे, क्या उनका हमें पता नहीं होना चाहिए, 8 होंगे तो क्या उनका हमें पता नहीं होना चाहिए। जैसा भाई रणधीर शर्मा जी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर की भी जब हम एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे बॉर्डर एरिया में आकर कोई बिजनेस कर रहा है और उसके पास 9 कर्मचारी हैं तो क्या हम उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे? अभी हाल ही में अल्फ्रा यूनिवर्सिटी, हरियाणा में क्या हुआ, वे कौन लोग थे, एक विशेष राज्य से आकर जिन्होंने वहां अपनी जड़ें जमा लीं? अब हिमाचल प्रदेश पहले जैसा शांतिप्रिय प्रदेश नहीं रहा। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए यह 10 कर्मचारियों के राइडर का प्रावधान ठीक नहीं है। जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आए, चाहे वह किसी दुकान में हो या किसी प्राइवेट संस्थान में हो उसकी रजिस्ट्रेशन शत-प्रतिशत अनिवार्य होनी चाहिए। हां यह हो सकता है कि हिमाचल का व्यक्ति चंबा से

03.12.2025/1440/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

बिलासपुर या सिरमौर से कांगड़ा में काम करना चाहे तो उसकी छूट हो सकती है लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्तियों की रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अगर 9 लोग बाहर से आते हैं और अलग-अलग दुकानों में बैठते हैं तो कुल संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन होनी ही चाहिए, चाहे वह किसी भी दुकान या संस्थान में क्यों न हो। धन्यवाद।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक श्री रणधीर शर्मा जी और त्रिलोक जम्वाल जी ने यहां कहा कि पहले भी अमेंडमैंट आई थी तो पहले जो अमेंडमैंट हुई है, वह यह है कि तीन महीने में ओवरटाइम के 44 आवर्स थे। अब चूंकि कई बार एक्स्ट्रा ओवरटाइम भी करना पड़ता है इसलिए उसको बढ़ाकर क्वार्टर में 150 घंटे कर दिया है और जो एक्स्ट्रा ओवरटाइम लगेगा उसकी सैलरी डबल ऑफ द नॉर्मल टाइम मिलेगी। यह अमेंडमैंट कर्मचारी के हित में की गई है।

दूसरा, जिसका आप जिक्र कर रहे है, वह यह कि पहले लेबर लॉ में यह था कि जिसके पास एक या दो कर्मचारी भी हों तो उसे भी लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी। उससे यह होता था कि इंस्पेक्टर राज बढ़ता जा रहा था और ढाबा, रेस्टोरेंट जैसी छोटी संस्थाओं में चेकिंग के बहाने एक्सप्लॉइटेशन होता था, यह हम सब जानते हैं। इसी एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाने के लिए यह अमेंडमेंट की गई है तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक की गई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लेबर लॉ और अन्य कानूनों में अमेंडमेंट कर रही है जिससे आम कारोबारी को आ रही परेशानी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब भारत सरकार ने

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-12-2025/1445/NS-DC /1

उद्योग मंत्री -----जारी

न्यू कोट किया है। उन्होंने स्टेट गवर्नमैंट को कहा है कि आप नियम में अमेंडमैंट कीजिए। अब हमारे यहां भी इस पर चर्चा थी कि हमारे 85 प्रतिशत कारोबारी 10 इम्प्लॉयज से कम आ रहे हैं। इसकी चर्चा थी कि 10 करते हैं या 5 करते हैं मगर फैसला किया गया कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन्ज या डायरेक्शन्ज हैं हम उनको फॉलो करें। अब आप जो जिक्र कर रहे हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब सिर्फ लेबर डिपार्टमैंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ेगी मगर दूसरे डिपार्टमैंट्स जैसे एक्साइज डिपार्टमैंट है अगर किसी ने कारोबार करना है तो उसको जी0एस0टी0 नम्बर लेना पड़ेगा। अन्य डिपार्टमैंट्स की जो भी क्लीयरेंसिज हैं उसको कारोबार को चलाने के लिए वे लेनी पड़ेंगी। हम तो सिर्फ लेबर लॉ में रिलेक्सेशन करने के लिए यह अमेंडमैंट लाए हैं और भारत सरकार की इंस्ट्रक्शन्ज के मुताबिक ही अमेंडमैंट लाई गई है। मेरा निवेदन है कि यह जो अमेंडमैंट लाई गई है इसको माननीय सदन पास करे।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

03-12-2025/1445/NS-DC /2

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारणः

अध्यक्ष : अब उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।
उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

" हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए। सदस्य बोल सकते हैं। इस पर भी माननीय रणधीर शर्मा जी ने संशोधन दिये हैं

03-12-2025/1445/NS-DC /3

जो एडमिट नहीं हुए हैं परन्तु फिर भी आप इस पर अपने विचार रख सकते हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 पर अमेंडमैंट लाई गई है। मुझे लगता है कि रेरा का जो एक्ट है वह केंद्र सरकार का एक्ट है और केंद्र सरकार के एक्ट के जो प्रावधान हैं उसको हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में कैसे अमेंड किया जा सकता है? यह मूल प्रश्न है। आपके जो दोनों संशोधन हैं ये दोनों विषय जो हैं वे केंद्र सरकार का जो रेरा का एक्ट है उससे संबंधित हैं और उसमें स्पष्ट लिखा है। जो पहला संशोधन आया है और जो रेरा की ऑथोरिटी बननी है

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

03.12.2025/1450/RKS/DC-1

श्री रणधीर शर्मा..जारी

चेयरपर्सन और मेम्बर्स बनने हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी? उस नियुक्ति के बारे में सेंटर एक्ट में स्पष्ट लिखा है। उसमें यह लिखा है कि "the Chairperson and other Members of the Authority shall be appointed by the appropriate Government on the recommendations of a Selection Committee consisting of the Chief Justice of the High Court or his nominee, the Secretary of the Department dealing with Housing and the Law Secretary" तो यह बॉडी बनी है जिसकी रिकॉमेंडशन पर स्टेट गवर्नमेंट ने चेयरपर्सन और मेम्बर्स बनाने हैं। यह सेंटर गवर्नमेंट का एक्ट है। अब प्रदेश सरकार इसमें यह अमेंडमट कर रही है कि इस सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस की बजाय चीफ सेक्रेटरी का चेयपर्सन हो। आप यह कैसे कर सकते हैं? साथ में आप यह लिख रहे हैं कि अगर चीफ सेक्रेटरी खुद एप्लीकैंट हो तो अडिशनल चीफ सेक्रेटरी चेयरपर्सन हो सकता है यानी जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर का इंटरव्यू लेगा। यह भी कहा गया है कि अगर अडिशनल सेक्रेटरी नहीं होगा तो सेक्रेटरी भी चेयरपर्सन हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी का इंटरव्यू सेक्रेटरी ले सकता है? पहले तो आप यह अमेंडमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि यह सेंटर गवर्नमेंट का एक्ट है। यदि अमेंडमेंट कर भी दें तो आप चीफ जस्टिस की जगह चीफ सेक्रेटरी को कैसे ला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी एप्लीकैंट होगा तो अडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चेयरपर्सन हो सकते हैं जो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। सरकार इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि आप ज्यूडिशरी से टकराव ले रहे हैं। आप केंद्र सरकार की अनुमति के बिना इस एक्ट को बदल रहे हैं। दूसरा, आप जो माननीय

उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से टकराव ले रहे हैं।इसकी क्या आवश्यकता है? आप किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए इस तरह से एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यह हमें भी पता है कि आप किसके लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं। यह एक्ट सेंटर गवर्नमेंट का है इसलिए अपने अधिकारों के अंतर्गत ही आप काम करे। आप इस एक्ट में छेड़छाड़ न करें। मेरा आग्रह है कि आप इसमें कोई अमेंडमेंट न करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

03.12.2025/1450/RKS/DC-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार बिना सोचे-समझे फैसला लेने लग जाए और इसके लिए मैं हिन्दी में शब्द कहूं तो अपरिपक्व निर्णय लेना जगहंसाई होती है। वर्तमान सरकार की जगहंसाई एक बार नहीं अनेकों बार हुई है। यह सीधा विषय है लेकिन इसे आपने अपनी इगो के साथ जोड़ा है। ...(व्यवधान) मैंने लॉ पढ़ा या नहीं लेकिन मैं सारी समझ रखता हूं। श्री रणधीर शर्मा जी लॉ के स्टूडेंट है, हम लॉ नहीं पढ़े हैं। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। जो कम पढ़े होते हैं वे कानून का ज्यादा पालन करते हैं। मैं मानता हूं कि इस एक्ट को Concurrent list में डालकर आप इसकी सैक्शन 22 व 23 को अमेंड करने की मंशा रखते हैं।...(व्यवधान) यह सेंटर गवर्नमेंट का एक्ट है। आप इसमें अमेंडमेंट कर गवर्नर को भेजेंगे और गवर्नर साहब फिर दिल्ली भेजेंगे। ...(व्यवधान) आप अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर आपने ट्रिब्यूनल में रिफॉर्म करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2021 की जजमेंट को पढ़ा होगा तो उसमें बड़े साफ शब्दों में कहा है कि अगर ज्यूडिशियल डोमिनेंस में कोई सरकार दखल करेगी तो वह स्वीकार नहीं होगी।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

03.12.2025/1455/बी.एस./एच.के.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

जो सिलेक्शन में जुडिशल डोमिनेंस है उस प्रक्रिया में अगर सरकार दखल करेगी तो वह स्वीकार नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन वर्ष 2021 में आया है यह उसके अगेंस्ट है, एक बात तो यह है । आप कहीं भी इसमें स्टैंड नहीं करते हैं। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसमें हासिल क्या करना चाह रहे हैं? आपने चेयरमैन तो लगा दिए हैं। चेयरमैन अपॉइंटेड फॉर फाइव इयर्स यही है न? चेयरमैन आर0डी0 धिमान जी है न, क्यों क्या मैं गलत हो गया?

मुख्य मंत्री : आप चेयरमैन की सही बात कर रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर : हम बोलते भी सही हैं और मानते भी हैं लेकिन हुआ क्या, आप अपने हिसाब का आदमी लगाना चाह रहे थे और इसमें स्वाभाविक रूप से सरकार को यह प्रेरोगेटिव होता भी है कि अपने हिसाब से चीजें होनी चाहिए लेकिन जब चीजें आपके हिसाब से होने की स्थिति में नहीं रही तब कई बार छोड़ देना चाहिए कि जाइए हो गया और इसे खुले दिल से स्वीकार भी करना चाहिए। आप उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। अब आप सीधा कनफ्लिक्ट ले रहे हैं हाई कोर्ट के ज्यूडिशरी के साथ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ तो क्या आपको इसमें अनुमति मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैंने रेफरेंस आपको ऑलरेडी दिया है और यह वर्ष 2021 की है जिसमें ट्रिब्यूनल में आप दखल नहीं कर सकते हैं। जुडिशल डोमिनेंस को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं इसमें बड़ा क्लियर कहा है उसके बावजूद आप इस अमेंडमेंट को ले आए हैं। तीसरी बात चेयरमैन की जिसमें अपॉइंटमेंट होनी है वह अपॉइंटमेंट हो चुकी है। आप उस अपॉइंटमेंट को निरस्त कर नहीं सकते हैं। वह बात आपके अधिकार से बाहर निकल गई है। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आप एक संदेश देना चाहते हैं और यही आपकी मंशा है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके सैक्शन 23 में पहले जो टर्म है अगर हम देखें तो इसमें टर्म पांच साल की थी अब आप चार की प्रपोज कर रहे हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। अब चार वर्ष क्यों कर रहे हैं शायद कोई मेंबर रह गए होंगे। उसके बारे में सोच रहे होंगे। हाथी निकल गया अब पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे है। पंरतु उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा।

03.12.2025/1455/बी.एस./एच.के.-2

अध्यक्ष महोदय, जो भी एक्ट हम विधान सभा के अंदर लाते हैं जिस एक्ट का हम यहां पर पारण करते हैं कानून बनाने का एक रास्ता खोलते हैं उसमें इस तरह की सीरियस लेप्सिस के साथ उसको हम यहां से पारित करें और भेजें तो हमारी जग हंसाई होती है। आखिरकार विधायक जिस काम के लिए चुने गए हैं यदि उस काम को गंभीरता से नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि हम अपनी फजीहत कराने की बजाय इसको वापस लेना चाहिए और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं निकल रही है इसलिए हम इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं यह उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको अनुमति नहीं दे रहा है और उसके बाद केंद्र का एक्ट भी आपको अनुमति नहीं दे रहा है। पूरे देश भर में रेरा का एक एक्ट है। यह किसी राज्य में चेंज नहीं है और उसी के मुताबिक सारी अप्वाइंटमैंट हो रही हैं। उसके बाद वही प्रोसेस है। यह कैसे संभव है कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में हम उससे हट करके कुछ नया रास्ता निकाल लें, यह तर्कसंगत नहीं है। कृपया, जग हंसाई मत कीजिए जो हो गया, वह हो गया। आप बड़ा दिल रखिए यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, त्रिलोक जम्वाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सम्माननीय अध्यक्ष जी, यह जो अमेंडमेंट भू-संपदा हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 का विधेयक संख्याः 22 है, इसमें प्रदेश सरकार संशोधन लेकर आई है जिस संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो सेंटर ने डायरेक्शन दी है उसके बावजूद जो हाई कोर्ट के जज

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

3.12.2025/1500/डी0टी0/एच.0के0 -1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

ताकि सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी अपने तरीके से नोमिनेट कर सके। जो हमारा The Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 हैं इसमें Rules are made by the Central Government and the State Government. The Ministry of

Housing and Urban Affiars, Government of India frames the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016, under Section 84 of the Act. अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र सरकार का यह प्रेरोगेटिव है और उन्होंने रूल फ्रेम कर दिया और पूरे देश भर के लिए स्ट्रक्चर बना दिया कि जब रेरा की सलैक्शन होगी जो Aims and Objects रेरा के हैं just to promote the industry and to protect the industry जब यह इनका मोटो है और जब इस मोटो के साथ रूल बन गये और इसमें भी एक राइडर लग गया कि हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जज उस सलैक्शन कमेटी का चेयरमेन होगा, जब यह एक्ट केंद्र सरकार ने प्रमोट किया और सारी चीजों को विजुलाइज करते हुए कुछ प्रोटैक्शन वॉल उसमें लगा दी हैं तो प्रदेश सरकार उससे बाहर क्यों निकलना चाह रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मुख्य सचिव एप्लीकांट हैं तो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी इसमें इंटरव्यू लेंगे।

Speaker : Hon'ble Member these points which you are raising, have been addressed by Shri Randhir Sharma and Leader of Opposition. Please don't repeat those points. What is your new point you may raise it.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रेरा का ऑब्जेक्ट है, जिस परपस के लिए 2016 में इसको स्थापित किया गया, उसका ऑब्जेक्ट था कि जो बायर हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए और जो प्रमोटी हैं उनके पास ट्रांसपरेंसी रहे क्योंकि पूरे देश भर में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस शायद यही सैक्टर है। उसमें कैसे राइडर लगे, कितनी लिटिगेशन इससे पहले हुई उसके बाद यह आउटकम आई और यह कहा कि किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका चेयरमैन हो तो हमारी सरकार इस प्वाइंट मैं क्यों फंसी है कि केवल हाई कोर्ट के उस प्वाइंट को हटाया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? यह गलत है। यह सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट का प्वाइंट है लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चारदीवारी बनाई है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि हमारे जो बिल्डर्ज, प्रमोटी व

3.12.2025/1500/डी0टी0/एच.0के0 -2

स्टेकहोल्डर्ज हैं हम उनका इंटरस्ट प्रोटैक्ट कर सके। इसलिए इस अमेंडमेंट को बिद्ड्रा करना चाहिए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी, श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने अपने कंसर्न यहां इस सदन में रखे। जो हमारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट 2016 है उसमें सैक्शन 22 और 23 में अमेंडमेंट प्रोपोज की है। इसमें यह सही है कि यह केंद्र सरकार का एक एक्ट है और इसे स्टेट ने अडॉप्ट किया है और यह कॉन्करेंट लिस्ट में है और Government of the day has every right to amend it और उसी के तहत हम इसे अमेंड कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो दूसरी बातें कही कि इसमें ज्यूडिशरी से टकराव की बात है तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हम माननीय उच्च न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। हमारा हाई कोर्ट ओवरलोडिड है वहां बहुत सारे केसिज पेंडिंग है। यह हाई कोर्ट की प्रायोरिटी में नहीं होता जो एग्जिक्यूटिव का काम है उसे करने देना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन व मैम्बर्ज प्रदेश सरकार ही तय करती है। उसी तरीके से हमारे डिफरेंट कमीशन हैं जैसे एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और वुमेन कमीशन हैं उनके भी सारे चेयरपर्सन और मैम्बर्ज स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। उसी तरीके से रेरा की इंटेशन भी स्टेट गवर्नमेंट लाई है। यह क्लीयर कट

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

03.12.2025/1505/वाई.के.-एन.जी./1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री..........जारी

सरकार यहां पर लाई है। यह clear cut जो principle separate of powers हैं उसकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट करती है और उसी को ही हम इसमें बेहतर तरीके से एनफोर्स कर पाएं, उसी भावना से यह बिल लाया गया है। यहां पर ईगो की कोई बात नहीं है। लेकिन जो

Government of the day है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वह इसे संशोधित कर सके। इसमें वरिष्ठ आधिकारी ही नियुक्त होंगे और मुख्य सचिव इसके चेयरमैन होंगे। जब वे सेवानिवृत्ति के पास होंगे तभी इसमें आवेदन करेंगे। यह बिल किसी व्यक्ति विशेष को लाने के लिए नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो यह बिल नियुक्तियों से पहले आता। इस समय तो इसके चेयरमैन और सभी मैम्बर्स भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें मैम्बर्स की कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। इसमें एक बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक या चार साल तक ही चेयरमैन रह सकता है जिस कारण 4 से 5 साल तक ही कोई व्यक्ति चेयरमैन बन पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें विपक्ष का कोई ऑब्जैक्शन होना चाहिए। रेरा का मकसद to protect the interest of flat or plot buyers. उनके साथ कोई चीटिंग न हो और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न हो। बिल्डर्स द्वारा जो वायदा किया जाता है उसी के अनुसार उनको डिलीवर किया जाए। इन्हीं विषयों को लेकर यह किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में कई अनरिजस्टर्ड डवलपर्स हैं और वे बिना अप्रूवल के प्लॉट्स काट कर बेचते हैं, उन सभी पर चैक लगाने के लिए रेरा काम करता है। इस बिल के बाद इन सब विषयों को लेकर किसी से भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि कुछ समय के लिए जब रेरा का चेयरमैन व सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे तब इसकी सारी शक्तियां प्रधान सचिव (आवास) के पास थी। विपक्ष के माननीय सदस्य जिस प्रकार से अधिकारियों पर शंका कर रह हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय (जब शक्तियां प्रधान सचिव के पास थीं) कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

03.12.2025/1505/वाई.के.-एन.जी./2

हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में सक्षम हैं और विपक्ष के साथी इसके लिए बिल्कुल भी चिंतिन न हों। इस बिल को लाने के लिए सरकार की कोई बुरी मंशा नहीं

है और सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही better administrative efficiency को लाने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पहले से ही ओवरलोडिड है और उनके पास इसके लिए ज्यादा समय नहीं होता जिस कारण इस बिल को लाया गया है। धन्यवाद।

Speaker : Hon'ble Chief Minister also wants to intervene. ...(व्यवधान) क्या आपने (श्री जय राम ठाकुर जी को कहते हुए) कुछ कहना है? आप माननीय मुख्य मंत्री के बाद बोल लेना।...(व्यवधान) ठीक है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जिद्द किसी अच्छे काम के लिए की जाए तो समझ में आती है लेकिन यह तो बेवजह की जिद्द है। माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा और श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने जो बात की है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। इसमें अल्टिमेटली क्या होगा? जब कोई अधिकारी मुख्य सचिव के पद पर पहुंचता है तो उसकी सेवानिवृत्ति में बहुत कम समय बचता है जिस कारण वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है और यह उसका अधिकार भी है। जितने भी मुख्य सचिव होंगे या हुए हैं, वे ऐसे पदों के लिए इंतज़ार भी करते हैं और ढूंढते भी हैं and whenever they get an opportunity, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जोर भी लगाते हैं। इसमें क्या होगा कि मुख्य सचिव रेयर केसिज़ में चेयरमैन होगा, यदि सरकार की मंशा के अनुसार संशोधन किया जाता है। कुछ समय के लिए इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव भी अध्यक्ष होंगे क्योंकि मुख्य सचिव स्वयं चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे। वे 100 प्रतिशत कैंडिडेट होंगे क्योंकि उनके पास मुख्य सचिव बनने के बाद साल-डेढ़ साल का ही समय बचा होता है। जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचेगा तो रेरा का चेयरमैन बनना उसके लिए सबसे बेहतर पद होगा क्योंकि इसमें माननीय हाई कोर्ट के जज के समान पर्क्स मिलते हैं।

03.12.2025/1505/वाई.के.-एन.जी./3

माननीय हाई कोर्ट के जज के सामान सुविधाएं मिलती हैं और ये सब ताउम्र मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि 4 या 5 साल तक चेयरमैन रहेगा तो तभी तक सुविधाएं मिलेंगी बल्कि जब तक जीवित रहेगा तब तक माननीय हाई कोर्ट के जज के समान पर्क्स व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। माननीय जज़िज के साथ जैसे अर्दग्ली लगते हैं इनके साथ भी उसी प्रकार का प्रावधान किया गया है, इसलिए इस पद को कोई भी नहीं छोड़ेगा। मुख्य सचिव बनने के बाद यदि उसकी सर्विस एक वर्ष के लिए भी शेष रहती है तो वह भी रेरा के चेयरमैन के लिए आवेदन करेगा। उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव इसकी चयन समिति का चेयरमैन होगा या उसके नीचे के लेवल का अधिकारी होगा। आप संविधानिक पोस्ट को डायल्यूट कर रहे हैं और डायन्यूशन भी इस लेवल का हो रहा है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

03.12.2025/1510/वाई0के0-पी0बी0/1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

पद को डाइल्यूट कर रहे हैं और डाइल्यूशन भी इस स्तर का हो रहा है जो किसी भी तरह से या एक हेल्दी परम्परा के हिसाब से उचित नहीं है। RERA के बहुत सारे पेंडिंग केसिज होते हैं उस पर यदि आपको ज्यूडिशियस होकर कोई फैसला लेना है तो जिस अधिकारी को आपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से नियुक्त किया होगा वह तो सरकार के हिसाब से ही फैसला लेगा। क्योंकि मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री के आदेशों से बाहर नहीं जाएगा। जब मुख्य मंत्री का आदेश होगा तो मुख्य सचिव को वह काम करना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो फिर RERA किसके हाथ में होगा? RERA मुख्य मंत्री और वर्तमान सरकार ही चलाएगी। They just want to run this RERA like government department. सरकारी विभाग की तरह ही चलाना चाह रहे हैं जैसे इनकी (सरकार) मंशा भी है। (***)

Speaker : Your view point only with regard to this Act will be part of the record. Rest will not be recorded.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, RERA के केंद्रीय अधिनियम पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में निर्णय भी दिया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद सरकार इसमें क्यों फसी हैं? मुझे लगता है कि आपको इसे छोड़ देना चाहिए। अब जो हो गया, सो हो गया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रणधीर शर्मा जी, what do you want to say? माननीय सदस्य, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने निर्णय में ठीक था। **आपका ऑनलाइन माध्यम से विषय 10:21 बजे पूर्वाह्न आया था और यह 10:00 बजे पूर्वाह्न के लिए था जिसे मैंने ऑन फाइल रिजैक्ट कर दिया था।** अभी मैंने इसे दोबारा एडमिट किया है तो that will not be a part of the record as it is rejected. The amendment proposed by the

---

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.12.2025/1510/वाई0के0-पी0बी0/2

Hon'ble Member Shri Randhir Sharma stands rejected. However, he can take part in deliberation which he is taking.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इसे फिर से विधान सभा सचिवालय में चैक करवा लीजिए। मैंने यह संशोधन पिछले कल दिया था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पिछले कल की फाइल में ही चैक करवाया है। परंतु आप इस चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोद, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंशा पर शक क्यों है? आप उनकी काबिलियत और योग्यता को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या प्रदेश हित में निर्णय नहीं लेंगे? आप उनके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं जोकि तर्कसंगत नहीं है। यह सरकार का न्यायतंत्र के साथ सीधा टकराव है और केंद्रीय अधिनियम की अवहेलना है। सरकार द्वारा ऐसा करने की कोई मज़बूरी भी समझ नहीं आती लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जब खुद कह रहे हैं कि जिसे चेरयमैन बनना था वह बन गया फिर अब संशोधन का क्या फायदा है? जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि यदि सरकार की इच्छा पर ही RERA का चेयरमैन बनना है तो RERA क्यों बनाया गया? फिर तो जैसे पहले हाउसिंग के प्रधान सचिव ही RERA का कार्य संभाल रहे थे अब भी वही संभालेंगे। Regulatory Commission तभी बनाया जाता है ताकि सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके, सरकार अपनी मनमानी न करे और राज्य के हितों का ध्यान रखा जाए। Regulatory Commission इसीलिए बनाया जाता है। अन्यथा जो सरकार कहती है प्रधान सचिव वैसा ही करते हैं। इसी प्रकार से RERA भी ऐसा ही बन जाएगा जिस पर सरकार का नियंत्रण होगा। केंद्रीय सरकार और इस अधिनियम की मंशा Regulatory Commission को एक स्वतंत्र निकाय बनाने की है। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चयनित किया जाए जो सरकार के दिशा निर्देशों से बंधा न रहे और प्रदेश हित में निर्णय ले सके। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश से उपयुक्त व्यक्ति कोई और नहीं हो सकता। इसलिए एक्ट में उनकी नियुक्ति का प्रावधान है लेकिन आप इस प्रावधान को बदल रहे हैं।

03.12.2025/1510/वाई0के0-पी0बी0/2

आप जो बदलाव कर रहे हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? संशोधन के मुताबिक चयन कमेटी में मुख्य सचिव होंगे, यदि मुख्य सचिव RERA के चेयरमैन के लिए अप्लाई करेंगे तो कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे, नहीं तो सचिव कमेटी का हिस्सा होंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

03.12.2025/1515/ए0जी0/ए0पी0/01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी आवेदन करेंगे तो इंटरव्यू अतिरिक्त मुख्य सचिव या सचिव लेंगे। प्रश्न यह है कि कैसे एक जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी का इंटरव्यू ले सकता है। इस पर हमें स्पष्ट उत्तर दिया जाए। आपने अब तक किसी बात का जवाब नहीं दिया, केवल लिखित पाठ पढ़कर सुना दिया। हम यह कहना चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंशा पर सवाल क्यों उठा रहे हैं और केंद्रीय अधिनियम की अवहेलना क्यों कर रहे हैं। इंटरव्यू में चीफ सेक्रेटरी से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का प्रावधान करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इससे क्या निष्पक्षता आएगी? क्या इससे योग्यता और क्षमता के आधार पर सही व्यक्ति का चयन होगा? क्या इन सब बातों पर प्रश्न चिह्न नहीं लगेगा? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस संशोधन को वापस लिया जाए और इसे अहंकार का विषय न बनाया जाए। इस प्रकार के संशोधन प्रदेश हित में नहीं हैं। मेरा प्रदेश सरकार से यही निवेदन है।

03.12.2025/1515/ए0जी0/ए0पी0/02

अध्यक्ष : माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने कहा कि जो भी चीफ सेक्रेटरी हैं, वे रेरा के चेयरमैन बनना चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पद सभी के लिए खुला है और कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तो पहले RERA के चेयरमैन भी सेक्रेटरी ही बने थे और वे पिछली सरकार के समय में नियुक्त हुए थे। दूसरे चेयरमैन भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, उसी द्वारा सुझाए गए पैनल को सरकार ने स्वीकार किया और उनमें से ही नियुक्ति की गई। हम माननीय मुख्य न्यायाधीश जी और न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। इसमें किसी को भी कोई संदेह

नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, यह माननीय हाई कोर्ट की प्राथमिकता में नहीं आता। अन्य कोई regulatory authority ऐसी नहीं है। उदाहरण के लिए, निजी शिक्षा संस्थानों की regulatory authority के चेयरमैन भी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उस समय व्यवस्था में कोई समस्या नहीं थी। इसी तरह, फूड एंड एडल्टरेशन के चेयरमैन, फूड कमीशन के चेयरमैन और कई अन्य आयोगों के चेयरमैन सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आप इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उलझा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके वर्तमान सिस्टम के तहत भी चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। हमारे यहां दो-दो चीफ सेक्रेटरी पहले ही चेयरमैन रह चुके हैं। इसलिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वे सभी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसे अधिकारी प्रतिदिन अनेक निर्णय लेते हैं, जो Court of Law और judiciary scrutiny में भी सही पाए जाते हैं। आप पूरी ब्यूरोक्रेसी पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहे हैं। आज हमारी सरकार है, कल आपकी होगी - सरकारें स्थायी नहीं होतीं, वे निरंतरता में चलती रहती हैं। इसलिए इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि इसे पारित करने में सहयोग दें और यह present asset के बाद ही लागू किया जाएगा।

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Minister.

03.12.2025/1515/ए0जी0/ए0पी0/03

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन जब वे स्वयं सत्ता में थे तो उन्होंने जिस व्यक्ति को रेरा का चेयरमैन बनाया, वह उनके ही सलाहकार रहे हैं। रेरा अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इसमें चेयरमैन और सदस्य कौन होंगे। इसमें केवल चीफ सेक्रेटरी ही नहीं, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो रेरा की पात्रता रखता हो और eminence in public life वाला हो, उसे नियुक्त किया जा

सकता है। यह कहना कि केवल चीफ सेक्रेटरी के लिए पोस्ट निकाली जा रही है, सही नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यही कहना चाहता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

03.12.2025/1520/AT/AG/01

मुख्यमंत्री जारी...

मैं अभी लॉ की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपने लॉ नहीं पढ़ा तो मैं पहले राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आपने राजनीतिक बात कही, इसलिए कानून की बात बाद में करूंगा। अध्यक्ष महोदयण यही मैं कहना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बार-बार derogatory शब्द कह रहे हैं कि आप कानून पढ़कर नहीं आते, आपने लॉ नहीं पड़ी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन्होंने ऐसे नहीं बोला है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं बोला। ...(व्यवधान) यह आपका जो पॉलिटिकल पार्ट है उसका जवाब दे रहे हैं बाद में लीगल एक्सप्रेस का जवाब देंगे।

मुख्य मंत्री : आपने भी तो राजनीतिक बात की है, तभी तो बोल रहा हूं ...(व्यवधान) सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष : ये उसका पार्ट नहीं है ...(व्यवधान) अभी तो पास ही नहीं हुआ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।)

मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक बात तो खुद करते हैं, राजनीतिक बात का राजनीतिक जवाब तो देना पड़ता है। और इनकी यह एक आदत हो गई है कि जब हम राजनीतिक बात कहते हैं, तो हमें बोलते हैं कि तुम जिद्दी हो, तुम मांनते नहीं हो। अपने शब्दों को ये वापस नहीं लेते। और जब हमारी बात आती है तो इन्हें पिंच होता है। पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सुनना ही नहीं चाहते थे। जो भी एक्ट Concurrent List में होते हैं उसमें एंट्री 6th Schedule और 7th Schedule के तहत स्टेट राज्यों को यह

अधिकार होता है कि वे रूल्ज में अमेंडमेंट कर सकते हैं। और उसके तहत हमने रूल में अमेंडमेंट की है। और कोई भी एक्ट जो होगा, बार-बार कहते हैं कि असैंट के लिए गवर्नर के पास जाता है, Governor, Management of India का नोमनी होता है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि Concurrent List में बी0जे0पी0 के समय में भी Factory Act और NDPS Act में भी अमेंडमेंट लाई गई थी। क्योंकि उन्होंने भी एंट्री 6th Schedule और 7th Schedule के तहत अमेंडमेंट लाई थी, और उसके बाद राष्ट्रपति की असैंट होती थी।

03.12.2025/1520/AT/AG/02

रेरा के बारे में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आया था। मैं बताना चाहता हूं कि वह रेरा के बारे में नहीं आया वह ट्रिब्यूनल कोर्ट के बारे में आया था। रेरा के बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई भी जजमेंट नहीं आई है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सभी स्तंभों का अपना काम है। न्यायपालिका है हम उसका सम्मान करते हैं। उसकी अपनी एक परिभाषा है, और वह उस परिभाषा के अंतर्गत कार्य करती है। एग्ज़िक्यूटिव है यदि कहीं पावर ज्यूडिशरी को दे दी गई है तो उसे वापस लेने का अधिकार भी एग्ज़िक्यूटिव के पास as per the Law दिया गया है। लोकतंत्र की परंपरा यही है कि एक-दूसरे का सम्मान किया जाए। अब रेरा में अपॉइंटमेंट हो चुकी है सभी मेंबरों की, लेकिन हमने कहा कि यह एग्ज़िक्यूटिव के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए एग्ज़िक्यूटिव के मेंबरों को उसमें लगना चाहिए। मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव उनकी इंटीग्रिटी पर डाउट करना भी गलत बात है। क्योंकि अपने जीवन के 25-30 सेवा में दिए, तब जाकर वे इस पद पर पहुंचे हैं। और जो भी मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव बनता है कि उनका यह मकसद नहीं होता कि केवल रेरा का ही चेयरमेन बनेगा। उसका लक्ष्य ऐसा होता है जिदंगी में आ0ई0एस0 में आया तो मैं चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा सकूं। यदि कोई गवर्नमैंट उन्हें extraordinary मानती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफीट उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि Judiciary को नहीं मिलता, Judiciary में भी चीफ जस्टिस और जज और को भी एक्स्ट्रा बेनिफीट मिलता है, जब उनकी सेवाएं लेनी का बात आती है तो हम देखते हैं कि उन्हें Judiciary सर्विस का अफसर लगना है कि एडमेनिस्ट्रटिव का अफसर लगना है, प्रशासनिक अधिकार पर

उनको अधिकार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद को Judiciary का शुभचिंतक बने हैं, लेकिन यही लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ बयान देते रहे हैं। जब उनके अधिकारों का हनन हुआ, तो चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हम तो appointment authority में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यूडिशरी के पास वर्क लोड ज्यादा है। जैसा मंत्री जी ने कहा उसी दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं। इस अमेंडमेंट को संविधान के अंतर्गत लाया गया है। लोकतंत्र में हरेक स्तंभ की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हमने यह अमेंडमेंट लाया है। इन्होंने तो 5 साल किया है 5 साल के बाद 4 साल रह जाता है।

एम0डी0 द्वारा जारी....

03-12-2025/1525/AS/MD/1

मुख्य मंत्री----जारी

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं लॉ के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं। अमेंडमेंट के मामले में लॉ में स्पष्ट सैंक्शन का उल्लेख होना चाहिए था कि किन परिस्थितियों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है कि अंड़र सेक्शन इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हमारे शेड्यूल में यह स्पष्ट है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत राज्य को विषयों में अमेंडमेंट करने का अधिकार है, और यही उन्होंने भी किया है। लेकिन यह इस बात को खा जाते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक लाभ के लिए पेश कर देते हैं। जब मैं यह कहता हूं कि मैं राजनीतिक बात का राजनीतिक तरीके से उत्तर देता हूं। ये बोल रहे हैं कि विधायकों की ‘जग हंसाई’ होगी ये कौन सी बात हुई कि विधायकों की जग हंसाई? आप बोल रहे कि सरकार जिद्दी है, सरकार जिद्दी नहीं है। हमने 'रेरा' में अमेंडमेंट करनी ही नहीं है। 'रेरा' में अमेंडमेंट 5 वर्षों के लिए हो गई है। हम तो वह सुधारात्मक कार्य कर रहे हैं जिससे प्रदेश के हित में निर्णय लिया जा सके। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीति में मुद्दा बनाते हैं। अमेंडमेंट हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में रहनी चाहिए, और राजनीतिक लोग जो जनता के द्वारा 5 वर्षों के लिए चुनकर आते हैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया में इन संस्थाओं मजबूत करने का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। चुनी हुई सरकारों के अंर्तगत हमने संविधान के अनुच्छेद

6 और शेड्यूल 7 के तहत यह अधिकार दिया गया है हमने उसका प्रयोग में किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस का सम्मान कैसे करना है यह हमें क्या बताएंगे। वह सभी हमारे लिए सम्मानित है। हाई कोर्ट का आदर और फैसलों का जितना आदर हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है उसका मुकाबला यह नहीं कर सकते। ये सिर्फ राजनीतिक में स्हानुभूति लेने के लिए कि काफी दिन हो गए और सेशन लंबा है तो किसी प्रकार से वॉकआउट किया जाए। इस दृष्टि से यह बात करते हैं। हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, बल्कि इनके पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा हम पर की गई टिप्पणी का जवाब दिया। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, वह इसी संदर्भ में था।

Speaker : It is not a walk out, it is a protect.

03-12-2025/1525/HK/MD/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो बिल लाए है, मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसे पास करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

पारण

अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

03-12-2025/1525/HK/MD/3

तो प्रश्न यह है कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पारित हुआ।

अब नियम-130 के अंतर्गत जो विषय पहले चर्चा में है, उस पर आगे चर्चा होगी।

(माननीय सदस्य श्री बलबीर शर्मा जी और सुखराम चौधरी जी सदन में वापिस आए)

मेरे पास कल की लिस्ट पैंडिंग है। इसमें सत्ता पक्ष के भी हैं और कल लास्ट स्पीकर माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा थे, जिनका भाषण खत्म नहीं हुआ है। अब मैं श्री बलबीर सिंह वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना बचा हुआ भाषण शुरू करें।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1530/केएस/एएस/1

अध्यक्ष जारी --

वर्मा जी, कृपया एक मिनट। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी के बाद सर्वश्री सुख राम चौधरी, इन्द्र सिंह, लोकेन्दर कुमार, डॉ0 जनक राज, दलीप ठाकुर तथा श्री डी0एस0 ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से ये 6 माननीय सदस्य और कांग्रेस पार्टी से सर्वश्री हरदीप सिंह बावा, मलेन्द्र राजन, भवानी सिंह पठानिया और श्री कुलदीप सिंह राठौर, चार सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। मेरे पास जो पिछले कल की लिस्ट है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और and I would request all the participants to please be brief now और इसको आज हम समाप्त करेंगे। लगभग डेढ़ घंटे का समय शेष है, माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे इसलिए जितना शॉर्ट बोलेंगे, हम अगला विषय उठा सकते हैं। धन्यवाद।

अभी माननीय सुख राम चौधरी जी जो भारतीय जनता पार्टी से व्हिप हैं तथा श्री केवल सिंह पठानिया जो डिप्टी चीफ व्हिप हैं, से मुझे आग्रह प्राप्त हुआ है कि एक माननीय सदस्य विपक्ष से और एक पक्ष से बोलें फिर माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दें। तो श्री बलबीर सिंह वर्मा जी के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य, जिसका भी चार में से आप चयन करना चाहे, कर दें। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बोलें। फिर माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, यह तय किया गया है। अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा है, मेरी जूना पंचायत में एक गांव है, उसका बाहर से पूरा विडियो बनाया गया है, पूरे गांव में 25 घर हैं जो पूरे के पूरे स्लैश हो रहे हैं और 200 बीघा जमीन सहित वह पूरी

पहाड़ी धंस रही है। जूना पंचायत का सैपाप गांव है। मैंने मंत्री जी को विडियो भी भेजा है और पूरा रिकॉर्ड भी भेजा है। मेरी विनती है कि उसको रोकने के लिए अगर अभी कोई उपाय नहीं किया गया, उसके लिए कोई फंड का प्रावधान नहीं किया गया तो जूना पंचायत का सैपाप गांव जहां 20 घर हैं, 200 आदमी रहते हैं और 200 बीघा के लगभग जमीन है, वह खत्म हो जाएगी। मेरी मंत्री जी से विनती है कि यह बहुत ज़रूरी है अतः इस बारे में अवश्य विचार करें।

03.12.2025/1530/केएस/एएस/2

इसी तरह से मलावग में भी और कुपवी में भी एक गांव ऐसा ही है। पूरे के पूरे गावं ही धंस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत सारे बस रूट बंद हो गए हैं जिसकी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। चौपाल में 30 बस रूट बंद हुए हैं और चौपाल से उन रूट्स की बसों को शिफ्ट करके दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भेज दिया गया है। पी.डब्ल्यू.डी. वाले उसमें सड़कें नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके पास एक ही बहाना है कि उसमें सड़क क्लीयरेंस नहीं मिल रही है। मेरी विनती है कि जो हमारे बस रूट्स बंद हो गए हैं, उनमें जल्दी से जल्दी बसें लगाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी चौपाल की आई.टी.आई. में दो बार गए थे। आई.टी.आई., चौपाल की पूरी बिल्डिंग में पीछे से पूरा मलबा आ गया था लेकिन दो साल से उसमें कोई ज्यादा कार्य नहीं हो पाया है। प्रधान मंत्री आवास योजना में हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2024-25 में 99,881. 578 करोड़ रुपये मिले थे और वर्ष 2025-26 में 53,584.188 करोड़ रुपये मिले थे। 7.66 अरब रुपये तो प्रधान मंत्री आवास योजना से देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए दिए हैं। मैं देख रहा हूं कि सरकार इसमें भी पारदर्शिता के साथ कार्य नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि सैंटर गवर्नमैंट से पैसा नहीं आ रहा। 33 डिपार्टमैंट्स में पैसा आ रहा है। अगर सैंटर गवर्नमैंट से पैसा ना आए तो आपके पास तो पानी पिलाने

और गैंती चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। यह तो सारा सैंटर गवर्नमैंट का पैसा है। पी.डी.एन.ए. से 415 करोड़ रुपये आए हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1535/av/dc/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा------ जारी

पी0डी0एन0ए0 से 415 करोड़ रुपये आए हैं। एस0डी0आर0एफ0 से 552 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से 4800 करोड़ रुपये मिले हैं। यह सारा पैसा केंद्र सरकार से मिला है।

अब मैं स्टेट की बात करूंगा। माननीय राजस्व मंत्री, ये सड़कें कैसे खुलेंगी, आपने स्टेट फण्ड के सारे पैसे तो बंद कर दिए। आपने एम0एल0ए0 प्रायोरिटी के बंद कर दिए। एस0डी0पी0 के भी बंद कर दिए। मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र में कुपवी एक बैकवर्ड एरिया है परंतु आप वहां के लिए एक पैसा नहीं दे रहे हैं। मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना के अंतर्गत भी कोई पैसा नहीं आ रहा है। वे रास्ते कहां से खुलने जब आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में होर्टिकल्चर मार्किटिंग बोर्ड से पैसा मिलता था, आपने वह भी बंद कर दिया। ...(व्यवधान) होर्टिकल्चर मार्किटिंग बोर्ड के अंतर्गत सड़कों के लिए मिलता था जोकि बिल्कुल बंद है। ...(व्यवधान) वह स्पेशली गांवों में किसानों-बागवानों की सड़कें बनाने के लिए मिलता था। परंतु वह भी बंद है जबकि उससे भी कुछ-न-कुछ राहत मिलती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री रूरल रोड रिपेयर योजना के अंतर्गत भी कोई पैसा नहीं मिल रहा है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम्ज के अंतर्गत ही सारे कार्य हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा से सारे काम हो रहे हैं। केंद्रीय वित्तायोग का पैसा जो डायरैक्ट पंचायत में जा रहा है, उससे काम हो रहे हैं और उसका स्टेट से कोई लेना-देना नहीं है। वहां पर केवल 15वें वित्तायोग के तहत मिलने वाली राशि से काम हो रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिलने वाले पैसों से काम हो रहे हैं। ...(घण्टी)... सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि डिजास्टर के अंतर्गत आई राशि के आबंटन में चौपाल विधान सभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। शिमला जिला में 7 चुनाव क्षेत्रों में आपने 30-30 करोड़ रुपये सड़कों के लिए, 20-20 करोड़ रुपये की राशि जल शक्ति विभाग में और 12-12 करोड़ रुपये की राशि बिजली बोर्ड में दिए परंतु चौपाल विधान सभा क्षेत्र को उसका 25 प्रतिशत तक नहीं दिया। शिमला जिला के अन्य चुनाव क्षेत्रों के

03.12.2025/1535/av/dc/2

विधायकों को इतनी-इतनी राशि दी गई परंतु चौपाल की एक लाख जनता के साथ अन्याय किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि चौपाल की एक लाख जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, ...(व्यवधान) हो सकता है कि आप मुझे सैट करना चाहते हैं। परंतु उसके पीछे चौपाल विधान सभा क्षेत्र की एक लाख जनता सैट हो रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि चौपाल की एक लाख जनता ने क्या गुनाह किया है? मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने शिमला जिला के बाकी विधान सभा क्षेत्रों को जो 30-30 करोड़ रुपये की राशि दी है, यदि वह राशि मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी दी होती तो चौपाल में पानी, बिजली व सड़कें इत्यादि सब कुछ रिस्टोर हो जाना था।

सभापति महोदय, दुःख की बात यह है कि डिजास्टर के पैसे से सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के तीन वर्षों का जश्न मनाया जा रहा है। यहां पर दो आपदाएं हैं, उसमें एक 'प्राकृतिक आपदा' तथा दूसरी वर्तमान 'सरकार' खुद आपदा है। हिमाचल की जनता इसलिए खुश हो रही है कि प्राकृतिक आपदा खत्म हो गई है और सरकार नामक आपदा का भी काफी समय बीत चुका है। ये दोनों ही आपदाएं समाप्त होने वाली है इसलिए

हिमाचल प्रदेश की जनता खुश है। यह सरकार जिस प्रकार से झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, अब हिमाचल प्रदेश की जनता यह सोचती है कि कब इनका कार्यकाल समाप्त हो और इस आपदा से छुटकारा मिले।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, हाउस में कोरम नहीं है तो आप किसको सुनाएंगे? यह मेला लगा हुआ है या विधान सभा सत्र हो रहा है? वहां ऑफिसर्ज गैलरी में भी कोई नहीं है, नोट कौन करेगा। ...(व्यवधान)

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री सदन के अंदर बैठे हैं। ...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कुछ माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

अब सदन की कार्यवाही 05.00 मिनट्स के लिए स्थगित की जाती है।

टी सी द्वारा जारी

03.12.2025/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0/-1

(माननीय सदन की कार्यवाही 03.45 बज़े अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, हम पूरी जिम्मेवारी के साथ सदन की कार्यवाही को चलाना चाहते हैं लेकिन जब इस प्रकार के वाक़या बार-बार घटित होते रहेंगे जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने टिप्पणी की और वे बार-बार ऐसी टिप्पणी करते हैं कि पढ़ कर नहीं आते और आपने लॉ नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस सदन के अंदर 28 वर्ष गुजारे हैं। आज हमें इस प्रकार से सुनना पड़े कि आपने कानून की पढ़ाई नहीं की है और हम कानून के किसी मसले को लेकर अमेंडमैंट में बोल

नहीं सकते तो मैं समझता हूं यह बहुत हल्की सोच है। उन्हें इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए।

दूसरा, सभापति महोदय, अभी बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन था, वे शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से जब नौजवान आते हैं तो नारे लगाते हैं लेकिन उनके ऊपर जिस निर्ममता के साथ लाठीचार्ज किया गया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। 10 बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए और दो बेटियां भी घायल हुई हैं। यह गैर-जिम्मेदाराना तरीका है। सरकार यदि इस प्रकार से सोचे कि हम कुचल देंगे, दफन कर देंगे, दबा देंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है जबकि वहां सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता था लेकिन इसके बावजूद भी प्रोवोकेशन करते-करते हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बच्चों को बहुत गंभीर चोटें आई हैं तथा बेटियां घायल पड़ी हुई हैं। वे हॉस्पिटलाइज की गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार की सोच अच्छी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं महिला अधिकारी के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन शिमला में प्रदर्शन हो रहा था, दृष्टिबाधित लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे और नारे लगा रहे थे। एक महिला अधिकारी जाकर कहती है कि हम मुख्य मंत्री के खिलाफ यह नहीं सुन सकते। यह अधिकारी के कहने का विषय नहीं है कि कौन किसका नारा लगाएगा।

03.12.2025/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0/-2

हमारे खिलाफ पहले क्या-क्या नारे लगाए गए और जिन कर्मचारियों को आपकी सरकार ने सम्मानित किया उन्होंने हमारे खिलाफ क्या-क्या नहीं बोला परंतु हमने उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। लेकिन शिमला वाली घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां पर दृष्टिहीन लोगों के

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-12-2025/1550/NS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

ऊपर अधिकारी द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है वह भी निंदनीय है। यहां पर विशेष तौर पर से पुलिस द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकताओं के ऊपर लाठियां भांजी गई हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्य मंत्री जी इस माननीय सदन में बहुत कम बैठते हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि वे इस सारे मामले में इंटरवीन करें और वहां पर ड्यूटी में जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए कि लाठीचार्ज करने की आवश्यकता जहां पर नहीं थी वहां पर लाठीचार्ज जानबूझ कर किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मुख्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें और जवाब दें।

सभापति : नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान) माननीय सदस्य प्लीज मंत्री जी को बोलने दें। Please don't disturb.

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : सभापति महोदय, आदरणीय बलबीर सिंह वर्मा जी ने यहां पर चौपाल आई0टी0आई0 से संबंधित मुद्दा उठाया। मैं वहां पर गया था। वहां पर जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से पी0डब्ल्यू0डी0 चौपाल डिवीजन में 5 लाख रुपये जमा करवा दिए गए हैं। उनसे डिटेल्ड एस्टिमेट मांगा है। जैसे ही एस्टिमेट आएगा तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

03-12-2025/1550/NS-DC/2

सभापति : अब श्री भवानी सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : सभापति महोदय, नियम-130 की इस चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगर आप देखें तो पिछले 5 दिनों में विधान सभा के अंदर बहुत कन्फयूजन का माहौल है और खास तौर पर विपक्ष

के अंदर। आपको याद होगा कि सत्र के पहले दिन पहले ही मिनट में स्थगन प्रस्ताव आया था। यह स्थगन प्रस्ताव इसलिए आया था कि सदन के सारे कार्यों को सस्पेंड किया जाए और इस पर चर्चा की जाए कि प्रदेश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? उस चर्चा में विपक्ष के 15 माननीय सदस्य बोले और उन्होंने एक ही बात बोली कि प्रदेश में सब कुछ चंगा है। सारी सड़कें ठीक हैं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नीला आसमान है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, तितलियां फूलों के ऊपर मंडरा रही हैं और सारा माहौल ठीक है तथा आप आज ही प्रदेश में चुनाव करवा दो। आप क्यों चुनाव नहीं करवा रहे हैं? अब मुख्य मंत्री जी बोलते रह गए कि प्राकृतिक आपदा है और प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। जब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटता और जब तक सड़कें नहीं बन जाती तथा जब तक हम हरेक व्यक्ति को उसका हक यानी उसके मकान और जो गौशाला टूटी है उसको वह पैसा नहीं दे देते तब तक डिजास्टर एक्ट नहीं हटेगा। लेकिन विपक्ष नहीं माना। ये सब लोग एक ही बात बोलते रहे कि सब ठीक है और आज ही चुनाव करवाओ। ये चर्चा दो दिन तक चली। इस माननीय सदन में न कोई प्रश्न पूछे गए और न ही हम कुछ और कार्य कर पाए। जब जवाब आया और उसके बाद नियम-130 पर चर्चा शुरू हुई तथा ये चर्चा है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से जो कठिनाइयां आ रही है उन चुनौतियों को हम कैसे पूरा करें? फिर विपक्ष के 15 माननीय सदस्य बोले। इस बार बोला कि सब बर्बाद हो गया। मैं श्री सुरेन्द्र शौरी जी को सुन रहा था और ये कह रहे थे कि कोई सड़क नहीं बची और न ही कोई घर बचा। पहाड़ भी बहकर नीचे पहुंच गए। अब आप एक बात बताएं कि ये कैसे दोहरा चरित्र है? ...(व्यवधान) पहले दो दिन आप बोलते रहे कि सब अच्छा है और अब बोल रहे हैं कि सब बर्बाद हो गया। ...(व्यवधान) यह क्या चल रहा है? ...(व्यवधान) सर, आप रिकॉर्ड में

03-12-2025/1550/NS-DC/3

चैक कर लीजिए। फिर विपक्ष के 15 माननीय सदस्यों ने बोला कि सब कुछ तहस-नहस हो गया है। हर चीज़ के ऊपर पानी फिर गया है और इस परिस्थिति में यह सरकार क्या

कर रही है? वही सरकार दो दिन पहले बोल रही थी कि हमें सब कुछ ठीक करने दो फिर हम पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएंगे। ...(व्यवधान) यह बहुत बड़ा विरोधाभास है।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

03.12.2025/1555/RKS/HK-1

श्री भवानी सिंह पठानिया... जारी

मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आपके जो विभिन्न ग्रुप हैं आप सब मिलकर चर्चा करके आइए कि हमने आज क्या बोलना है। हमारी 8 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस तरह हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण सैट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश व प्रदेश के नेता के मन में इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्ष 1967 में ग्रेट गैम्बलर पिक्चर आई थी। उसमें वैजयंती माला ने एक गाना गाया था 'ओंठों में ऐसी बात मैं दबाकर चली आई खुल जाए वह बात तो दुहाई है दुहाई।' वह बात गलती से निकल गई कि 'जब हमारी सरकार आएगी जोकि नहीं आएगी, हम आपकी पहली कैबिनेट से लेकर सारे निर्णयों को रिव्यू करेंगे'। हमने पहली कैबिनेट में ओ0पी0एस0 का डिसिजन लिया था। ...(व्यवधान) क्या आप उस डिसिजन को रिव्यू करके यू0पी0एस0 लाएंगे या दोबारा एन0पी0एस0 में चले जाएंगे? आप यह कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए। जो आप हमारे निर्णयों को रिव्यू करने बारे कह रहे हैं यह आपका ख्वाब ही रह जाएगा क्योंकि जनता डिसाइड करती है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। जिस पार्टी का काम बेहतर रहेगा वह सत्तासीन रहेगी। आपमें बहुत कंफ्यूजन है आपको पहले कंफ्यूजन दूर करनी होगी फिर इलैक्शन में जाना पड़ेगा। हम क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 8 लाख रुपये मुआवजा राशि देने की बात कर रहे हैं। पशुओं की मृत्यु, गौशालाओं और क्षतिग्रस्त मकानों के लिए जो हम मुआवजा देने की बात कर रहे हैं इन सब चीजों के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। मैं इस बारे में आपको छोटा-सा उदाहरण देना चाहता

हूं। एक सरकार और एक व्यक्ति का बजट लगभग बराबर रहता है। एक परिवार जिसकी मासिक आय 50,000 रुपये है वह साल का 6 लाख रुपये कमाता है। पांच लाख रुपये में वह परिवार अपना भरण-पोषण करता है और एक लाख रुपये एफ0डी0 में डाल देता है। वह पिछले 8 साल से उस पैसे को बचा रहा है और हो सकता है कि आज उनके खाते में 8-10 लाख रुपये पड़ा हो। अब इस घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसका लिवर ट्रांसप्लांट का केस आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि लिवर का उपचार करवाने के लिए 25 लाख रुपये खर्च होंगे। जिस परिवार का सामर्थ्य 8-10 लाख रुपये का है वह 25 लाख रुपये कहां से लाएगा? मैं यह मानता हूं कि वे 10 लाख रुपये अपनी सेविंग से और 5 लाख रुपये हिमकेयर कार्ड से लेकर आ गए। दो-

03.12.2025/1555/RKS/HK-2

तीन लाख रुपये उन्होंने किसी से उधार ले लिया लेकिन अब भी 7-8 लाख रुपये का गैप है और यह पैसा कहां से आएगा? इन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी मदद मांगी। इनका एक मामा विदेश में रहता है। वह मामा विदेश से गांव आया। वह इनके घर तो आए नहीं लेकिन चौक पर बैठकर हल्ला मचा दिया कि बाकी 7 लाख रुपये मैं दूंगा। सब लोगों को यह पता चल गया कि 7 लाख रुपये मामा दे रहे हैं। मामा जी फ्लाइट पकड़ कर विदेश चले गए। लोग मान रहे हैं कि पैसा मामा देंगे लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया। अब वह परिवार क्या करे? मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जो गैप है उसे कैसे पूरा किया जाए। आप कहते हैं कि अगर आपसे नहीं सम्भाला जा रहा है तो आप हम पर छोड़ दो और हम पैसा लेकर आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहां से पैसा लाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। मतलब जो आपके घर का 10,000 या 55,000 का बजट है उसमें 9300 करोड़ रुपये का गैप वर्ष 2023 में पड़ गया और लगभग 10,000 करोड़ रुपये का बजट इस वर्ष पड़ गया। हमने अपने रिसोर्सिज से 4500 करोड़ रुपये बांट दिया। अब बाकी जो गैप है वह कहां से लाएं? आपने हमें ओ0पी0एस0 देने की यह सजा दी कि प्रति वर्ष हमारी 1600 करोड़ रुपये की बोरोइंग को समाप्त करवा दिया। यह राशि पिछले तीन वर्षों में 4800 करोड़ रुपये हो गई है। आपने उसे रुकवा दिया है। आप सब जानते हैं कि

आर0डी0जी0 ग्रांट 1100 करोड़ रुपये से 3200 करोड़ रुपये हो गई है। ...(व्यवधान) मेरा सवाल यह है कि जो गैप 7 लाख रुपये का है वह कहां से आएगा? आप इस सिचुएशन को अपनी घर की सिचुएशन लेकर चलिए। आपके घर में बीमारी हो गई और इसके लिए आपको 25 लाख रुपये की जरूरत है लेकिन आपके पास 17 लाख रुपये है तो बाकी 8 लाख रुपये कहां से आएगा?

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

03.12.2025/1600/बी.एस./एच के-1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी...

यह बाप की जिम्मेवारी है मैं मानता हूं, लेकिन मैं यह बोल रहा हूं कि मामा जी जो 1500 करोड़ रुपये बोल कर गए थे अगर आज आप गूगल मैप पर चेक करें कि दिल्ली से कोई पैदल चले तो 96 घंटे में शिमला पहुंच जाता है। आज हमारे को कम-से-कम 96 दिन हो गए हैं अगर वह सहायता पैदल भी आ रही होती, मैं बैलगाड़ी भी नहीं बोल रहा हूं, तब भी हमारे पास पहुंच गई होती। आपकी सहायता है कहां? और यह सहायता कौन सी आ रही है? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 5500 करोड़ रुपये की बात करते हैं ये सब फर्जी आंकड़े हैं। ये फर्जी आंकड़े क्यों हैं, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 का पैसा हमारे हक की कमाई है चाहे यहां आपदा आए या न आए। वह पैसा हर साल मिलेगा। मुख्य मंत्री आपको बता चुके हैं कि वर्ष 2017 में 260 करोड़ रुपये आपको मिला वर्ष 2018 में 280 करोड़ रुपये आपको मिला वर्ष 2019 में 454 करोड़ रुपये आपको मिला और वर्ष 2021 में आपको 225 करोड़ रुपये मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि दस टाइम कौन सी आपदा थी? उस टाइम केवल एक ही आपदा थी वह भी भारतीय जनता पार्टी आपदा। फिर भी आपको पैसा मिलता रहा। आज जो हमें आपदा का पैसा आ रहा है। भाई ऐसा है कि मेरा राहुल और शनि एक ही घर में है इसलिए मेरे को बार-बार टोकोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो ब्रिज फंडिंग होनी है वह केन्द्र की सहायता के बगैर नहीं हो सकती और जो आप लोग बोलते हैं कि केंद्र सहायता कर रहा है वह नहीं कर रहा है। क्योंकि 9,300 करोड़ रुपये का जो वर्ष 2023 का हमारा पी0डी0एन0ए0 का असेसमेंट

था उसमें से अल्टिमेटली इस साल दो हजार करोड़ रुपये पी0डी0एन0ए0 का स्वीकृत किया गया कि 2,000 करोड़ रुपये आपको देंगे। इसमें से भी टोटल 491 करोड़ रुपये आज तक आया है और अगर यह हकीकत नहीं है तो आप प्रूफ करके दिखा दो। आप कागज दिखाएं वहां से ऐसा नहीं बोलना कि यह हो गया और वह हो गया। मैं आपको सच्चाई बताता हूं और सच्चाई यह है कि आज डॉलर 90 रुपये क्रॉस कर गया है। हमारी अर्थव्यवस्था की यह हालत है और it is the worst performing currency in entire Asia including आपका अफगानिस्तान रुपया और आपका बांग्लादेशी टका, मेरा बोलने का मतलब बड़ा सीधा है कि अगर आज प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश के ऊपर आई है तो

03.12.2025/1600/बी.एस./एच के-2

हमारा फर्ज बनता है कि जो हमने वायदे किए हैं उनको निभाएं जो पैकेज बोला है उसे पूरा करें। लेकिन क्या केन्द्र सरकार का कोई दायित्व नहीं है? आप खुद कहते हैं कि 49.2 प्रतिशत जनता ने हमें वोट डाला अब जो आपदा आई है तो उतने ही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के भी प्रभातिव हुए हैं। आप क्यों नहीं बोलते कि 1500 करोड़ रुपये जल्दी दीजिए हमारे लोग सफर कर रहे हैं। आपका खून खोलना चाहिए जब पता है कि पैसा वहां से आना है परंतु आ रही रहा है। आप वहां बोलने की बजाय हमारे ऊपर हंस रहे हैं। आप हम पर नहीं हंस रहे हैं परंतु अपने लोगों पर हंस रहे हैं और इसका जवाब लोग ही देंगे और बड़ी जल्दी जवाब देंगे। बात बड़ी साधारण है कि जब कोई आपदा आती है तो वह एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आती वह आपदा एक समुदाय के ऊपर, एक समाज के ऊपर और स्टेट के ऊपर आती है और उस आपदा में हर व्यक्ति को चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो चाहे, वह बाकी हमारे सिविल समाज के लोग हों और हमारे समाज सेवी हों। हर व्यक्ति को हेल्प करनी चाहिए पीछे छुपकर हंसना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा के अंदर हमारी जो सरकार ने जो-जो काम करना था हम काफी हद तक उस प्लान को इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं। इसमें सिर्फ एक डेट्रिमेंटल फैक्टर है और वो फैक्टर है रिसोर्सेस का उस रिसोर्स के लिए मैं यहां पर खड़ा होकर आप सबसे रिक्वेस्ट करना

चाहता हूं कि जो हमसे बन पाएगा in terms of getting our rightful share back. चाहे पंजाब का 1600 करोड़ रुपये है, उत्तराखंड का 1400 करोड़ रुपये है और हिमाचल प्रदेश का 1500 करोड़ है, यह इन स्टेट्स को समय पर मिलना चाहिए। Justice delayed is justice denied. अगर पैसा जितना हम डिले करते जाएंगे मीमतें उतनी बढ़ती जाएंगी। जो व्यक्ति आज भी सफर कर रहे हैं जिनकी एक किस्त आई है और दूसरी किस्त नहीं आई है किसी की गौशाला टूटी है वे बड़ी आशा के साथ इस विधान सभा को देख रहा है। वह राज्य और केन्द्र को नहीं देख रहा है। हब सब का दायित्व बनता है कि हम लल्द-से-जल्द इनके जो लॉसेस हुए हैं, हम उनको पूरा कर पाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

3.12.2025/1605/डी0टी0/वाई0के0 -1

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी।

श्री सुख राम चौधरी : सभापति महोदय, दिनांक 27 11 2025 को इस सदन में प्राकृतिक आपदा जो चर्चा आरंभ हुई थी उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत-से वक्ताओं ने बहुत-सी बातें यहां रखी हैं। इस बार में लगभग साढ़े चार महीने तक बरसात हुई। यह बरसात जून माह से शुरू हुई और सितम्बर माह के मध्य में जाकर यह बरसात खत्म हुई। इससे बहुत सा नुकसान प्रदेश में हुआ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 1. 09. 2025 को प्रातः 6 बजे के लगभग गिरी नदी में बहुत बड़ा फ्लड आया और फूलपुर पंचायत का एक गांव बांदड़ा उसके डेढ़ किलोमीटर के हिस्से में भारी कटाव उस फ्लड के कारण हुआ। इस भूमि कटाव के कारण लगभग 25 घर प्रभावित हुए जिनमें से कुछ घर पूर्ण रूप से डैमेज हुए। उस फ्लड से कुछ गौशालाएं भी डैमेज हुई।

सभपति महोदय इस घटना को लगभग तीन महीने का समय हो गया है और जब यह फ्लड आया तो जिला प्रशासन प्रभावितों के पास गया और जिन लोगों के घरों में दरारें आ गई थी उनसे कहा कि आप यहां से शिफ्ट हो जाओं किसी दूसरी जगह चले जाओ-इसके लिए आप को सरकार की ओर से किराया दिया जायेगा। परंतु तीन महीने में उस प्रभावित

क्षेत्र के नौ परिवार ऐसे हैं जिनको किराए के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला। मैं 1 सितंबर को जब मानसून सत्र समाप्त हुआ मैं उस प्रभावित गांव में गया। प्रभावित लोगों की सहायता स्वरूप प्रशासन ने उन्हें राशन व तरपालें दी। उन प्रभावित 18 परिवारों में से एक परिवार को 20,000 रुपये दिए गये और बाकी परिवारों को 5000-5000 रुपये दिए गये। हमने अपने लोगों को इकट्ठा किया और 40 परिवारों को 15-15 दिन का राशन एक बार दिया और 15 दिन बाद 40 परिवारों के लिए फिर राशन भिजवाया। फ्लड के कारण जो गौशाला डैमेज हुई थी उसमें रहने वाले पशु ले में घूम रहे थे। सरकार तो कह रही थी कि हमने सिर्फ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए ही धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई बल्कि गौशालाओं के लिए भी धनराशि उपलब्ध करवाई है। लेकिन जो गौशालाएं उस क्षेत्र में टूट गई थी उस में रह रहे पशु 20- 25 दिनों तक, उस बरसात के मौसम में, सड़कों पर घूमते रहे। लेकिन हमनें लोगों के सहयोग से लगभग 60000/- रुपये की राशि व्यय करके 6 परिवारों के लिए टीन के शैड वाली टेंपररी 6

3.12.2025/1605/डी0टी0/वाई0के0 -2

गौशालएं बनाई। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि सरकार बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करती है परंतु धरातल पर वे बातें पूरी नहीं होतीं। लोगों ने हमें याद किया और एक बार राशन दे दिया दो बार राशन दे दिया लेकिन प्रभावित लोगों के और भी खर्चे थे बच्चों को स्कूल का खर्चा है, सरकार ने 5000-5000 सरकार ने दिया और कहा कि शेष पैसा बाद में आयेगा। क्योंकि सरकार का रिलीफ मैन्युअल है वह पूरे जिलों पर लागू नहीं हुआ था कि विशेष पैकेज देना है या नहीं देना है, वह बाद में लागू हुआ। लेकिन उसके बाद भी भी लोगों ने पैसे इकट्ठे करके उन परिवारों की मदद की।

आज समस्या यह है कि डेढ़ किलोमीटर का प्रभावित एरिया है उसमें मलवे के कारण 50-50 फुट की पहाड़ियां खड़ी हो गई है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इस मौसम में कभी भी बरसात उस क्षेत्र में हो सकती है और अगर आने वाले मौसम के मद्देनजर काम नहीं हुआ तो वह पूरा गांव तबहा हो जाएगा। मैंने इसी विधानसभा में प्रश्न संख्या 3535 के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा था विषय उस प्रश्न का था "बरसात से हुए नुकसान" इस प्रश्न में

मैंने पूछा था कि 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर वर्ष 2025 तक पांवटा विधान सभा क्षेत्र में कितनी योजना बंद है और जो मुझे जवाब आया उसमें कहा गया कि 16 सिंचाई योजनाएं और 78 पेयजल योजनाएं को नुकसान हुआ है और 16 सिंचाई योजनाओं को स्थाई रूप से चलाने का प्रोविजन किया जा रहा है। 4 सिंचाई योजनाएं अभी भी बंद हैं। एक स्कीम पूर्ण रूप से बह गई है। उसमें लिखा है उठाऊ सिंचाई योजना बांगड़ा गत बरसात में पूर्णता बह गई और उसकी बहाली के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह योजना वर्ष 1978 में भी फ्लड के कारण बही थी।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

03.12.2025/1610/वाई.के.-एन.जी./1

श्री सुख राम चौधरी..........जारी

वर्ष 1998 में प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी और मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब मैंने यह योजना चलवा कर दी थी। उस समय यह योजना लगभग 20 साल तक बंद रही थी जोकि 5 हज़ार बीघा भूमि की सिंचाई करती है। आज भी हम विभाग से बार-बार पूछ रहे हैं कि यह योजना कब चलेगी, इसके लिए कितना समय लगेगा लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। जब हम विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम इसके लिए पैसे जारी नहीं कर सकते। मैंने दिनांक 27-11-2025 को प्रश्न संख्या - 3559 लगाया था और उसका जवाब भी यही आया है। हिमाचल प्रदेश में जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी तब बाता नदी की चैनेलाइजेशन के लिए दिनांक 13-07-2009 को 3467.32 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। उस समय बाता नदी को चैनेलाइज किया गया था। पिछले वर्ष की बरसात में कुंडियों गांव में इसका एक हिस्सा टूट गया था। मैं एक वर्ष तक वर्तमान प्रदेश सरकार से मांग करता रहा कि इस हिस्से को ठीक कर दीजिए नहीं तो अगली बरसात में जब ज्यादा पानी आएगा तो इस गांव की लगभग एक किलोमीटर की उपजाऊ जमीन बह जाएगी। प्रदेश सरकार

पर मेरी बात का एक प्रतिशत भी असर नहीं हुआ। उसके बाद इस वर्ष फिर से भारी बरसात हुई और इस टूटे हुए हिस्से की चौड़ाई जो पहले केवल 20-25 फुट थी अब वह बढ़कर 150 फुट हो गई। जिसके कारण लोगों की कम-से-कम 100 बीघा जमीन का नुकसान हुआ क्योंकि वहां से पानी निकलकर और एक किलोमीटर घूम कर नदी में मिला है। यह सरकार कितनी गम्भीर है? एक साल तक इस सरकार को उस 25 फुट के कटाव को रोकने के लिए पैसा नहीं मिल पाया। हम बार-बार सरकार से कहते रहे कि इसके लिए पैसा दे दीजिए लेकिन हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है। जिस कारण आज उस हिस्से की चौड़ाई बढ़ गई है।

03.12.2025/1610/वाई.के.-एन.जी./2

मैंने इसके लिए प्रश्न किया था तो उसका जवाब आया कि Wire Crate at RD 8930 to 9080 Mtrs in GP Kundion के लिए लगभग 80 लाख रुपये का प्राक्कलन बना कर उपायुक्त (सिरमौर) को भेज दिया है और जब इसका पैसा मिलेगा तब इसका चैनेलाइजेशन कर देंगे। यदि प्रदेश सरकार इसका पैसा नहीं देगी तो क्या यह सारी जमीन बह जाएगी? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

सभापति महोदय, वर्ष 2023 में सिरमौरी ताल में बादल फटा था और एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा 10 परिवारों की जमीनों पर 20-20 फुट मलबा चढ़ गया था और हमने सरकार से मांग की कि इसकी सफाई करवाने और सड़कें बनाने के लिए लिए पैसे दे दीजिए। इसके लिए मैंने दिनांक 02-12-2025 को एक प्रश्न लगाया था। मैंने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि गांव सिरमौरी ताल में लगभग 10 परिवारों की जमीन अगस्त-2023 में भारी बरसात/बादल फटने से भारी मलबा भरने से सैंकड़ों बीघा जमीन बंजर बन रही है; यदि हां, तो भूमि सुधार हेतु संबंधित विभाग ने अब

तक क्या-क्या पग उठाए हैं; सूचना सभा पटल पर रखें? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या लोगों की जमीन की सफाई करने के लिए पैसा दिया गया? क्या वहां पर रास्तों को खोला गया है? इस बात को दो साल हो गए हैं और इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है"। लेकिन प्रदेश सरकार तो बड़े-बड़े दावे कर रही है। प्रदेश सरकार दो सालों में भी उन लोगों की जमीन की सफाई नहीं करवा पाई। उस समय जो रास्ते बंद हुए थे, वे आज भी बंद पड़े हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार काम करने में कितनी गम्भीर है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 15-08-2025 को माननीय लोक निर्माण मंत्री, श्री विक्रमादित्य सिंह जी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष में आए थे। उन्होंने पांवटा साहिब में निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया था और मुझे भी टेलिफोन किया जिस कारण मैं भी उनके साथ निरीक्षण करने गया था।

03.12.2025/1610/वाई.के.-एन.जी./3

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बागरण से लेकर भगानी तक लगभग 30 किलोमीटर की सड़क है। वहां पर एक ब्रिज बना हुआ है जोकि उत्तराखण्ड सरकार ने बनाया है लेकिन उसको सड़क से जोड़ना शेष है और आदरणीय श्री चन्द्र कुमार जी (माननीय कृषि मंत्री) को मालूम है कि उसमें कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष है। लेकिन 3 साल के बाद भी हम उस जमीन को अधिग्रहित नहीं कर पाए। वहां पर ब्रिज बना हुआ है लेकिन हम उसे जोड़ने के लिए सड़क नहीं बना पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह सड़क क्यों नहीं बन पा रही है और क्यों हम उस जमीन को अधिग्रहित नहीं कर पा रहे हैं? उस समय श्री विक्रमादित्य सिंह जी (माननीय लोक निर्माण मंत्री) ने कहा कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और

श्रीमती पी0बी0 द्वारा……जारी

03.12.2025/1615/ए0जी0-पी0बी0/1

श्री सुख राम चौधरी ....जारी

हम बरसात के तुरंत बाद इसमें काम लगवाएंगे। मेरे पास दिनांक 01.08.2024 का जवाब है कि दिनांक 01.09.2025 को गत तीन वर्षों में एम0डी0आर0-94 में सड़क की कितनी ए0एम0पी0 हुई है? यह 30 किलोमीटर की महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें प्रतिदिन कम-से-कम 10 हजार छोटी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं और इससे 16-17 पंचायतें लाभान्वित होती हैं। यह इंटर-स्टेट कनैक्टिविटी की सड़क है। इस सड़क पर रात के समय मेरे क्षेत्र के विभिन्न स्टोन क्रशर्ज से उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब और उत्तरप्रदेश के 750-1200 ट्राले रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलते हैं। उन ट्रकों में भारी भरकम लोड होता है इसलिए यह महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क हिमाचल प्रदेश की सरकार को कम-से-कम को 55 से 70 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रेवेन्यू देती है। लेकिन सरकार ने उसकी कितनी ए0एम0पी0 की है? पिछले तीन वर्षों में उस सड़क की केवल 30 किलामीटर में से 16 किलोमीटर की ए0एम0पी0 स्वीकृत हुई है और जिसमें से मात्र 11 किलोमीटर की ए0एम0पी0 हुई है। अभी बरसात के बाद तीन महीने बीत गए हैं और उस पर एक भी पैचवर्क नहीं हुआ है। जिस सड़क पर बांगरण से लेकर शिप्पर, गोरखवाला, पुरवाला, गोदरीमाजरी, बगानी तक एक रात में लगभग 750 से 1000 बड़े-बड़े ट्राले जाएंगे, जिसमें एक ट्राला 50-60 टन मटीरियल भरता है, उससे सड़क पर कितने खड्डे पड़ते होंगे? भारी बरसात के बाद यह पता नहीं चलता है कि सड़क में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है। उस सड़क पर जब लोग खड्डा बचाने के लिए सड़क में गलत साइड से गाड़ी चलाते हैं तो कई दुर्घटनाएं होती हैं। इस तरह से खोड़ोवाला में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 15 दिन पहले शिप्पर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जब सरकार मुख्य सड़कों की रिपेयर नहीं कर रही है तो गांव या देहातों की सड़कों की रिपेयर तो बहुत दूर की बात है। मैं वर्तमान सरकार को कहना चाहता हूं कि पिछले तीन महीने में एक किलोमीटर सड़क का ए0एम0पी0 में काम नहीं हुआ है और उसके लिए मैं वर्तमान सरकार को आइना दिखाना चाहता हूं। हमारे साथ वैसे ही आपका

सौतेला व्यवहार है। मेरे डिविजन पांवटा साहिब में 7 पंचायतें हैं, 12 पंचायतें नाहन की है, आपका सारा पैसा वहीं पर खर्च हो जाता है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आप एक पैसा नहीं लगाते। हालत यह है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया, माइनिंग एरिया और जो स्टोन क्रशर्ज एरिया है वे सरकार को करोड़ों रुपये रेवेन्यू देते हैं लेकिन उन सड़कों की भी आप तीन साल तक रिपेयर नहीं करवा सके। यह आपकी सरकार की

03.12.2025/1615/ए0जी0-पी0बी0/2

असलियत है। आप लोगों को बड़ी-बड़ी बातें कर गुमराह कर रहे हैं। आप वही बात करिये जो धरातल पर पूरी हो सकती है। जो बात पूरी नहीं हो सकती उसका करने का क्या फायदा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें स्वीकृत हुई लेकिन उसमें मेरे चुनाव क्षेत्र की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। 10-12 सड़कें ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा आवाजाही रहती है। हम उत्तराखंड और हरियाणा से जुड़े हैं, हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगता है। बाकी विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के डिविजनों की 4-4 सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हो जाती है परंतु पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र की एक भी सड़क स्वीकृत नहीं हुई। इसका कारण क्या है? इसके लिए आपने या तो अधिकारियों को बोल रखा है कि इनका काम नहीं करना। हमारी सड़कें नाबार्ड में क्यों नहीं सैंक्शन हो रही है? हमें वहां से जवाब मिलता है कि रिएडवर्टाइजमेंट करिए, मुख्य मंत्री जी के पास जाइए क्योंकि नाबार्ड में आपकी कोई सड़क स्वीकृत नहीं होगी जब तक मुख्य मंत्री जी दोबारा उसकी रिकॉमेंडेशन नहीं भेजते। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था। हमारी तीन साल में कोई सड़क, पीने के पानी की स्कीम और सिंचाई योजना सैंक्शन नहीं हुई। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में आप हमें प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। नाबार्ड में आप विपक्ष के विधायकों की योजनाओं को स्वीकृत नहीं कर रहे हैं। फिर आप नाबर्ड में स्कीमों को भेजते ही क्यों हो? जब आपने नाबार्ड में कोई स्कीम स्वीकृत नहीं करनी है, उसकी प्राथमिकता दोबार मुख्य मंत्री जी ने तय करनी है तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

3.12.2025/1620/a.g/a.p/01

श्री सुख राम चौधरी जारी ....

नाबार्ड में भेजने से पहले सिंचाई और पेयजल की योजनाएं मुख्य मंत्री के पास जाएं। मुख्य मंत्री स्वयं प्राथमिकता तय करें कि कौन-सी योजना स्वीकृत होगी और कौन-सी नहीं। पिछले तीन वर्षों से हमारी सड़कें नाबार्ड में अटकी हुई हैं। ऐसी योजनाओं को भेजने का क्या लाभ है, जब नियम ही ऐसा बना दिया गया है कि योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिलती। आप न तो डिसेंट्रलाइजेशन में पैसा स्वीकृत करते हैं, न एस0सी0 कंपोनेंट में और न ही पिछड़े वर्ग में। विधायक क्षेत्र विकास निधि भी आपने बंद कर दी है। विपक्ष के सदस्य अपनी फरियाद किससे करें? आप विपक्ष के किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र करोड़ों रुपये का राजस्व प्रदेश को देता है। इंडस्ट्री, स्टोन क्रशर और माइनिंग से कितना राजस्व उत्पन्न होता है, लेकिन आपके तीन साल के कार्यकाल में स्टेट हेड से मेरे क्षेत्र में दो करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए। आप बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते। मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है। यदि आप स्टेट हेड से पैसा नहीं दे सकते या नाबार्ड से स्वीकृति नहीं दिला सकते तो कृपया इन सड़कों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राथमिकता दें ताकि ये सड़कें स्वीकृत हो सकें। पुरवाला, डांडा, अंबुआ, राजपुरा,नकेता, टारू, कलाथा, वढ़ाणा, किलौड, उत्तराखंड को जोड़ती है,इसकी 25 किलोमीटर की लंबाई है। लेकिन आज इस पर चलना मुश्किल है। लोक निमार्ण मंत्री जी वहां गए थे। मैंन कहा था कि सड़क कैसी है? यदि इस सड़क को आप प्रधान मंत्री अपग्रेडेशन में डाल दें और यह स्वीकृत हो जाएगी तो लोगों का इसमें कल्याण हो जाएगा। परंतु आपने इसे नहीं डला। परंतु पावंटा विधान सभा चुनाव क्षेत्र आपकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं फिर दूसरी सड़क कह रहा हूं। संपर्क मार्ग एम0डी0आर0 बागरण, शिवपुर, सालवाला, सिगपुरा, भंगानी, खोदरी माजरी, यह उत्तराखंड को जोड़ती

है, इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी वाली सड़क है और 31 मिलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे आप प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में डाल दीजिए। संपर्क मार्ग राजपुरा, लोभी, किरोग, कंडेला, सालवाला 8 किमी लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली, समयाला 5 किमी। संपर्क मार्ग गुलाबगढ़, परदूली, गिरिनगर, खम्बानगर इसकी 15 किमी लंबाई

3.12.2025/1620/a.g/a.p/02

है। नाहन विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है। संपर्क मार्ग रामपुरघाट, बरोटीवाला, नवादा, शिवपुर 8 किमी लंबाई है। संपर्क मार्ग भरली, शिवा, भनौर 8 किमी । संपर्क मार्ग गांव गोहरकटवाना, नारीवाला 5 किमी। संपर्क मार्ग अंबीवाला, आलवाला 4 किमी। गिरिनदी, बागरण,नवादा तक 6 किमी। यदि इन सड़कों को प्राथमिकता दी जाए तो केंद्र सरकार से पैसा आएगा और सड़कें बन जाएंगी। लेकिन आपने सिरमौर जिले में केवल तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, बाकी को नजरअंदाज कर दिया है। क्या इसलिए कि पोवंटा साहिब उत्तराखंड के नजदीक है, तो आप इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानते हैं? मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपने स्टेट हेड से एक भी पैसा नहीं दिया और नाबार्ड में कोई योजना स्वीकृत नहीं की है। यदि स्वीकृति नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा? मैंने देखा कि बागरण में चैनलाइजेशन का काम नहीं हुआ। इससे कम-से-कम 50 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और सैकड़ों बीघा जमीन प्रभावित होगी। इसकी भरपाई कौन करेगा? मैंने कहा कि मैं अपनी विधायक निधि से 40 लाख रुपये दूंगा, लेकिन आपने विधायक निधि भी बंद कर दी। लोग किसके पास जाएं? किसी का पशु मर गया तो मुआवजा नहीं मिलता, घर क्षतिग्रस्त हो गए तो पैसा नहीं मिलता। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि जिन नदियों और नालों की ऊंचाई बढ़ गई है उनमें से कम-से-कम सामग्री उठाने की अनुमति दी जाए। अंबीवाला खाला में 20 फुट सामग्री जमा हो गई है और पानी किनारों से बह रहा है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

03.12.2025/1625/AT/AS/01

श्री सुख राम चौधरी जारी...

और बहुत से घर डैमेज हो गए हैं। मैंने माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी से भी कहा था कि यहां से इसका मैटेरियल उठा लो ताकि पानी बीच में से निकल जाए, नहीं तो पूरा गांव बह जाएगा। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज पावंटा के लोग इसी कारण परेशान हैं। दिन को दुनिया भर का रश रहता है और शाम 6:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक ट्रालियां चलती हैं। कम से कम 1000 से ज्यादा ट्राले चलते हैं। लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते। वहां पर अल्टरनेट सड़क बनाई जाए। यमुना नदी का चैनेलाइजेशन जहां से खोदवी माधवी से बहराल तक होना है उसके किनारे-किनारे बाहर से रास्ता निकाला जाए। रामपुर गांव से नवादा की सड़क भी बहुत व्यस्त रहती है। अगर अल्टरनेट रास्ता बन जाएगा तो स्टोन क्रशर भी चलते रहेंगे, माइनिंग एरिया भी, फैक्ट्री भी चलती रहेगी और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। आज रोड़ क्रॉस करना मुश्किल हो गया है। रात को दो-दो घंटे इंतजार करना पड़ता है। यह अल्टरनेट सड़क बन सकती है। रेवेन्यू आ रहा है। यह देहात की सड़कें तो नहीं है जहां एक-एक गावं हैं। यहां घनी आबादी है। हमारे इलाके में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है। इस इलाके का आप ध्यान नहीं रख पा रहे जो आपको इतना रेवेन्यू देता है। आप इंटीरियर इलाके में क्या करते होंगे जहां एक -एक गांव होगा, वहां पर फिर कितना काम होता होगा?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, परंतु जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके सहानुभूति के लिए कुछ काम तो किया जा सकता है। लोगों की जमीन का नुकसान हुआ है। खारा गांव में 50 बीघा जमीन बह गई और मेरे को जवाब में क्या आया कि इसका प्रालंकन तैयार करके किसी एक हेड में भेजा जाएगा तब जाकर इसका पैसा आएगा। तब तक तो सारी जमीन बैठ जाएगी। मैंने कहा कि जहां ज्यादा नुकसान है, वहां का तुरंत इंतजाम कर दो। 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपये दे दो ताकि पानी अंदर तक न घुसे, नहीं तो पूरी जमीन बह

जाएगी और जब तक आपका प्रालंकन तैयार होगा, तब तक तो आपकी सरकार ही चली जाएगी।

03.12.2025/1625/AT/AS/02

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं विश्वास के साथ सदन में कह रहा हूं तीन साल में एक सड़क बता दीजिए जो आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाई हो, 3 साल में स्टेट हेड से 10 किलोमीटर की टायरिंग भी हुई हो। मैं रिजाईन दे सकता हूं इस विधानसभा से अगर आप मुझे 10 किलोमीटर की सड़क की टायरिंग बता दें। आप काम कुछ करते नहीं हैं। तीन साल में सड़क खराब नहीं होती, 4 साल बरसात के बाद टायरिंग दोबारा नहीं करनी पड़ती। सड़कें टूट गई हैं। इतनी हैवी गाड़ियां चल रही हैं। 60 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हम हर साल इस क्षेत्र से सरकार को देते हैं। तो क्या उसकी रिटायरिंग नहीं होनी चाहिए? एम0पी0 भी नहीं होना चाहिए? एक साल में 1 किलोमीटर, अगले साल 2 किलोमीटर कर दी, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन विधानसभा क्षेत्रों का भी ध्यान रखें जहां विपक्ष के विधायक हैं। बातें उतनी ही करें जितनी सही हों क्योंकि सिर्फ बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, धरातल पर काम करना पड़ता है। उत्तराखंड वालों का क्या कसूर है, 3 साल पहले ब्रिज तैयार हुआ, 44 करोड़ खर्च हुआ,चार बार इस सदन में मैंने आवाज उठाई। हम आदरणीय विक्रमादित्य जी को ले गए, आदरणीय चंद्र कुमार जी से भी बात की 500 मीटर जमीन की नोटिफिकेशन आज तक एक्वायर नहीं हुई तीन साल में उसका क्या कारण है। क्या आपकी काम करने की मंशा है या नहीं? आप काम करना चाहते हैं या नहीं? 500 मीटर सड़क बना देते तो 3 साल पहले लोगों को कनेक्टिविटी मिल जाती। उत्तराखंड ने तो 44 करोड़ लगा दिए। उसमें सरकार की क्या इमेज बन रही है? आज हम कमेटी भेज रहे हैं, आज हम यह काम कर रहे हैं लेकिन तीन साल हो गए, ब्रिज खड़ा है, दीवार लगा रखी है कि एक्सीडेंट न हो जाए। यही आपका काम करने का तरीका है, खासकर वहां जहां विपक्ष के विधायक हैं, आपका उनको देखने का यही नजरिया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है

कि नाबार्ड की सड़क सेक्शन करने के लिए जो क्वायरी लगा रखी है, विपक्ष के विधायकों की भी एक-एक सड़क तो स्वीकृत करें। एक स्कीम तो उनके क्षेत्रों में भी दें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हमारे एरिया को भी प्राथमिकता दें। जहां जमीन का नुकसान हो गया है, वहां चैनलाइजेशन कर दें। नहीं तो कुंडियां गांव पूरा बह जाएगा।

एम0डी0 द्वारा जारी....

03-12-2025/1630/AS/MD/1

श्री सुख राम चौधरी---जारी

फिर क्या हम वहां केवल सांत्वना देने ही जाएंगे? आपका ही नुकसान होगा, और हम वहां जाकर जनता के सामने खड़े हो जाएंगे। एक साल में आप इंतज़ाम भी नहीं कर पाए। इसलिए लंबी-चौड़ी बात न कहते हुए मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कृपया मेरे विधान सभा क्षेत्र का ध्यान रखें और किसी न किसी प्रकार से बजट उपलब्ध करवाएं, ताकि हम लोगों के काम करवा सकें। मैं नए कामों की बात नहीं कर रहा हूं; मैं तो सिर्फ पुराने कामों की बात कर रहा हूं। स्कूल भवनों के जो कार्य अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा कर दें। जहां भूमि का नुकसान हुआ है, वहां छोटे-छोटे चैनल और ढंगे लगवा दें ताकि आगे और नुकसान न हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी प्राथमिकता दे दें। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार लगभग 35 प्रतिशत धान नष्ट हो गया। किसानों ने फसल काटी ही नहीं ट्रैक्टरों से खेत में ही दबा दी, क्योंकि फसल पूरी तरह खराब हो गई। किसानों को एक पैसा मुआवज़ा नहीं मिला। हमारी मंडियों की हालत भी चिंता का विषय है। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की जो मंडियां हमारी सरकार के समय में पांवटा में खुली थीं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि दौ मंड़िया पांवटा और धोला-कुआं वहां चल रही है। 15 दिन में जब धान खरीद के दौरान 15 दिनों में ही मंडियों में जगह की कमी हो जाती है। किसान किराए के ट्रैक्टर लेकर 7-7 दिन तक लाइन में खड़े रहते हैं। इसलिए एक साल का समय है दोनों मंडियां चली हैं। इसलिए कम से कम धान और गेहूं रखने के लिए अल्ट्रानेट स्टोरेज स्पेस तैयार करवा दें, ताकि किसान

जब फसल लेकर आएं तो वह बिक सके और सुरक्षित तरीके से मंडी में स्टोर भी हो सके। वर्तमान स्थिति यह है कि स्टोरेज न होने के कारण 50-100 ट्रॉलियां एक साथ खड़ी रहती हैं, तुलाई बंद कर दी जाती है, और किसानों को मजबूरन हरियाणा अपनी फसल बेचने जाना पड़ता है। मैं आपसे सिर्फ इन दो कार्यों का अनुरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय कृषि मंत्री भाग लेंगे।

03-12-2025/1630/AS/MD/1

कृषि मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी ने कई मुद्दों का यहां उल्लेख किया है। वे मेरे पास उस पुल की कनेक्टिविटी के लिए सड़क देने का अनुरोध लेकर आए थे। मैंने उन्हें बताया था कि वहां हमारा एग्रीकल्चर फ़ार्म है। वे चाहते हैं कि सड़क एग्रीकल्चर फ़ार्म के बीच से निकाली जाए। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैंने डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दे दिए हैं कि वह वहां जाकर साइड से जितनी ज़मीन की आवश्यकता हो, उसे उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया देखें। लेकिन यदि सड़क एग्रीकल्चर फ़ार्म के बीच से सड़क निकलेगी, तो फ़ार्म दो हिस्सों में बंट जाएगा। इसलिए हमने उनसे कहा कि आप साइड वाली जमीन से सड़क निकाल लें। इसके बावजूद वे चाहते हैं कि सड़क फ़ार्म के बीच से निकाली जाए, जो फ़ार्म को दो भागों में बांट देगी और वहां ट्रैफ़िक भी प्रभावित होगा। मैंने उस समय डिप्टी डायरेक्टर को कहा था कि वह स्वयं जाकर माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी जी से मिलें और सड़क की एलाइनमेंट साइड से ही तय करें। मैं यह भी पूछूंगा कि वे आपसे मिलने क्यों नहीं गए। यदि आप साइड से सड़क लेना चाहते हैं तो हम जितनी भूमि की आवश्यकता होगी, उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़ार्म के बीच से सड़क निकालना संभव नहीं है। मैं पुनः डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दूंगा कि वे स्वयं आपके साथ जाकर साइड वाली एलाइनमेंट तय करें। दूसरी बात, इन्होंने नाबार्ड का जिक्र किया। नाबार्ड एक लोन देने वाली संस्था है। हमारे समय में

नाबार्ड लोन पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं थे और न ही कोई लिमिटेड किटी नहीं थी। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय मैं सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग का मंत्री था, और हम खुलकर नाबार्ड के लिए प्रोजेक्ट लेकर जाते थे और हमें फंड मिल जाता था। अब नाबार्ड ने हर राज्य के लिए एक कैप लगा दी है। आखिरकार, नाबार्ड एक बैंक है और यह मूल रूप से कृषि क्षेत्र का बैंक है। यह लोनिंग करता है और उस लोन में राज्य का जितना हिस्सा बनता है उसके अनुसार जितने भी विधायक हैं चाहे वह सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है उतनी किटी उनको मिल जाती है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

03.12.2025/1635/केएस/डीसी/1

कृषि मंत्री जारी ---

उतनी किट्टी उनको मिल जाती है। पी.डब्ल्यू.डी. में कितनी सड़कें उनको देनी हैं, आई.पी.एच. में उनको कितनी सड़कें देनी हैं, प्लानिंग वालों से उस किट्टी का जितना-जितना शेयर जिस-जिस विधायक का बनता है, वह उनको मिल जाता है। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि इनके वक्त में नाबार्ड का जो लोन आया था, पूर्व में इनकी सरकार के समय सबसे ज्यादा पैसे नाबार्ड से इनको मिले हैं। मैं तो प्लानिंग वालों से पूछ रहा था कि मेरे ज्वाली विधान सभा क्षेत्र को नाबार्ड से क्या मिला है तो उन्होने मुझे बताया कि आपकी कोई भी सड़क नाबार्ड में नहीं है। जो पिछला रह गया होगा, वर्ष 2025 में हम आपको काम्पन्सेट कर लेंगे। हमें खुद ही नहीं मिल रहा है। आप अपना रोना रो रहे हैं, हम अपना रोना रो रहे हैं। इसलिए सुख राम चौधरी जी, पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है और ना ही किसी के साथ भेदभाव की बात है। नाबार्ड की अगर आपकी एलोकेशन एग्जॉस्ट हो गई होगी, वर्ष 2025 में आप उन स्कीमों को इन्क्लूड कर सकते हैं। जहां तक जो जमीनें बह गई हैं, उनकी बात है तो इसके लिए भारत सरकार का कोई मापदंड नहीं है कि वह किसी को इस प्रकार से काम्पन्सेशन दे कि कितनी जमीन बह गई, कितने हैक्टेयर बह गई। मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस बार जिनकी जमीनों

में ज्यादा सिल्ट आ गई है, उसको निकालने के लिए प्रति हेक्टेयर 45 हजार रुपये देने का कार्यक्रम बनाया है। लेकिन भारत सरकार का कोई मापदंड नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में देह खड्ड का पूरा कोर्स ही बदल गया है और मेरी अपनी जमीन भी बह गई है। मैं तो प्राइवेट लोगों से पोकलेन, जे.सी.बी. वगैरह ले कर अब खुद बीच से रास्ता बना रहा हूं ताकि पूरे का पूरा पानी उस तरफ चला जाए और जो जमीन बह गई है उसको हम किसी तरह से दोबारा रिकवर कर सकें। इस प्रकार का कोई प्रोजैक्ट नहीं है। इस प्रकार के जो प्रोजैक्ट थे initial reclamations of land के प्रोजैक्ट्स ऊना में शुरू किए गए थे और वे भी मेरे समय में शुरू हुए थे। पहले इस प्रकार का कोई प्रोजैक्ट नहीं था। जितना चैनेलाइजेशन आज आपको ऊना में मिलता है, वे सारे प्रोजैक्ट मेरे समय में, जब मैं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय मैंने उसके प्रावधान हेतु ऊना में एक डिविज़न खोला था। उस समय जो एस्टिमेट बने थे, उसके तहत सारी की सारी स्वां नदी चैनेलाइज़ हुई है। हमारी तरफ किसी भी नदी का चैनेलाइजेशन नहीं हुआ है। ना तो जिला कांगड़ा

03.12.2025/1635/केएस/डीसी/2

जिला की नदी चैनेलाइज़ हुई है। जब स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी इस माननीय सदन में मंत्री थे, उस वक्त हमने इसी तरह के प्रोजैक्ट ब्यास नदी के भी भेजे थे। हमने डाउनस्ट्रीम जितना एरिया हमारा इंदौरा और फतेहपुर चुनाव क्षेत्र का परली तरफ पड़ता है, हमने एक प्रस्ताव भेजा था कि एक रिक्लेमेशन की स्कीम बनाई जाए ताकि हम डाउन स्ट्रीम ब्यास नदी को चैनेलाइज़ कर सके लेकिन अभी तक भी भारत सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है। अतः मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास इतना पैसा किटी में है ही नहीं। इस प्रकार के बड़े-बड़े एस्टिमेट सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग बनाता है । कृषि विभाग ने डंगे लगाने को स्वॉयल कंजर्वेशन के ऑफिस खोल तो रखे हैं लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है । हम तो लिमिटिड काम कर सकते हैं। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग बनाएगा। मैं चौधरी साहब की मंशा को समझता हूं और इनकी समस्याओं के बारे में भी जानता हूं। मैंने तो इनको कई बार अवगत करवाया है कि आप साइड से सड़क बना लीजिए। हम साइड से आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं। सभापति महोदय, मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति : अब माननीय राजस्व मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। ...(व्यवधान) it was decided by the both side Chief Whip and Deputy Chief Whip in the presence of Hon'ble Speaker. I cannot change the decision of Hon'ble Speaker. माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी। ...(व्यवधान) आपके चीफ व्हिप ने कांग्रेस के डिप्टी चीफ व्हिप ने माननीय अध्यक्ष जी के सामने डिसाइड हुआ कि एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष से बोलेगा। I cannot change the decision of Hon'ble Speaker.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

03.12.2025/1640/av/hk/1

सभापति ------ **जारी**

माननीय राजस्व मंत्री, आप बोलिए।

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया और श्री राकेश जम्वाल द्वारा निम्न मुद्दा उठाया गया है।

"प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों" पर यह सदन विचार करे।"

इस विषय को लेकर 19 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और चर्चा के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं।

सभापति महोदय, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. हिमाचल प्रदेश, नवीनवलित हिमालय पर्वतीय श्रृंखला (Young fold mountain) में स्थित है तथा भूकंप, भूस्खलन, बाढ, आग, हिमस्खलन जैसे कई खतरों के प्रति संवेदनशील है। हिमाचल में जून से सितंबर तक मॉनसूनी बारिश होती है जो राज्य के लिए

बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन साथ ही मॉनसून अकसर जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली तबाही के निशान भी छोड़ जाती है।

2. अध्यक्ष महोदय, भारतीय दक्षिण-पश्चिम मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के अस्थायी पैटर्न में एक स्पष्ट बदलाव है, जो आपदाओं की घटना और गंभीरता को बढ़ा देता है। हर साल मॉनसून के दौरान वर्षा, बादल फटने तथा बाढ़ से बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यदि मॉनसून 2023 के आपदा से हुए अप्रत्याशित नुकसान (10 हजार करोड़ रुपये) के अतिरिक्त पूर्व के वर्षों की बात करें तो औसतन नुकसान लगभग 1 से 3 हजार करोड़ रुपये का होता है।

मॉनसून की स्थिति

3. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 23 सितंबर, 2025 के बीच मॉनसून सामान्य से काफी अधिक सक्रिय रहा। इस अवधि में राज्य में कुल 1023.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य 717.6 मिलीमीटर की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक है। अधिकांश जिलों में उल्लेखनीय अधिक वर्षा हुई, जिनमें मण्डी, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर,

03.12.2025/1640/av/hk/2

बिलासपुर, सोलन, ऊना, चंबा और किन्नौर प्रमुख हैं। वर्ष 2025 का मॉनसून हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक वर्षा अतिवृष्टि का दौर काफी लम्बा रहा जिससे व्यापक प्रभाव पड़े।

नुकसान एवं क्षति

4. अध्यक्ष महोदय, मॉनसून सीजन-2025 के दौरान 47 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुईं जिस कारण 98 स्थानों पर अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई एवं 148 स्थानों पर भूस्खलन हुए। इस दौरान दिनांक 30 जून और 1 जुलाई, 2025 की मध्य रात्रि 28 व जुलाई, 2025 से 29 जुलाई, 2025 के मध्य जिला मण्डी तथा दिनांक 26 अगस्त, 2025 को जिला चंबा, कुल्लू व अन्य जिलों में एवं प्रदेश के विभिन्न भागों में बादल फटने, बाढ़ तथा भूस्खलन की अनेक घटनाएं घटित हुईं जिस कारण जान-माल और बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई।

5. सभापति महोदय, इस मॉनसून के दौरान आई आपदा से 1817 घर पूर्णतः नष्ट हो गये हैं तथा 8023 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 7858 गौशालाएं व 518 दुकानें व ढाबा, 107 घराट क्षतिग्रस्त हुए हैं। 3779 पशुधन व 25755 मुर्गियां एवं अन्य पक्षियों का नुकसान हुआ है। इस आपदा से 59 सौ 9 करोड़ 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ हैं। सबसे अधिक नुकसान सड़कों, पुलों पानी व बिजली की संरचनाओं को हुआ है। हालांकि इस त्रासदी से आजीविका को नुकसान कहीं अधिक हुआ है जिसमें कृषि, बागवानी को भारी नुकसान हुआ है तथा पर्यटन उद्योग भी इस आपदा से काफी प्रभावित हुआ है।

6. इस दौरान 468 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जिसमें से 83 व्यक्तियों की मृत्यु बादल फटने, अतिवृष्टि, बाढ़ तथा भूस्खलन से हुई व 36 व्यक्ति लापता हैं। 178 व्यक्तियों की मृत्यु अन्य अधिसूचित आपदाओं से तथा 198 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से हुई है।

टी सी द्वारा जारी

03.12.2025/1645/टी0सी0वी0/एच0के0/-1

राजस्व मंत्री... जारी

इसमें जो व्यक्ति लापता हुए हैं और जिनकी लाशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं उनके बारे में माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। इसमें डेथ डिक्लेयर करने के लिए हमने केंद्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रार से पत्र व्यवहार किया। उनसे मांग की कि हमारे यहां बहुत-सारे लोग लापता हैं उन्हें मृत घोषित किया जाए ताकि उनके परिवारों को राहत राशि रुपये दी जा सके। उनकी तरफ से भी पत्राचार हुआ है और प्रदेश सरकार को निर्देश मिले हैं। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, लापता व्यक्तियों की एफ0आई0आर0 दर्ज हुई होनी चाहिए और उसके बाद संबंधित एस0डी0एम0 तहकीकात करेंगे। उनके जो परिवारजन हैं वे एफिडेविट देंगे कि उनके कौन-कौन लीगल हेयर्ज हैं। इस प्रक्रिया में पब्लिकेशन के माध्यम से यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो वे भी इनवाइट होंगे। यह पब्लिकेशन राजपत्र में की जाती है और यदि हम तेजी से काम करेंगे तो एक या दो महीने में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जो लोग लापता हुए हैं उनके परिवारजनों को राहत दी जा

सकेगी। इस प्रक्रिया हेतु विभिन्न एस0डी0एम0 को निर्देश दिए गए हैं और इसे तुरंत लागू किया जाएगा क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो हमें केंद्र के रजिस्ट्रार जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने में ही हमारे दो- तीन महीने निकल गए हैं। आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु जो मुश्किलें आ रही हैं उनका मामला माननीय सदस्य श्री जम्वाल जी ने उठाया था परंतु अभी मैं अपना रिटर्न वर्शन पढ़ता हूं फिर बाद में इन्होंने जो मुश्किलों या अन्य बातों का जिक्र किया है उनके बारे में बात करूंगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वसित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है परंतु प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 67 प्रतिशत हिस्सा वनभूमि के रूप में दर्ज है। इस संबंध में मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर प्रदेश में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनहानि, संपत्ति और कृषि भूमि को भारी क्षति पहुंचने, प्रभावित क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि और आवासीय मकान पूर्णतः बह जाने तथा उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वसित करने हेतु उस भूमि के उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

03.12.2025/1645/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

सभापति महोदय, प्रदेश में अतिवृष्टि, बादल फटने और बाढ़ के कारण कई नदियों में भारी मात्रा में मलबा, गाद और पत्थरों के जमा होने से नदी का बहाव अवरुद्ध हो रहा है और अत्यधिक जमाव के कारण नदी मार्ग से निकटवर्ती बस्तियों को गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इस संबंध में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में निहित प्रावधानों में छूट हेतु मुख्य मंत्री महोदय ने निकाली गई सामग्री का सुरक्षित निपटान करने तथा आपदा जोखिम को कम करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय से अनुरोध किया था। इसके अलावा मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 15 जुलाई, 2025 को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रदेश में आई आपदा से निपटने, आधारभूत ढांचे और घरों के पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारों की आजीविका की पुनः बहाली हेतु उदार केंद्रीय सहायता प्रदान करने

के लिए माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश विधान सभा का मानसून सत्र दिनांक 18 अगस्त, 2025 से 2 सितंबर, 2025 तक शिमला में आयोजित किया गया। इस सत्र में प्रदेश में वर्ष-दर-वर्ष प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि से सदन चिंतित रहा। विधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा मानसून सत्र में वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर व्यापक चर्चा के उपरांत दिनांक 28 अगस्त, 2025 को एक सरकारी संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया कि "प्रदेश में मानसून के कारण हुए भारी भू-स्खलन, सड़क, पेयजल, सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, निजी सरकारी सम्पत्तियों तथा जान-माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।

(माननीय अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय मानसून से वर्ष 2025 में हुए भारी नुकसान के विषय में भारत सरकार को कुल 5909.30 करोड़ रुपये का ज्ञापन अक्टूबर, 2025 को भेजा गया

एन0एस0 द्वारा जारी ...

03-12-2025/1650/NS-HK/1

राजस्व मंत्री-----जारी

परन्तु भारत सरकार से अभी तक राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से धनराशि प्राप्त होना अपेक्षित है। अध्यक्ष महोदय, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति के लिए भारत सरकार से विशेष राहत पैकेज की तत्काल आवश्यकता है ताकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों का पुनर्निर्माण किया जा सके तथा प्रभावित व्यक्तियों को उनके घरों व आजीविका को फिर से बनाने में मदद प्रदान की जा सके।

आपदा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपाय।

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान के लिए अधिसूचित मापदंडों के तहत जारी सहायता राशि अधिकांश मदों में बहुत कम थी जिसके कारण प्रभावित व्यक्तियों को समुचित राहत प्रदान करना मुश्किल था। प्रभावितों की इस त्रासदी के कारण निजी सम्पत्तियों के पैमाने पर नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2025 के मानसून के दौरान लोगों को व्यापक क्षति का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2025 को जिला मण्डी के लिए विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था। इसके पश्चात प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक क्षति को देखते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 29.10.2025 को उक्त राहत पैकेज को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया है ताकि मानसून 2025 के दौरान हुई क्षति पर प्रभावितों को राहत प्रदान की जा सके। अब इसमें बहुत सारे माननीय सदस्यों की चिंता थी कि यह केवल मण्डी के लिए होगा। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी नुकसान हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए सरकार विशेषकर मुख्य मंत्री जी ने इस स्पैशल पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है तथा इस पर अमल भी किया जा रहा है। इसमें चाहे एक मकान भी किसी इलाके में गया है तो वह मकान स्पैशल पैकेज के तहत आएगा और इसकी शुरुआत भी की गई है।

विभिन्न मदों में की गई बढ़ोतरी विवरण निम्न प्रकार से हैः-

03-12-2025/1650/NS-HK/2

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश की सरकार ने विशेष कर मुख्य मंत्री जी ने इसकी पहल की है कि राहत मैन्युअल में बदलाव किया है जबकि केंद्र सरकार के राहत मैन्युअल में रकम बिल्कुल कम है और मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। यह पहला प्रदेश है, पहला मुख्य मंत्री है और पहली कांग्रेस की सरकार है जिसने लोगों की विपदा में इस किस्म का पैकेज लाया है। यहां पर बहुत से साथी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे। अब आप बताइए कि क्या 1.30 लाख रुपये में मकान बन जाएगा? केंद्र में 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है। ये बहुत बड़ी बातें

करते हैं। 1.30 लाख रुपये किसी जमाने में थे। 11 वर्षों में इस राशि को बढ़ा देते तो कम से कम कुछ होता। लोगों की विपदा को देख कर और मौके पर जा कर मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला लिया। उन्होंने देखा कि लोगों का 1.30 लाख रुपये में कुछ नहीं बनेगा। It is like peanuts. उन्होंने वर्ष 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया और वर्ष 2024 में इसको जारी रखा। यह अलग बात है कि हमारी आर्थिकी ठीक नहीं है परन्तु उसके बावजूद भी हम इतना कुछ कर पा रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के पीड़ित लोगों को कांग्रेस की सरकार दे रही है। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा काम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार और स्पैशल पैकेज में जो एक तालिका या जो कम्पेरिजन है उसको यहां रखना चाहता हूं।

पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे व पक्के मकान के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के जो राहत मापदंड हैं उसमें 1.30 लाख रुपये हैं। विशेष राहत पैकेज में 7 लाख रुपये हैं। इसमें 538.46 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह अपने आपमें एक कीर्तिमान है। इसी तरह से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए केंद्र सरकार मात्र 4000 रुपये राहत राशि देती है। हम यहां पर 1 लाख रुपये दे रहे हैं जिसमें 2500 प्रतिशत इजाफा है। यह भी एक रिकॉर्ड है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए केंद्र सरकार 6500 रुपये राहत राशि देती है और प्रदेश सरकार 1 लाख रुपये दे रही है जिसमें भी 1666.66 प्रतिशत इजाफा है। यहां पर गौशालाओं का जिक्र हुआ है। जिस गौशाला में दो डंडे या दो लोहे की चादरें लगी हैं और गाय उसमें रहती है उसके लिए भी हम

03-12-2025/1650/NS-HK/3

लिबरल रूप से दे रहे हैं। केंद्र सरकार 3000 रुपये देती है और हम 50,000 रुपये दे रहे हैं। अब आप बताइए

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

03.12.2025/1655/RKS/YK-1

श्री ... जारी

कि इसमें भी 1666.66 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन ये लोग इसका धन्यवाद नहीं करते। आप हमें बार-बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का धन्यवाद कीजिए। हम किस चीज के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करें। अगर आप इतने में संतुष्ट हैं तो बहुत बढ़िया है। दुधारू एवं भार वाहक तीन पशुओं की मृत्यु तक केंद्र सरकार द्वारा 37,500 रुपये दिए जाते हैं लेकिन जितने भी पशुओं की मृत्यु हो हम 55,000 रुपये देते हैं। इसमें भी 146.06 प्रतिशत इजाफा हुआ है। बकरी, सुअर, भेड़ और मेमना की मृत्यु पर चार हजार रुपये देते हैं जबकि हम 9 हजार रुपये दे रहे हैं। इसमें 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दुकान, ढाबे वालों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं दिया जा रहा है लेकिन हम इनको एक लाख रुपये दे रहे हैं। आप इसके लिए हमारा धन्यवाद कीजिए। ...(व्यवधान) मकान मालिक की वस्त्र, वर्तन व घरेलू उपयोग की वस्तुओं के लिए 2500 रुपये दिए जाते हैं चाहे उसमें कितना भी सामान का नुकसान क्यों न हुआ हो। अब आप बताइए कि वह 2500 रुपये सिगरेट खरीदने के लिए था या तम्बाकू खरीदने के लिए। हम इसके लिए 70,000 रुपये दे रहे हैं। पिछली कैबिनेट मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस राशि को 30,000 रुपये और बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। किरायेदार की वस्त्र, वर्तन व घरेलू उपयोग की वस्तुओं के लिए भी ये 2500 रुपये देते हैं। हमने इस राशि को 50 हजार रुपये किया है। इसमें भी 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार फसल नुकसान के लिए 680 रुपये देती है जबकि हम प्रति बीघा 4 हजार रुपये दे रहे हैं। इसमें भी 588.24 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगर कोई व्यक्ति इस लाभ से वंचित रह गया है तो आप मुझे लिखकर भेजिए मैं वहां तुरंत टीम भेज कर मूल्यांकन करवाउंगा और इसकी पूरी राशि किसानों तक पहुंचाई जाएगी। यहां पर गाद निकालने की चर्चा हो रही थी। अगर आप मुझे टेलीफोन कर देते तो मैं इनको तुरंत गाद निकालने के लिए भेज देता। लेकिन आप विधान सभा सत्र के अलावा कहीं बोलते ही नहीं है। कृषि एवं बागवानी भूमि से गाद निकालने के लिए आप

1440 रुपये प्रति बीघा देते थे। आप मुझे बताइए कि इस राशि में क्या हो सकता है? जे0सी0बी0 में अगर अपना तेल डालें तो वह एक घंटे का कम-से-कम 700 रुपये लेता है। ...(व्यवधान) हम इसके लिए प्रति बीघा 6000 रुपये दे रहे हैं। यह साल का 72000 रुपये बनता है। केंद्र सरकार कृषि एवं बागवानी भूमि की क्षति के लिए 3760

03.12.2025/1655/RKS/YK-2

रुपये बीघा देती थी लेकिन हम इसके लिए 10,000 रुपये प्रति बीघा दे रहे हैं और इसके लिए ताली बजनी चाहिए। ...(व्यवधान) हमने मंडी में आपको भी बुलाया था लेकिन आप नहीं आए वह अलग बात है। मैंने उपायुक्त महोदय को स्पेशली कहा था कि आप मंडी के सभी विधायकों को बुलाएं। इसके लिए सभी एस0डी0एम्स0 ने सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया था लेकिन आप नहीं आए वह अलग बात है। ...(व्यवधान) आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं इसको चैक कर लूंगा और यदि जिस एस0डी0एम0 ने मुझे गलत सूचना दी होगी तो मैं उसके विरुद्ध भी एक्शन लूंगा। लेकिन कल आपने यह नहीं कहना कि उसे छोड़ दो क्योंकि कई जगह आपकी दोस्ती भी है। अगर ऐसा होगा तो मैं नहीं बख्सूंगा। मुख्य मंत्री जी जब सिराज क्षेत्र में गए तो उन्होंने देखा कि पोलीहाउस में सब्जियों एवं फूलों को काफी नुकसान हुआ है। किसी भी सरकार ने पूर्व में पोलीहाउस के नुकसान का कोई पैसा नहीं दिया।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

03.12.2025/1700/बी.एस./वाई के-1

राजस्व मंत्री जारी...

25 हजार रुपये पोली हाउस के डैमेज पर देने का प्रावधान भी कांग्रेस की सरकार ने किया है। आपके सामने यह एक तुलनात्मक तथ्य सामने लाया गया है। ताकि आइंदा जब आप कभी भी केंद्र सरकार के गुण गाओगे तो थोड़ा सा हमारा भी गुण गा लेना और हिमाचल सरकार का भी गुण गा लेना। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री महोदय ने घरेलू

उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर विशेष राहत पैकेज प्रदान किया किया है। इसे मैंने पहले बता दिया है।

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी, कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए। क्योंकि अभी आपने जवाब देना है और उसके बाद एक और विषय है। कल गैर सरकारी कार्य दिवस है इसलिए अन्य विषय पर चर्चा नहीं होगी except the Legislative Business, the Question Hour and the Zero Hour. यदि सदन चाहे तो सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अभी नियम- 130 का एक और विषय है। इस माननीय सदन की बैठक 07.00 अपराह्न तक बढ़ाई जाती है। मुख्य मंत्री जी कुछ स्टेटमैंट देना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री का उत्तर केवल 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा।

अध्यक्ष : अभी नियम-130 के अन्तर्ग एक और विषय है। समय बहुत कम है इसलिए इसकी चर्चा के लिए पर्याप्त समय नहीं है। कल इस पर चर्चा नहीं होगी। कल तो संकल्प पर ही चर्चा होगी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जितना हो जाए उतना ही ठीक है।

अध्यक्ष : यदि नियम -130 विड्रा कर लेते हैं तो I will withdraw my order. कानून-व्यवस्था के ऊपर एक इश्यू 130 का है। जो आज इनिशिएट होगा और शुक्रवार को इस पर चर्चा समाप्त होगी। क्योंकि शुक्रवार को सदन समाप्त हो जाएगा। यह आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी का इश्यू है यदि ये विड्रा कर लेते हैं तो ठीक है। ...(Interruption) If the Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal Ji wants to withdraw his issue, I don't have any objection. Then this House will be extended only for one hour. ...(Interruption) So long as the Hon'ble Minister will be in position to reply. आप

03.12.2025/1700/बी.एस./वाई के-2

इस पर थोड़ी देर में निर्णय ले सकते हैं और मुझे इस बारे में अवगत करवा दें। मुख्य मंत्री जी आप अपना वक्तव्य दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय विपक्ष के नेता ने अभी एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि ए0बी0पी0 के लोगों पर लाठी चार्ज हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ए0बी0पी0 का जो स्टूडेंट स्विंग था वह जोरावर कॉलेज में बिना परमीशंस के आया। उन्होंने अपना आंदोलन 12.30 बजे शुरू किया और कोई परमिशन नहीं ली थी और उन्होंने रास्ता रोका। वे 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम करते रहे जिससे आम लोगों को असुविधा हुई कुछ विधायकों को रास्ता चेंज करके दूसरी जगह से आना पड़ा और जब उन्होंने विधान सभा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, विधान सभा के पहले उन्होंने बैरिकेड तोड़े और विपक्ष के नेता ने कहा कि 10 ए0बी0पी0 के लोग इंजर्ड हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा बैरिकेड तोड़ने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को उन्होंने पकड़ा उसके हाथ में चोट लगी तीन लेडिस इसमें इंजर्ड हुई और पांच-छः पुलिस पर्सनल कांस्टेबल इंइंजर्ड हुए। उसके बाद पुलिस ने जब वह धक्का मुक्की करके विधान सभा की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोकने की कोशिश की इसमें थोड़ा सा सक्फल हुआ जो पुलिस वाले हमेशा चाहे कोई भी संगठन होता है आंदोलन करता तो थोड़ा बहुत रोकने के लिए प्रिवेंटिव जो करना था पुलिस वालों ने किया। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है। जो ए0बी0पी0 के 10 लोग नहीं परंतु 4-5 लोग हैं जो आगे- आगे बैरिकेड को तोड़ रहे थे, बैरिकेड को तोड़ते समय दोनों तरफ से सक्फल जब होता है तो वह कोई फाइट नहीं थी, सक्फल जब होता तो इस प्रकार की चीज होती है। क्योंकि उन्होंने भी एक खबर बनानी थी कि हमने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की है। यह छात्र संगठनों का इतिहास रहा है और हम भी जब छात्र संगठन में थे तो इस प्रकार से होता है। परंतु कोई ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं और जो पुलिस लेडी कांस्टेबल के साथ मिस बिहेव किया गया है, किसी भी महिला के लिए ऐसी कोई भी वारदात होती है तो सरकार उसे गंभीरता से लेती है और यह तीन महिलाओं के खिलाफ ऐसा हुआ। एक महिला की पूरी तरह से बाजू में रगड़ भी लगी है और बहुत जोर की रगड़ लगी है। हम चाहेंगे कि बिना परमिशन के जो लोग आए हैं उनके खिलाफ अगर सरकार ने कोई एक्शन लिया है तो वह कानून के दायरे के तहत एक्शन लिया जाता है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

3.12.2025/1705/डी0टी0/ए0जी0 -1

मुख्य मंत्री जारी...

तो वह कानून के दायरे के तहत लिया जाता है। यही मैं कहना चाहता हूं और कि कल भारतीय जनता पार्टी की रैली है और उन्होंने भी रैली की ही परमिशन ली है। अगर ये लोग विधान सभा की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इनकी रेली में स्ट्रेंथ ज्यादा होने की संभावना है। जोरावर स्टेडियम में तो सिर्फ 3000 लोगों की स्ट्रेंथ ही आती है तो इस परमिशन के बारे में सरकार विचार कर सकती है। इस मामले में ए.बी.बी.पी ने परमिशन नहीं ली थी। इसकी क्या गारंटी है कि कल आप रैली के दौरान विधान सभा की ओर कूच नहीं करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप इंश्योरेंस दें कि इस प्रकार की कोई बारदात रैली के समय नहीं होगी। मैं यह इंश्योरेंस विपक्ष के नेता से चाहूंगा क्योंकि इन्हीं के कहने से मैंने परमिशन दी है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी सिर्फ एक पक्ष का ही जिक्र कर रहे हैं। पहले तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं ने परमिशन के लिए अप्लाई किया था? अगर परमिशन के लिए अप्लाई किया था तो क्या परमिशन डिनाई की गई थी? अगर की गई थी तो उसका कारण क्या था? 5 साल तक हमनें भी सरकार चलाई है। हमारे समय में जो परमिशन मांगता था उन्हें परमिशन दी जाती थी। प्रदर्शन होते थे, सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाते थे और हम सुनते थे। हमने कभी लाठीचार्ज नहीं करवाया। हमारे 5 साल के कार्यकाल में लोग प्रीमाइसिज में भी घूस गए थे और वह देवभूमि संघर्ष समिति वालों का आंदोलन था। वे यहां तक आग गए थे। मैं स्वयं वहां गया लेकिन हमने लाठीचार्ज नहीं होने दिया। वह सवर्ण आयोग का आंदोलन था। हमने सिचुएशन को हैंडल किया जबकि आज के इस प्रदर्शन में इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि वह हैंडल नहीं की जा सकती है। किस स्तर पर वह सारी चीज हुई हैं उनका हम भी पता करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सदन को यहां पर कोई झूठ बात बोले। हमको जानकारी मिली सात लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, 9 लोगों को चोटे लगी हैं। यही मैंने कहा है। लेकिन प्रश्न तो यह पैदा होता है कि विद्यार्थी

परिषद के बच्चों ने अगर वहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी तो प्रदर्शन

3.12.2025/1705/डी0टी0/ए0जी0 -2

करने की अनुमति या धरना देने की अनुमति क्यों मिली? उसकी क्या वजह है? ठीक है आप सरकार में है, आप हमारी परमिशन को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। आप बंद करिए लेकिन हमारा प्रदर्शन होगा जिस रूप में होगा हम फिर उस तरह से देखेंगे। मैं इस हालात में कोई भी आश्वासन नहीं दे सकता जिस तरह प्रोगेटिव तरीके से मुख्य मंत्री जी ने यहां पर दवाब डालने की कोशिश की हैं वह ठीक नहीं है। जब सरकार विपक्ष में थी इनके द्वारा पुलिस ग्राउंड की परमिशन मांगी गई हमने वहां की परिमशन भी इनको दी। हमारी सरकार के समय इन्होंने जोरावर स्टेडियम की परमिशन मांगी, हमनें वहां की परमिशन भी दी। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार को पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे जो लोग कल के प्रदर्शन में आएंगे उनको किस प्रकार से हैंडल करना है यह सरकार जिम्मेवारी है। कहीं ऐसी स्थिति न बने कि प्रदर्शन उग्र हो। इन सारी चीजों को लेकर सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है या सरकार ने सीधे तय कर लिया है कि विपक्ष में लाठीचार्ज ही करना है। हमनें जब परमिशन मांगी तो हमसे कहा गया कि पहले आप पैसा जमा करो-हमनें वह पैसा भी जमा कर दिया। एक बार जोरावर स्टेडियम की परमिशन भी हमें मिल। बाद में हमे पत्र मिलता कि प्रदर्शन को जोरावर स्टेडियम से पुलिस ग्रांउड के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। हमनें फिर आग्रह किया कि हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सूचना सभी को दे दी गई है- इसलिए उस स्थान को आप न बदलें। इस रैली के इंचार्ज श्री विपिन सिंह परमार जी हैं इनकें द्वारा फिर से पत्र पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को लिखा गया और कहा गया कि हमारी स्ट्रेन्थ जो इस रैली में आनी है वह लगभग 5000 के करीब है, हम रिस्ट्रिक भी कर रहे हैं कि जितने लोग इसमें आसानी से आ सकते हैं उतने ही बुलाए जाए और यह सच्चाई भी है। हम लोगों को गिन कर इस रैली में नहीं ला सकते कि इतने ही लोग आएंगे-ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हमनें मोटे तौर पर प्रयत्न किया है कि उस फिगर के अंदर ही हम रैली में आने वाली संख्या को रखें। उसके

बावजूद हमें कहा गया कि जोरावर स्टेडियम में रैली नहीं होगी। पिछले कल हमारे विधायक दल की ओर से कहा गया कि एक माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करना चाहिए।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

03.12.2025/1710/ए.जी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर..........जारी

पिछले कल हमारे विधायक दल की ओर से मुझे आग्रह किया गया कि इस विषय पर मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहिए और हम मुख्य मंत्री जी को मिलने के लिए गए। उस समय मुख्य मंत्री जी व्यस्त थे, हमने थोड़ा इंतजार किया लेकिन इनकी कोई बैठक चल रही थी और हम वापिस आ गए। उसके बाद हम दोबारा से मिलने के लिए गए और हमने मुख्य मंत्री जी से मिलकर पूरी बात की कि पूर्व में भी इस प्रकार की परम्परा रही है और इस प्रकार से माहौल खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी चीज़ों से ही माहौल खराब होता है। हमारी बातचीत होने के बाद मुख्य मंत्री जी ने हमें अनुमति दी है लेकिन इस तरह की सारी परिस्थिति के लिए मैं एक व्यक्ति यहां पर बैठकर गारंटी दूं, वह भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों तरफ की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यदि अनावश्यक रूप से प्रोवोकेशन उधर (पुलिस की तरफ) से होगी तो लोगों को हैण्डल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जनभावनाओं को दबाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में कार्यक्रम हो और इस बात को सुनिश्चित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अनुमति को कैंसिल कर देंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कैंसिल कर दीजिए लेकिन हमारा प्रदर्शन जिस रूप में होगा वह हम स्वयं देख लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज की घटना के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसकी पूरी रिपोर्ट प्राप्त करें लेकिन एक ही तरफ का पक्ष न रखें। पुलिस के साथ जो भी हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। उनको या किसी बेटी को चोट लगी होगी तो वह भी गलत है लेकिन यह भी तो गलत है कि हमारे उन लड़के-लड़कियों के सिर फोड़ दिए गए हैं।

03.12.2025/1710/ए.जी.-एन.जी./2

इसलिए मुख्य मंत्री जी को दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा और उसके बाद अपनी बात कहनी चाहिए। मुख्य मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप एक तरफा बात मत कीजिए और एन0एस0यू0आई0 की राजनीति से बाहर आ जाइए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने अभी तो यही कहा है कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह कर रहा हूं कि कल भी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा न हो लेकिन आप (नेता प्रतिपक्ष) तो समझ रहे हैं कि हो गई है। माननीय मुख्य मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यही लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जी अभी भी ए0बी0वी0पी0 की राजनीति में ही हैं तभी इतनी जोर से बोल रहे हैं और हमेशा से इनकी यह आदत बन गई है। नेता प्रतिपक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है बल्कि केवल scuffle हुआ है। नेता प्रतिपक्ष जी जो सवर्ण आयोग के संदर्भ में कह रहे हैं तो वह कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। आज जो लोग थे वे एक राजनीतिक दल के स्टूडेंट विंग से संबंधित थे। उन्होंने अनुमति के लिए आवेदन किया था और सरकार ने मना कर दिया।...(व्यवधान) मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सवर्ण आयोग के आंदोलन के समय इनके (कांग्रेस पार्टी) सारे-के-सारे विधायक उन लोगों को प्रोवोक कर रहे थे। इसके अलावा ओ0पी0एस0 के आंदोलन को प्रोवोक करने के लिए भी इन्होंने (पूर्व सरकार का विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी ने) अभियान चलाया था।

अध्यक्ष : चलिए, वे सभी पूर्व समय की बात है। ठाकुर साहब, बैठ जाइए।...(व्यवधान) वह बहुत पुरानी बात है और अब चौदहवीं विधान सभा की बात कर लेते हैं।...(व्यवधान)

03.12.2025/1710/ए.जी.-एन.जी./3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं।...(व्यवधान) ये ए0बी0वी0पी0 की तरह ही बीच में खड़े हो जाते हैं।...(व्यवधान) आप मुख्य मंत्री रहे हैं और 6 बार के सबसे वरिष्ठ माननीय विधायक हैं, इसलिए हमारी बात को सुन तो लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सवर्ण आयोग के आंदोलन के समय पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे क्योंकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखने का होता है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने भी रोका था तभी वह हुआ और आज यहां पर भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। आज जब उन्होंने बैरिकेट तोड़ने की कोशिश की तो थोड़ा scuffle हुआ है। उसमें दो-तीन महिला पुलिस को चोट लगी है। For every action, there is an equal and opposite reaction. वे धक्का दे रहे थे और पुलिस वाले उनको रोक रहे थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की है। यह ठीक है कि ए0बी0वी0पी0 वालों ने अनुमति मांगने के लिए आवेदन किया था और सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने विधान सभा तक मार्च करने की अनुमति मांगी थी और सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद भी वे लोग जोरावर स्टेडियम पहुंच गए।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : उन्हें धरना करने की अनुमति दी गई थी।

मुख्य मंत्री : नहीं दी गई।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी लेकिन फिर भी वे जोरावर स्टेडियम पहुंच कर सड़क पर बैठ गए और ट्रैफिक को तीन घंटों तक जाम कर दिया। उनका हुजूम जब पुलिस की ओर बढ़ा तो उस scuffle में यह सारी घटना घटित हुई है। मैं यही कह रहा हूं कि एक राजनीतिक दल की ओर से यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि हमारे लोग शांतिप्रिय ढ़ंग से प्रदर्शन करेंगे और हम अपना विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि आप लोग कुछ ऐसा-वैसा करोगे। कोई भी आंदोलन करने आता है, चाहे पेंशन वाले आए थे, उन्होंने अपनी बात पूरे जोर-शोर से रखी है और हमारे ख़िलाफ काफी नारे लगाए हैं तो हम उनके विरोध में नहीं हैं

03.12.2025/1710/ए.जी.-एन.जी./4

क्योंकि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना उनका दायित्व बनता है। उसी प्रकार आपका भी दायित्व बनता है। नेता प्रतिपक्ष जी जो सनसनी फैलाने वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा था। धन्यवाद।

Speaker : Their permission was rejected और उन्होंने प्रोटेस्ट करने की नहीं बल्कि विधान सभा मार्च की अनुमति मांगी थी।...(व्यवधान) उन्होंने रिजैक्ट ही कर दी थी

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

03.12.2025/1715/ए0एस0-पी0बी0/1

अध्यक्ष....जारी

लेकिन फिर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया।...(व्यवधान) उन्होंने विधान सभा मार्च की अनुमति मांगी थी।

माननीय राजस्व मंत्री please now continue your reply आप आराम से जवाब दीजिए इसलिए मैंने सदन के समय को दो घण्टे तक बढ़ा दिया है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने व पुनर्वास हेतु कृत संकल्प है। सरकर द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष में विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत जिला बिलासपुर को 10,06,90,000 रुपये, जिला कुल्लू को 34,36,94,120 रुपये तथा जिला मण्डी को 32,06, 27,000 रुपये यानि कुल 76,50,11,120 रुपये अभी तक दे दिया गया है। इस प्रकार राहत राशि देना जारी है और हमने इसकी शुरुआत कर दी है। यदि कहीं पर कोई विलंब हो रहा है तो उसका कारण कागजों का पूरा न होना है। कागजों को रेवेन्यू मैनेजमैंट सिस्टम के माध्यम से जमा करना और वेब पर लगाने में समय लगता है। यदि किसी भी पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपने क्षेत्र में इस संदर्भ में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप हमें चाहे दो लाइन लिख कर भेजें या फोन करें, हम तुरंत प्रभाव से रेवेन्यू विभाग के डिप्टी कमीशनर, एस0डी0एम0 या तहसीलदार को कहेंगे क्योंकि इन सभी को हमने इसी काम में लगाया है। यदि हमारी तरफ से कोई कमी है तो आप बिलकुल उसका जिक्र करें हम उसे रैक्टिफाई करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वित्त वर्ष 2025-26 में आई आपदा से निपटने तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, खोज बचाओ गतिविधियों को चलाने, सड़क, जल आपूर्ति योजनाओं, बिजली आदि जैसी आवशयक सेवाओं को बहाल करने के लिए राज्य सरकर ने राज्य आपदा मोचन निधि, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि व पी0डी0एन0ए0 के तहत मु0 1202.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। जिनमें 383.04 करोड़ रुपये उपयुक्तों को तथा मु0 819.86 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों को जारी किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस आपदा से प्रभावित व्यक्तियों जिनके मकान तुरंत क्षतिग्रस्त हो गए हैं, के लिए किराए पर मकान लेने हेतु शहरी क्षेत्र के लिए

03.12.2025/1715/ए0एस0-पी0बी0/2

10,000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5,000 रुपये मासिक किराया प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके तहत 2,905 परिवारों को धनराशि जारी करने हेतु मामला प्रगति पर है और इसका माननीय सदस्य सदन में जिक्र भी कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि शहर में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये किराए के लिए दिए जा रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इस किस्म का राहत कार्य नहीं किया है। उसके लिए मैं मनानीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मौजूदा मॉनसून के दौरान आपदा से प्रभावित परिवारों को गैस कनेक्शन साहित सिलेंडर तथा राशन मुफ्त में प्रदान किया गया। माननीय मुख्य मंत्री के अनुरोध पर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में प्रकृतिक आपदाओं की घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति के मूल कारणों की जांच के लिए कर्नल के0पी0 सिंह, सलाहकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक बहुक्षेत्रीय केंद्रिय समिति का गठन किया है। इस समिति द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती प्रवृत्ति के मूल कारणों को समझने के लिए दिनांक 23 जुलाई, 2025 से 26 जुलाई, 2025 तक आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। यह समिति प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में गई और उसके बाद अभी इनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आपदा न्यूनीकरण हेतु विश्व बैंक के सहयोग से 2,650 करोड़ READY-HP (Resilient Action for Development and Disaster Recovery) नाम की परियोजना शुरू करने जा रही है। इस परियोजना से प्रदेश की आधारभूत संरचना को पूर्ण निर्माण तथा लोगों की आजीविका के संसाधनों को विकसित करने व आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इसमें भी केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर एक किस्म से जो कटौती की है उसका असर हो रहा है। वरना हमें यह पैसा वर्ल्ड बैंक से मिल जाना था। हिमाचल में केंद्र सरकार स्वयं कोई पैसा नहीं दे रही है। अगर वर्ल्ड बैंक का पैसा हमें मिल जाए तो हिमाचल के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु हमारी सरकार द्वारा आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु फ्रेंच डेवलपमैंट एजेंसी

श्री ए0पी0 द्वारा जारी....

3.12.2025/1720/a.s/a.p/01

राजस्व मंत्री जारी .....

(AFD) के साथ द्विपक्षीय बाह्य सहायता द्वारा वित्त पोषित 892 करोड़ रुपये की आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तत्परता परियोजना शुरु की गई है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 अगस्त 2024 को आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में पुनर्वास सहित आपदा मुद्दे पर मेरी अध्यक्षता में 2 सदस्यों को मंत्रीमंडलीय उप समिति गठित करने के लिए अनुमोदन किया गया। मेरी अध्यक्षता में गठित समिति के विभिन्न सुझावों को मंत्रिमंडल ने अनुमोदित कर दिया है। इन सुझावों पर आने वाले समय में कार्यान्वयन किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपदाओं के प्रारंभिक समय मे आपात स्थितियों से निपटने के लिए 3645 पंचायतो में एक संगठित और सामुदायिक संचालित "पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र" (Panchayat Emergency Response Centre) की स्थापना की जाएगी जिससे समुदाय जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारी प्रतिक्रिया और पुनप्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यह स्कीम भी लॉन्च कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने भारतीय उष्णकटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) पुणे के साथ प्रदेश में बादल फटने व अचानक बाढ़ की बढती हुई घटनाओं के अध्ययन हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने जा रही है जिससे आपदा न्यूनीकरण में मदद मिलेगी तथा इन बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के विषय में वैज्ञानिक अध्ययन करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून - 2025 के दौरान व्यापक स्तर पर क्षति हुई इस अवधि में अनेक नए भूस्खलन हुए। इन भारी क्षतियों के परिप्रेक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूस्खलन-प्रवण महत्वपूर्ण स्थलों पर व्यापक अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता थी ताकि उन प्रमुख कारकों/ तत्वों की पहचान की जा सके, जो इन घटनाओं को उत्पन्न करते हैं तथा जन-जीवन और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इन कारणों की वैज्ञानिक पहचान से उपयुक्त शमन उपायों को पूर्वानुमानित रूप से लागू करना संभव होगा, जिससे जनहित की रक्षा हो सके तथा

प्रभावित क्षेत्रों में निर्वासित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग

3.12.2025/1720/a.s/a.p/02

द्वारा दिनांक 23-09-2025 के माध्यम से GSI को अनुरोध भेजा गया था। जिलों से प्राप्त स्थलों की कुल संख्या 97 है, GSI द्वारा इन स्थलों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि भूस्खलनों के विस्तृत अध्ययन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। उक्त क्रम में, GSI की टीम ने दिनांक 03-11-2025 से स्थल निरीक्षण कार्य आरंभ कर दिया है, जो संलग्न सूची के अनुसार निम्न जिलो-बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति, किन्नौर तथा ऊना में स्थित स्थलों पर किया जा रहा है। शेष जिलों को अगले चरण में सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पायलट आधार पर भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का विचार रखते हैं। इस संबंध में, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक वर्ष के भीतर 50 उपकरणों (Strong motion array) की स्थापना के लिए चंबा, कांगड़ा और ऊना जिले में क्षेत्र का दौरा किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र शेष जिले के अग्र भाग में उपकरणों की स्थापना के लिए ऐसे क्षेत्रीय अध्ययन करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में लगातार आपदाओं का दौर चलता रहा है। अफसोस की बात है कि विपक्ष के कुछ वरिष्ठ साथी यह कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही प्रदेश में आपदाएं शुरू हुईं। क्या गुजरात में आई बाढ़, अन्य प्रदेशों में आई सुनामी, बिहार में आई आपदा या दिल्ली में हुए नुकसान केंद्र में भाजपा सरकार बनने के कारण हुए थे? इससे पहले वर्ष 1998 और वर्ष 2000 में भी प्रदेश में आपदाएं आई थीं। मेरा मानना है कि ऐसे समय में राजनीति करना और इस तरह की छोटी बातें करना माननीय वरिष्ठ सदस्यों को शोभा नहीं देता। मुझे उम्मीद थी कि इस विषय पर सार्थक चर्चा होगी और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे। माननीय सदस्यों, चाहे वे

पक्ष में हों या विपक्ष में, सभी ने सुझाव दिए भी हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने 40 मिनट से अधिक समय लिया, फिर भी नियम-130 के अंतर्गत जिन कठिनाइयों की चर्चा अपेक्षित थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। वे केवल अपनी ही समस्याओं का रोना रोते रहे और इधर-उधर की बातें करते रहे। यदि हम बार-बार उन्हीं बातों को उठाएं तो सवाल उठता है कि उन्होंने स्वयं क्या किया

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

03.12.2025/1725/AT/DC/01

राजस्व मंत्री जारी...

प्राकृतिक आपदा कांग्रेस के कारण आई, मेरे पास कई किस्म की आपदाएं हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा है, जो हमारे बस में भी नहीं है वह ऊपर वाले के हाथ में है और कुछ मैन-मेड भी हैं। अगर मैं एक पार्टिकुलर एरिया की बात करूं, जहां का बहुत रोना रोया गया है और हमेशा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी एरिया में हुआ है अब शौरी जी यहां बैठे हैं अगर मैं पूरे हिमाचल में देखूं तो सबसे ज्यादा नुकसान शौरी जी के इलाके में हुआ है। इनका यह कहना भी ठीक है कि वहां पर हम राहत देने में थोड़ा पीछे रह गए, क्योंकि उनका नैशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित था। वहां के लोगों को जाना मुमकिन नहीं था, नेटवर्किंग की सुविधा पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसी कारण कहीं-कहीं थोड़ा विलंब जरूर हुआ है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा नुकसान का मुल्यांकन सौरी जी के निर्वाचल क्षेत्र ही किया गया जिसकी बात नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं करते, जबकि उनको इनके क्षेत्र की बात भी करनी चाहिए लेकिन वे तो हमेशा सिर्फ अपनी ही बात कहते है और यही कहते रहते हैं कि ‟मेरा ही नुकसान हुआ है, मेरा ही नुकसान हुआ है।‟ इसका मतलब यही है कि वे ह नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं-वे सिर्फ अपने लिए ही रोते हैं।

अब नेताप्रतिपक्ष की बारी आती है। मैं मैन-मेड डिजास्टर की बात करना चाहता हूं कि मैन मेड डिजास्टर कैसे होता है। प्राकृतिक आपदा का अर्थ है कि कहीं बादल फट गए,

कहीं बाढ़ आ गई। परंतु अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आप करोगे, साइंटिफिक तरीके से काम नहीं करोगे तो नुकसान होगा और इस नुकसान को मेन-मेड डिजास्टर कहा जाता है।

जब नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री थे तो सिराज के अंदर तो इन्होंने, मैं यही कहूंगा कि ‟अंधा बांटना रेवड़ी मुंड-मुंड अपनो को देत‟ इस कहावत को चरित्रार्थ किया। अपने को 5 साल में 400 करोड़ छोटी सड़कों में लगाए। 200 से ज्यादा सड़कें बनाई। मैं नहीं कहता कि सड़कें नहीं बनानी थीं, परंतु वह किस किस्म की सड़कें बनाई? न तो एफ0आर0ए0, न कोई वैज्ञानिक तरीका उन सड़कों को बनाने के लिए अपनाए गये और सारे-के-सारे जंगल तबाह कर दिए।

03.12.2025/1725/AT/DC/02

उन जंगलों के पेड़ काटकर वहीं दबा दिए और जो मलबा था वह नालियों में फेंक दिया। जब बरसात हुई तो क्या हुआ? वर्ष 2023 में हमने देखा कि थुनाग में हजारों स्लिपर वहां आए। वे स्लिपर वहां कहा से आए? वे अपने–आप तो वहां नहीं आए? वह तो मिट्टी के अंदर दबाए गये थे और जब पानी का दवाब पड़ा तो वे बहकर बाहर आ गए। नाले का रुख इनके द्वारा बंद कर दिया।...(व्यवधान) 1 मिनट... आप जब बोल रहे थे तो मैं एक बार भी आपको नहीं टोका। ...(व्यवधान) जो सड़कें बनीं, उनका सारा मलबा नालों में इकट्ठा था और उससे नुकसान हुआ। अभी 55 केस एफ०आर०ए० के वायलेशन के कारण लगे हैं। कुछ केसिज तो इन्होंने अपने समय में निपटा दिए थे। अभी शिकारी देवी का मामला उच्च न्यायालय में है, जिसमें एक बी0ओ0 और एक गार्ड सस्पेंड हुए। पूरा का पूरा इलाका जंगल खाली हो गया है। इन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में 16 हेलिपैड बनाए ...(व्यवधान) सुनो तो सही। ... (व्यवधान) वह 16 हैलीपेड भी जंगल में ही बनाए। ...(व्यवधान) और एक भी केस का एफ0आर0ए0 नहीं हुआ ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये गलत तरीका है। ....(व्यवधान) यह गलत तरीका है ण्ण्ण(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब यह जवाब दे देंगे उसके बाद I will give you chance. ...(Interruption).

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर यह फैक्टस नहीं है तो आप ये फैक्टस यहां रखिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष : डिज़ास्टर के रीज़न पर बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : सुनो तो सही, मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान)

Shri. Jai Ram Thakur : Nonsense है आप।

राजस्व मंत्री : what is nonsense? You are a nonsense person. .... (व्यवधान) चलेगा, तुम्हारे कहने से नहीं डरते। नॉनसेंस बोलता है। इस आदमी को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? बदतमीज़ कहीं का... (व्यवधान)

Spaeker : Order in the House please.

03.12.2025/1725/AT/DC/03

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार कह चुका हूं कि ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं मुख्य मंत्री रहे हैं, सदन के नेता रहे हैं यह किस किस्म की शब्दावली बोल रहे हैं? Nonsense.

Speaker : Whatever he said is not the part of the record.

राजस्व मंत्री : सर, जब यह यहां खड़े होकर बोल देते हैं it automatically becomes the part of the House. सब सुन रहे हैं इधर-उधर। यह किस किस्म की शब्दावली बोल रहे हैं?

एम0डी0द्वारा जारी.....

03-12-2025/1730/DC/MD/1

मुख्य मंत्री---जारी

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक परंपरा बना ली है। राजस्व मंत्री जी बोल रहे थे और माननीय विपक्ष के नेता उठकर किस ढंग से बोले और बाहर से आकर बोले हैं। अगर 16 हेलीपैड झूठे हैं तो बताओ न वह किस सिलसिले में झूठे हैं। यह किस प्रकार की आपकी और हमारी भी अवमानना है। ये पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं। अपने स्वभाव से वे तनाव में हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक बात ही नहीं कर रहे हैं। वे आजकल उलटी-सीधी बातें करने लगे हैं। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सदन की गरिमा होती है और किसी राजस्व मंत्री को इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। हम चाहते हैं कि आप इसका सख्त संज्ञान लीजिए ताकि इस प्रकार की वारदात कोई भी न करे। अगर मैं भी हूं या मैंने भी गलती की है तो उसका भी संज्ञान लीजिए। इस ढंग से बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। आप बैठ जाइए, यह क्या तरीका है? सदन में 'नॉनसेंस' कहना, किस प्रकार का तरीका है? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ आप संज्ञान लीजिए और सख्त-से-सख्त कार्रवाई कीजिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष : आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो ही मैं संज्ञान लूंगा। मैं ऐसे कैसे संज्ञान ले सकता हूं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे।

अध्यक्ष : आप भर्त्सना प्रस्ताव लाएंगे तो मैं यहां ध्वनिमत से पास करवा दूंगा, otherwise I have not taken cognizance of it.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये चीज गलत है। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा है और वे हर कुछ बोलते हैं।

Speaker: I cannot stop his anger.

अध्यक्ष : जो आप प्रपोज करेंगे, मैं उसी को आगे टेक-अप करूंगा, whatever he has said will not be part of the record.

03-12-2025/1730/DC/MD/2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर सच्चाई बोलना नॉनसेंस है तो मैं यह गलती हमेशा करता रहूंगा।

अध्यक्ष : वह रिकॉर्ड पर नहीं आया है तो आप इसे बार-बार क्यों रिपीट कर रहे हो।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो तब पता लगेगा न जब आप बताएंगे कि यह रिकॉर्ड पर नहीं है।

अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड पर नहीं आया है, नॉनसेंस शब्द रिकॉर्ड पर है ही नहीं और न मैंने उसका संज्ञान लिया है। आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, this is not a part of the record.

राजस्व मंत्री : पिछली बार आपने इसी विषय को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष और श्री विपिन सिंह परमार जी को बोलने का पूरा मौका दिया था। एक साइड का वर्जन पूरी जनता के अंदर चला गया। उन्होंने मुझे बद्तमीज कहा, वह भी चला गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे कम-से-कम अपना जवाब देने दो । I want to rebut it, मुझे उस दिन मौका नहीं मिला। इन्होंने जो कुछ बोला, यह रिकॉर्ड पर है। इन्होंने बद्तमीज तक बोला। बद्तमीज क्या होता है, मैंने कोई असभ्य शब्द नहीं बोला।

अध्यक्ष : एक मिनट, राजस्व मंत्री जी। ऐसा कोई असभ्य शब्द अगर रिकॉर्ड पर होगा तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। वीडियो-ऑडियो के ऊपर भी है तो उसको मैं देखूंगा, लेकिन नहीं है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूं कि सदन के रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष ने मुझे बद्तमीज क्यों बोला।

अध्यक्ष : अच्छा,आप चाहते हैं कि यह रिकॉर्ड पर रहे?

राजस्व मंत्री : यहां किस किस्म के लोग हैं, यह रिकॉर्ड का पार्ट होना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा कि उसको हटाओ। अब मैंने क्या बद्तमीजी की और असभ्यता की बात की? मैंने तो इनको सच्चाई और आईना दिखाया। आईने में ये राक्षस दिखे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इनकी शक्ल वहां असीम वाली दिख गई, तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो इनको

03-12-2025/1730/DC/MD/3

आइना दिखा रहा हूं। असत्य के ऊपर जो बात हो रही है, मैं उसके ऊपर एक शेर बोलना चाहता हूं

यहां पर झूठ भी बड़े नज़ाकत और तमीज़ से कहा जाता है,

हमें तो बीमारी है सच बोलने की, शायद इसीलिए हमें बद्तमीज कहा जाता है।

मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मर्जी बोलें। मुझे तो इनकी पार्टी वालों ने देशद्रोही बोल दिया। ये खुद देशद्रोही हैं, इन्होंने देश की आजादी में कोई साथ नहीं दिया। ये निक्कर और डडों के साथ लड़ते रहें और अंग्रजों की चाटुकारी करते रहे। हम तो आजादी के बाद पैदा हुए, हम तो उन महान लोगों के धन्यवादी हैं जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश आजाद किया। ये लोग तो उनका धन्यवाद भी नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, मुझो ऐसा कहना पड़ेगा और ये बातें रिकॉर्ड में आनी चाहिए। मैं इनके चुनाव क्षेत्र में गया और इनके लोग मुझे रात के समय मिले। वे मुझसे बड़े आराम से मिले। उन्होंने एक ही बात कही कि यहां से हॉर्टिकल्चर कॉलेज मत ले जाओ। हमारे यहां पी0जी0 में इतने सारे बच्चे हैं। इनके परिवारजन बड़े चिंतित हैं कि इस नाले में तीन बार पानी आ गया और बच्चे वहां से पैदल आए। रोड बंद होने के कारण दो लेडीज प्रोफेसर को पालकी में उठाकर लाया गया।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

3.12.2025/1735/केएस/एचके/1

राजस्व मंत्री जारी ---

ऐसे हालात में वे माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले। सभी ने फैसला किया कि यह सुरक्षित जगह पर जाए। उन बच्चों का यह कहना था कि हमें यदि वहां पर भेजेंगे तो हम ना पेपर देने जाएंगे और ना ही हमें डिग्री चाहिए। हमारा नया सैशन तैयारी पर था। तो ऐसे हालात में हमने वह कैसे रखना था? सुबह भी वहां दोबारा लोग आए, फिर भी उन्होंने वही बात की परंतु शाम के समय इन्होने 50-60 लोगों को इकट्ठा किया, मेरे ऊपर वे दवाब बनाते रहे। बारिश हो रही थी तो मैंने उन सभी को उस महलनुमा रैस्ट हाउस के अंदर बुलाया। उनको वहां बैठाया तो उन्होंने दोबारा से प्रैशराइज़ किया कि अभी फैसला करो कि यह कॉलेज यहां से नहीं जाएगा। मैंने कहा कि यह फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। यह कैबिनेट का फैसला है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बारे में फैसला लेंगे लेकिन मैं वहां यह बात रख दूंगा। उसके बाद वे लोग उत्तेजित हो गए। मुझे बाहर निकलने से भी रोका गया। मैंने अगले प्रोग्राम में भी जाना था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी आए और कहा कि बढ़िया टाइम है, इसको यहां से कहीं और ले जाओ। यह भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ चीजें छिपा कर भी रखनी पड़ती हैं। मुझे लोगों का वहां से धन्यवाद भी आया कि कॉलेज बहुत बढ़िया जगह पर शिफ्ट हुआ है। बी.जे.पी. के कुछ कार्यकर्ताओं के फायदे के लिए क्या आप 400-500 बच्चों के जीवन से खेलना चाहते हैं? बात यह थी और इस बात से ये चिढ़ते हैं। जय राम जी के चुनाव क्षेत्र के लम्बाथाच में कॉलेज में 400-500 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहां पर है,उसमें भी 200 से ज्यादा बच्चे हैं, इनका प्राइमरी स्कूल भी उसी के साथ में है जिसमें लगभग 50 बच्चे थे। ये तीनों स्कूल नदी के किनारे थे। उनके अंदर गाद चली गई थी। उनकी एक-एक मंजिल पूरी डूब गई थी। ये बड़े जोर-जोर से कहते हैं कि for twenty days, I was working in the Seraj area लेकिन ये क्या करते रहे? आगे-पीछे पांच कैमरे

लगाकर ये फोटो खींचते रहे। ऊपर से कोई पत्थर नहीं आ रहे थे, फिर भी दौड़ रहे थे। यह विडियो में दिखाया गया। वह सरासर एक ड्रामा था। हमने कभी नहीं कहा कि हमने और माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर किन मुसीबतों में काम किया। मेरे साथ मेरा स्टाफ भी गया था। हमारे ऊपर पत्थर भी

3.12.2025/1735/केएस/एचके/2

आ रहे थे लेकिन हमने तब भी कोई परवाह नहीं की और ये अपना गुणगान करते रहते हैं।

अध्यक्ष : नेगी जी, हो गया।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज में जो कि थुनाग से 3 किलोमीटर की ही दूरी पर था, ये वहां क्यों नहीं गए? ये 20 दिन तक क्या करते रहे? इनको बच्चों की चिंता नहीं है। (***) उन्होंने यह कहा कि मुझे जय राम जी का फोन आया था कि रास्ते ठीक नहीं है इसलिए यहां मत आओ। इनको उनकी फिक्र है कि कहीं उनके पैरों में छाले ना पड़ जाए। इनको मुख्य मंत्री जी की फिक्र नहीं है जो वहां पर ऐसी मुसीबत के समय गए। मौसम खराब था और हैलीकॉप्टर को कुछ भी हो सकता था लेकिन इनको उसकी चिंता नहीं है।

अध्यक्ष : नेगी जी, कृपया कन्क्लूड कीजिए। काफी हो गया, अब यह दास्तां रिकॉर्ड पर लाने की ज़रूरत नहीं है

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने एक ही सदस्य को आईना दिखाया है। मैं सोच रहा था कि यहां पर बहुत बड़ी चर्चा होगी। ये कहेंगे कि कितने लोगों का नुकसान हुआ। प्रस्तावक श्री जम्वाल ने सिर्फ एक का नाम लिया और तस्वीरें ला कर यहां पर रख दीं तथा उनको लहराने लगे कि काम ही नहीं हुआ। सिर्फ एक आदमी का नाम बताया। 1800 से ज्यादा क्षतिग्रस्त पक्के मकानों तथा 8000 से ज्यादा कच्चे मकानों में से इन्होंने सिर्फ एक का नाम लिया वह भी झूठा लिया। हमने तीन लोगों की टीम बनाई थी। पहले पटवारी फैसला करता था लेकिन इस बार जे.ई. और सचिव भी जाते हैं। तीन लोग मूल्यांकन करते

हैं कि यह रिपोर्ट ठीक है या नहीं। जो इन्होंने हिरदू राम का नाम बताया, उनके मकान को आंशिक नुकसान हुआ था। उपरोक्त तीन लोगों की असैसमैंट में उनको पैसा दिया गया है और यहां पर इन्होंने इसको हाइलाइट करके बोला जो कि गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। ये आधा-

---

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

3.12.2025/1735/केएस/एचके/3

आधा घंटा, 40-40 मिनट तक बोलते रहे लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वह भी मरी हुई, सड़ी हुई चुहिया। यह इनका हाल है।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी। आपको बोलते हुए एक घंटे का समय हो गया है। अब कन्क्लूड कीजिए। 35 मिनट अभी हो गए और 15 मिनट पहले भी आप बोले हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब इनका एक तौर-तरीका यह बन गया है कि बिना फैक्ट्स के ये एक स्वीपिंग स्टेटमैंट दे देते हैं। जनरल स्टेटमैंट दे देते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम हो गया। अब नेता प्रतिपक्ष 40 मिनट बोले लेकिन क्या इन्होंने कोई फैक्ट्स बताया कि कितने मकानों का, किस-किस को मुआवजा नहीं मिला? कितनी सड़कें बंद हैं, उसका इन्होंने ज़िक्र नहीं किया। कितनी पानी की स्कीमें टूटी या कितने स्कूल टूटे हैं, इसका कोई ज़िक्र तो होना चाहिए। यहां पर एक भी ज़िक्र नहीं हुआ सिवाय स्वीपिंग स्टेटमैंट के। स्वीपिंग स्टेटमैंट इस किस्म के लोग देते हैं। स्वीपिंग स्टेटमैंट क्या होती है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

03.12.2025/1740/av/hk/1

राजस्व मंत्री ------ जारी

बिना सोचे-समझे किया गया व्यापक बयान है। ये लोग सोचते नहीं और केवल बोलते हैं। इन्होंने कहा कि सारी सड़कें बंद हैं और जब पूछा गया कि कौन-सी सड़क बंद है तो इनको कुछ पता नहीं है। ये कहते हैं कि फलां जगह पर लोगों के मकान बह गए और उनको पैसा नहीं मिला। जब यह पूछा गया कि कहां पर पैसा नहीं मिला तो कोई जवाब नहीं देते। अभी मेरे विपक्ष के साथी बाहर चले गए हैं। हमने जब यह गिनाया कि बिलासपुर में इतने करोड़ रुपये दिए गए तो ये लोग चुपचाप बाहर निकल गए।

सभापति महोदय, सरल भाषा में ऐसा बयान हर स्थिति में हर व्यक्ति पर लागू मान लिया जाता है। ये लोग सोचते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया वह हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। परंतु वह पूरी तरह से सही नहीं होता। ये लोग इस प्रकार से स्वीपिंग स्टेटमैंट दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर बहुत सारी बातें कहना चाह रहा हूं।

अध्यक्ष : मैंने तो दो घण्टे का समय बढ़ाया है। आप एक घण्टा तो बोल चुके हैं, आपने और बोलना है, तो बोलिए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां पर विचारधारा, लोकतंत्र और संविधान की बात भी की है। अगर हम उसका जवाब देते हैं तो हम बद्तमीज हो जाएंगे और अगर ये हमें अपना ज्ञान बांटेंगे तब सब ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वन साइडिड वर्शन किसी का नहीं जाना चाहिए।

मैंने प्राकृतिक आपदा के बारे में पूरी डिटेल में बताया है परंतु यहां पर राजनैतिक आपदा भी बहुत ज्यादा आई। यहां पर राजनैतिक आपदा इन लोगों के अनैतिक कार्यों के कारण आई। हमारे यहां पर विधायक बिक गए, हमारे यहां पर राज्य सभा के चुनाव के दौरान आप जानते हैं कि किस किस्म की परिस्थिति रही। यहां पर किस तरह से इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को घिनौने, गलत व नापाक तरीके से हटाने के लिए जो

निंदनीय काम किया, ऐसा कार्य हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ। इन्होंने ऐसा करके हिमाचल के नाम को कलंकित किया।

03.12.2025/1740/av/hk/2

मैंने आपको मैन मेड डिजास्टर के बारे में बताया कि कैसे (***) आप खुद जानते हैं कि सिराज़ का क्या हाल हुआ। मैं वहां एक गांव में खुद गया जहां पर रोड नहीं बन रहा था। वहां पर लोग अपना सेब सड़क तक पहुंचाने के लिए परेशान थे। हमने रिकॉर्ड समय में वहां पर रज्जु मार्ग लगाकर उनके सेब को सड़क तक पहुंचाया। वहां पर जो गांव के लोग सड़क नहीं बनाने दे रहे थे तो हमने रिकॉर्ड समय में सड़क बनाकर इनके सेब को वहां से निकाला, ये लोग उसकी तो बात ही नहीं करते।

इन लोगों ने यह भी कहा कि वहां पर प्राइवेट जे0सी0बीज0 लाई गईं। उनकी क्या जरूरत थी, ये लोग क्या हमारे साथ प्रतियोगिता कर रहे थे? वहां पर ठेकेदारों से ऐसी जे0सी0बीज0 लाए कि बाद में हमारे एक्सियन्ज को बोल रहे थे कि तेल डाल दीजिए। अगर तेल हमने ही डालना था तो वे जे0सी0बीज0 क्यों लाई गईं? मण्डी जिला में 170 जे0सी0बीज0 लगी थीं। लेकिन ये लोग फिर भी यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया ने डिजास्टर पर बोलते हुए इनकी बड़े अच्छे तरीके से धज्जियां उड़ाई। 'They were blowing hot and cold.' इन्होंने बड़े अच्छे तर्क देकर अपनी बात कही और मैं इनको उसके लिए साधुवाद देता हूं। अब मुझे वह बात दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह रिकॉर्ड में आ चुका है। इन्होंने डिजास्टर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात कही, इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था और उस टाइम इन लोगों को (***)

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं बहुत कुछ बोल चुका हूं परंतु अभी बोलने के लिए काफी कुछ शेष रहता है। आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर कहूंगा। मैं यहां पर एक-दो शेर पढ़ना चाहता था परंतु अब ये लोग बाहर चले गए हैं। फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी की फितरत बताना चाहता हूं :-

---

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.12.2025/1740/av/yk/3

जब इंसान को झूठ की आदत लग जाती है,
तो फिर झूठ ही उसकी जुबान पर बस जाता है। और सच कहना धीरे-धीरे उसकी आदतों से मिट जाता है।

बी0जे0पी0 को झूठ की आदत है और इनकी यह फितरत पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी की आज यह स्थिति पूरे देश में है। ये हर मुद्दे पर झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवाय ये कोई बात नहीं करते। अगर एक झूठ को बार-बार बोला जाए तो लोग समझने लगते हैं कि यही सच है। इन्होंने उस फॉर्मूले को अपना रखा है और उसी फॉर्मूले में ये लोग व्यस्त हैं। इनको आपदा से कुछ लेना-देना नहीं है। अगर ये लोग आपदा से चिंतित होते तो यहां बैठकर कम-से-कम हमारे द्वारा चलाई जा रही स्कीम्ज के बारे में हमारी बातें सुनते और बाद में उसको चर्चा में लाते कि यहां पर यह कमी रह गई या वहां यह कमी रह गई या फिर कोई सुझाव देते।

टी सी द्वारा जारी

03.12.2025/1745/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1
राजस्व मंत्री ... जारी

अभी जो बदतमीजी के बारे में कहा गया है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बुरे बन जाओ, गलत साबित हो जाओ, सबको निराश कर लो, बदतमीज कहलाओ पर जियो तो अपने तरीके से, जिंदा लाश मत बनो। धन्यवाद।

अध्यक्ष :(***) शब्दों को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे।

अब एक और विषय नियम-130 के अंतर्गत आज के बिजनेस में लिस्टेड है और अभी सदन का समय लगभग सवा घण्टा शेष है जोकि बढ़ाया गया है। अब यह विषय चर्चा में आएगा और माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव यह है कि 'प्रदेश में बढ़ रहे आपराधिक मामलों तथा नशे के बढ़ते नेटवर्क से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।' यद्यपि माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए अब यह इश्यू ड्रॉप हो जाएगा और अगली लिस्ट में नहीं आएगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार व्यवस्था दी थी कि जो भी ऑडियो जाती है वह एडिट करके देंगे। मेरा यह मानना है कि वह मंत्री जी के रिकॉर्ड में तो रहे लेकिन वह जिस भी सदस्य को जाए, एडिटिड रूप में ही जाए जैसे यहां बदतमीज शब्द बोला गया है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी वह शब्द रिकॉर्ड में है ही नहीं that is not part of the record. फिर भी आपने कहा है, मैं ऑडियो देख लूंगा। अभी हमने ऑडियो रिलीज नहीं की है। हम ऑडियो सायं 05-00 बज़े के बाद ही रिलीज करते हैं और अभी we will edit everything-the record as well as the audio part of it or anything which is undesirable against the prestige of a Member, that will be removed from the record.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप ऑडियो एक दिन के बाद भी जारी कर सकते हैं ताकि विधान सभा की गरिमा बनी रहे।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

03.12.2025/1745/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

अध्यक्ष : हम ऑडियो सायं 5.00 बज़े से पहले जारी ही नहीं करेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 04 दिसंबर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 03.12.2025 **(यशपाल शर्मा)**
धर्मशाला-176215 **सचिव।**

****